सत्यमेव जयते

सूचना का अधिकार अधिनियम

के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए

मार्गदर्शिका

सूचना का अधिकार

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

अनुक्रमणिका

1	प्रस्तावना	3
2	सूचना का अधिकार अधिनियम और लोक प्राधिकारियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व	5
3	लोक सूचना अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका	10
4	प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका	24
5	लोक प्राधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका	28
6	प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके उत्तर	38
7	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी व्यवस्थाएं	48
8	सूचना के लिए अनुरोधकर्ता के लिए निर्देश	56
9	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (हिन्दी व अंग्रेजी)	67/99
10	उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 (हिन्दी व अंग्रेजी)	123/133
11	उत्तराखण्ड सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के द्वारा जारी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों की सूची	142
12	उत्तराखण्ड सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध उत्तराखण्ड शासन के द्वारा जारी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों की सूची	147
13	उत्तराखण्ड सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध उत्तराखण्ड सूचना आयोग के द्वारा जारी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों की सूची	151
14.	मा0 उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण आदेश	156
15.	महत्वपूर्ण लिंक तथा आयोग का पता व दूरभाष नम्बर	158

प्रस्तावना

लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि नागरिकों को शासन की प्रक्रियाओं में कितनी पारदर्शिता और भागीदारी प्राप्त है। सूचना का अधिकार (Right to Information) भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह सरकार के कार्यों, निर्णयों और उनके पीछे के तर्कों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। यह अधिकार केवल जानकारी पाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जनभागीदारी, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की दिशा में एक सशक्त माध्यम है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, **2005** भारत के नागरिकों के हाथ में एक ऐसा प्रभावशाली उपकरण है, जिसने शासन प्रणाली में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और सहभागी लोकतंत्र की नींव को और अधिक सुदृढ़ किया है। इस अधिनियम ने जहाँ नागरिकों को सशक्त बनाया है, वहीं शासकीय संस्थानों को अपनी कार्यप्रणाली में अधिक उत्तरदायी और संवेदनशील बनने के लिए प्रेरित किया है। यह अधिनियम शासन-प्रशासन की कार्यसंस्कृति में परिवर्तन का संवाहक बना है और आमजन को उनके अधिकारों और जनहित से जुड़े मुद्दों के प्रति सजग और जागरूक करने में सफल रहा है।

इस अधिनियम की प्रभावशीलता तभी सुनिश्चित की जा सकती है, जब इसके सभी साझेदार—नागरिक, लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी, लोक प्राधिकारी तथा सूचना आयोग—इसके प्राविधानों से भलीभांति परिचित हों और उसका समुचित प्रयोग करें। स्पष्टता और समन्वय की यह आवश्यकता ही इस मार्गदर्शिका की प्रेरणा रही है।

इस पुस्तक का उद्देश्य है कि अधिनियम के प्रावधानों को सरल, बोधगम्य और व्यावहारिक स्वरूप में प्रस्तुत किया जाए, ताकि सूचना आवेदन, उसके निस्तारण और अपील की प्रक्रियाएं निर्धारित समयावधि के भीतर कुशलतापूर्वक पूर्ण हो सकें। यह मार्गदर्शिका न केवल लोक सूचना अधिकारियों व प्रथम अपीलीय अधिकारियों के लिए एक व्यवहारिक संदर्भ दस्तावेज के रूप में कार्य करेगी, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिक सुलभ और संरचित बनाएगी।

इस संस्करण में अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराओं के साथ-साथ मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्णायक निर्देशों को भी समाविष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त, नागरिकों को सूचना प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी भी प्रदान की गई है।

यह मार्गदर्शिका सर्वप्रथम वर्ष **2016** में तत्कालीन मा० राज्य सूचना आयुक्त श्री सुरेन्द्र सिंह रावत के मार्गदर्शन व प्रयासों तथा मा० मुख्य सूचना आयुक्त श्री शत्रुघ्न सिंह के निर्देशन

में प्रकाशित की गई थी। उस प्रथम संस्करण से अनेक सूचना अधिकारी एवं नागरिक लाभान्वित हुए। वर्तमान द्वितीय संस्करण में अधिनियम की अद्यतन स्थिति और व्यावहारिक अनुभवों के आधार पर अनेक महत्त्वपूर्ण निर्देशों का समावेश किया गया है।

मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में, मैं आशा करती हूँ कि यह मार्गदर्शिका सूचना का अधिकार अधिनियम के सभी हितधारकों के लिए उपयोगी उपकरण सिद्ध होगी, और इससे अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति अर्थात् पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जनसहभागिता और अधिक सशक्त हो सकेगी।

(राधा रतूड़ी)
मुख्य सूचना आयुक्त

"सूचना का अधिकार अधिनियम और
लोक प्राधिकारियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व"

सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की मूल भावना में भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (अ) {अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का मौलिक अधिकार} तथा अनुच्छेद : 21 (जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता से सम्बन्धित) एवं संयुक्त राष्ट्र (United Nations) द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (1948) (Universal Declaration of Human Rights) में इंगित सार तत्व सन्निहित है।

इस अधिनियम को अंगीकृत कर, भारत विश्व के उन राष्ट्रों की श्रेणी में सम्मिलित हो गया है जहां सूचना के अधिकार को विधिक मान्यता प्रदान की गयी है। जिन राष्ट्रों में सूचना के अधिकार को मान्यता दी गयी है, में से अधिकांश पाश्चात्य और आर्थिक दृष्टि से विकसित राष्ट्र हैं। भारत उन कुछ विकासशील राष्ट्रों में से एक है जहां ऐसा अधिनियम बनाया गया है।

सूचना का अधिकार विधेयक, 2004 लोक सभा में दिनांक 23 दिसम्बर, 2004 को प्रस्तुत किया गया एवं उक्त विधेयक कतिपय संशोधनों के उपरान्त दिनांक 11 मई, 2005 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया। राज्य सभा द्वारा उक्त विधेयक दिनांक 12 मई, 2005 को पारित किया गया। महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा इस अधिनियम को 15 जून, 2005 को अपनी स्वीकृति प्रदान की गयी, तत्पश्चात महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति के दिनांक से 120वें दिन, अर्थात 12 अक्टूबर, 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभाव में है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का मुख्य उद्देश्य लोक प्राधिकारियों (Public Authorities) की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना है। "लोक प्राधिकारी" की परिभाषा में सभी संवैधानिक संस्थाएँ, सरकारी कार्यालय, निगम, स्थानीय निकाय, पंचायतें, तथा ऐसे गैर सरकारी संगठन / कार्यालय सम्मिलित हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियों से किसी न किसी रूप में समुचित रूप से वित्त पोषित हैं।

सूचना का अधिकार नागरिकों को लोक प्राधिकारियों से सूचना प्राप्त करने हेतु अधिकार सम्पन्न बनाता है तथा कतिपय अपवादों को छोड़ कर लोक प्राधिकारी के द्वारा नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने का प्राविधान करता है। नागरिकों को जो सूचना देय है उससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार यह अधिनियम लोकतंत्र में नागरिकों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सशक्त अधिकार प्रदान करता है ताकि सरकारों की नागरिकों के प्रति जवाबदेही बनी रहे।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से, नागरिकों की जो पहुंच लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण में सूचना तक, सुनिश्चित की गई है, उसे धरातल पर सुलभ कराने के लिए एक "व्यावहारिक शासन पद्धति" (practical regime) को इस अधिनियम के रूप में उपलब्ध कराया गया है।

सूचना का अधिकार कानून क्या है ?

अधिनियम में सूचना का अधिकार की निम्नलिखित प्रस्तावना (Preamble) दी गयी है -

"प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, एक केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे संबंधित या उनसे आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम"

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत :

- ✓ भारत के किसी भी नागरिक द्वारा अधिनियम के अंतर्गत संवैधानिक संस्थाओं, केंद्र एवं राज्य सरकार के विभागों, संस्थाओं, निगमों, निकायों तथा पूर्ण/आंशिक रूप से वित्त पोषित गैर सरकारी संगठनों / कार्यालयों से सूचना प्राप्त की जा सकती है।
- ✓ इन संवैधानिक संस्थाओं, विभागों / सरकारी संस्थाओं / निकायों द्वारा अपने कार्यालयों में अधिनियम के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किये जाने अनिवार्य हैं।
- ✓ भारतीय नागरिक सरकारी निर्माण कार्य और अभिलेखों का निरीक्षण कर सकते हैं। सरकारी अभिलेखों की सत्यापित प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं तथा कार्य में प्रयोग की गयी सामग्री का नमूना भी प्राप्त कर सकते हैं।
- ✓ उत्तराखण्ड राज्य में अधिनियम के अंतर्गत संबंधित लोक सूचना अधिकारी से रु. 10 मात्र के शुल्क सहित लिखित प्रार्थना पत्र के माध्यम से सूचना प्राप्त की जा सकती है। शुल्क का भुगतान नकद, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, बैंकर्स चैक, गैर न्यायिक स्टॉम्प, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जा सकता है।
- ✓ उत्तराखण्ड राज्य के लोक प्राधिकारियों से संबंधित सूचना आर०टी०आई० ऑनलाइन पोर्टल (https://rtionline.uk.gov.in/) के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है। पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से भुगतान किये जाने की सुविधा भी उपलब्ध है।
- ✓ बी.पी.एल. कार्ड धारक को सूचना प्राप्ति के लिए कोई फीस नहीं देनी है।
- ✓ लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्ति के 30 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध करायी जानी है। 30 दिन की अवधि में सूचना प्राप्त न होने अथवा अपूर्ण प्राप्त होने अथवा प्राप्त सूचना से संतुष्ट न होने की स्थिति में विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील की जा सकती है। 30 दिन की अवधि में विभागीय अपील का निस्तारण न होने अथवा अपूर्ण/अस्पष्ट सूचना प्राप्त होने पर द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में की जा सकती है। 45 दिन की अधिकतम समय सीमा के भीतर प्रथम अपील का निस्तारण किये जाने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी को 15 दिन के अतिरिक्त समय के स्पष्ट एवं वैध कारण अपने अपील निस्तारण आदेश में देने होंगे। विभाग द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त न करने पर अथवा अपूर्ण / भ्रामक सूचना देने पर राज्य सूचना आयोग में शिकायत की जा सकती है।

- ✓ जीवन एवं स्वतंत्रता से सम्बंधित सूचना 48 घण्टे के अन्दर दिये जाने का प्राविधान है।

लोक प्राधिकारी

एक अभिव्यक्ति और शब्द के रूप में 'लोक प्राधिकारी' बहुत महत्वपूर्ण है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2 (परिभाषायें) के अंतर्गत अधिनियम में 'लोक प्राधिकारी' से (क) संविधान द्वारा या उसके अधीन, (ख) संसद द्वारा बनाई गयी किसी अन्य विधि द्वारा, (ग) राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गयी किसी अन्य विधि द्वारा, (घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना या किये गये आदेश द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकरण या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत (1) कोई ऐसा निकाय जो समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करायी गयी निधियों द्वारा वित्त पोषित है, (2) कोई ऐसा गैर सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करायी गयी निधियों द्वारा वित्त पोषित है, सम्मिलित है।

सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 04/ सू.अ.प्र./XXXI (13) G/2007 दिनांक, 18 मई 2007 एवं सपठित सूचना अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 177/XXII/2005 दिनांक 29.07.2005 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में निम्न सभी इकाईयों को लोक प्राधिकारी माना गया है -

i. सचिवालय के शासन के समस्त विभाग
ii. शासन के समस्त निदेशालय विभाग के आकार तथा कार्यों की प्रकृति तथा इन इकाईयों की स्वायत्तता व विभिन्नता के अनुसार निदेशालय की लोक प्राधिकारी इकाईयां निम्न स्तर पर हो सकती हैं-
    (अ) मुख्यालय स्तर ।
    (ब) मण्डल स्तर ।
    (स) जिला स्तर।
    (द) सब-डिवीजन स्तर।
    (य) विकास खण्ड स्तर।
    (र) स्थानीय / ग्राम स्तर।
iii. राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा स्थापित या गठित प्रत्येक सार्वजनिक निगम, बोर्ड / परिषद, आयोग, संस्थान /अकादमी, प्राधिकरण, अधिकरण, न्यायाधिकरण, स्वायत्तशासी संस्था, फोरम, समिति तथा अन्य निकाय जो राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गयी निधियों द्वारा पर्याप्त मात्रा में वित्त पोषित (सब्सटेंशियली फाइनेन्स्ड) हैं।
iv. शहरी क्षेत्र के समस्त स्थानीय निकाय जिसमें प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम सम्मिलित हैं।
V. ग्रामीण क्षेत्र के समस्त स्थानीय निकाय जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत, वन पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, सहकारी समिति, तथा सहकारी संघ सम्मिलित हैं।
vi. ऐसे गैर सरकारी संगठन जो राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गयी निधियों द्वारा पर्याप्त मात्रा में वित्त पोषित (सब्सटेंशियली फाइनेन्स्ड) अथवा लाभान्वित है।

शासनादेश संख्या 177/XXII/2005 दिनांक 29.07.2005 को उत्तराखण्ड कार्य (बंटवारा) नियमावली 2003 के नियम 4 के साथ पढ़े जाने पर यह स्पष्ट होगा कि सभी प्रमुख सचिव या सचिव जिस विभाग / जिन विभागों के वे प्रशासनिक मुखिया हैं, वे इन लोक प्राधिकारियों को प्रख्यापित करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी हैं। उत्तराखण्ड कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2003 के नियम 4 तथा शासनादेश दिनांक 29 जुलाई 2005 के अनुसार विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत सभी लोक प्राधिकारियों को प्रख्यापित कर उनसे अपेक्षा करें कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो लोक प्राधिकारियों के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व हैं, उनका अनुपालन करें। लोक प्राधिकारियों के प्रख्यापित करने में विलम्ब से सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों का क्रियान्वयन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम में एक महत्वपूर्ण 'स्टेक होल्डर' वे विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष भी हैं जिनको राज्य सरकार द्वारा मुख्य रूप से बतौर लोक प्राधिकारी चिन्हांकित किया गया है तथा जिन्हें सूचना के अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी माना गया है।

रिट पिटीशन (सिविल) संख्या 990/2021 किशन चन्द्र जैन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य के आदेश दिनांक 17.08.2023 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दिए गए है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप समस्त लोक प्राधिकारियों से अधिक से अधिक सूचना का स्वःप्रकटीकरण अधिनियम की धारा 4 के तहत कराये जाने और धारा 4(1) बी के तहत विभागीय मैनुअल को अद्यावधिक कराये जाए और उसकी मौनीटरिंग भी की जाए जो कि निम्न प्रकार से हैं –

25. Having examined the Right to Information established by the statute under Section 3 in the context of the obligations of public authorities under Section 4, we are of the opinion that the purpose and object of the statute will be accomplished only if the principle of accountability governs the relationship between 'right holders' and 'duty bearers'. The Central and State Information Commissions have a prominent place, having a statutory recognition under Chapters III and IV of the Act and their powers and functions all enumerated in detail in Section 18 of the Act. We have also noted the special power of 'Monitoring and Reporting' conferred on the Central and State Information Commissioners which must be exercised keeping in mind the purpose and object of the Act, i.e., 'to promote transparency and accountability in working of every public authority'

26. For the reasons stated above, we direct that the Central Information Commission and the State Information Commissions shall continuously monitor the implementation of the mandate of Section 4 of the Act as also prescribed by the Department of Personnel and Training in its Guidelines and Memorandums issued from time to time. The directions will also include instructions under O.M. dated 07.11.2019 issued by the Department. For this purpose, the Commissioners will also be entitled to issue recommendations under sub-Section (5) of Section 25 to public authorities for taking necessary steps for complying with the provisions of the Act

27. The Writ Petition (C) No. 990 of 2021 is disposed of with the direction to the Central Information Commission and the State Information Commissions to ensure proper implementation of the mandate of Section 4 of the Act, by following the directions as indicated above.

लोक प्राधिकारियों के दायित्व एवं कर्तव्य :

अधिनियम के प्रावधान के तहत लोक प्राधिकारियों का दायित्व है कि वे उनके नियंत्रणाधीन समस्त अभिलेखों का समुचित प्रबंधन करें और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए विभिन्न माध्यम से अधिक से अधिक सूचना का स्वःप्रकटीकरण किया जाए। अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) के तहत मैनुवल तैयार किया जाए और उसे प्रतिवर्ष अद्यावधिक भी किया जाए। विभाग में आवश्यकतानुसार सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी और प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी को नामित किये जाने का दायित्व भी लोक प्राधिकारी का है। राज्य सूचना आयोग के द्वारा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु की गयी संस्तुति का अनुपालन कराया जाना तथा आयोग के द्वारा प्रतिवर्ष तैयार की जानी वाली वार्षिक रिपोर्ट हेतु आवश्यक सूचना उपलब्ध कराये जाने का दायित्व लोक प्राधिकारी का है। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु लोक प्राधिकारियों के दायित्वयों को "लोक प्राधिकारियों के दायित्व एवं कर्तव्य" में आगे विस्तृत रूप से बताया गया है।

लोक सूचना अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी कार्यान्वयन में लोक सूचना अधिकारी मुख्य भूमिका निभाता है। अधिनियम के प्रावधान के तहत मांगी गयी सूचना प्रकटन से छूट प्राप्त है अथवा नहीं, पर ध्यान केन्द्रित करते हुए यदि शुल्क की मांग किया जाना आवश्यक है तो निर्धारित समय सीमा में अतिरिक्त शुल्क की मांग करते हुए अनुरोधकर्ता को सूचना प्रदान करता है या अधिनियम की जिस धारा के तहत सूचना प्रकटन से छूट प्राप्त है उसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए सूचना प्रदान करने से मना किया जाता है। अधिनियम में किसी त्रुटि के लिए लोक सूचना अधिकारी को जवाबदेह ठहराया गया है। लोक सूचना अधिकारी के लिए आवश्यक है कि वे अधिनियम का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और इसके प्रावधान को भलीभांति समझे। अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करते समय उसे विशेष रूप से निम्नलिखित पहलूओं को ध्यान में रखना चाहिए-

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 में अधिनियम में प्रयोग किये गये नामों तथा शब्दों की परिभाषा दी गयी है। निम्नलिखित परिभाषाओं को ध्यान में रखें :-

(क) सूचना
(ख) लोक प्राधिकारी
(ग) अभिलेख
(घ) सूचना का अधिकार
(च) राज्य लोक सूचना अधिकारी
(छ) तीसरा पक्ष

2. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में 'सूचना' वह सूचना है जो सामग्री के रूप में है। जिसका भौतिक स्वरूप है। शिक्षक द्वारा कक्षा में दिया गया लेक्चर सूचना नहीं है। शिक्षक के लेक्चर की सी०डी० सूचना है। अधिकारी द्वारा अधीनस्थ को दिया गया मौखिक आदेश "सूचना" नहीं है परन्तु वह आदेश कागज पर छाप कर या लिख कर देने पर 'सूचना" है। किसी नाटक के मंचन के दृश्य या मंचन के समय बोले गये संवाद "सूचना" नहीं है। नाटक के दृश्य की वीडियो फिल्म या नाटक के संवाद की सी०डी० "सूचना" है। किसी बैठक में प्रस्तुत किये गये विचार "सूचना" नहीं है परन्तु बैठक का कार्यवृत्त या बैठक की सी.डी. तैयार करने पर प्रस्तुत किये गये विचारों की सी.डी. "सूचना" है।

[सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा **2 (**च)**]**

3. निजी संस्थानों की सभी सूचनायें चाहे वह सामग्री के रूप में हो, अथवा उसका भौतिक स्वरूप हो "सूचना" नहीं है। निजी संस्थानों की वह सूचना जो सामग्री के रूप में हो तथा जो किसी कानून के अन्तर्गत कोई लोक प्राधिकारी प्राप्त कर सकता है "सूचना" है।

[सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा **2 (**च)**]**

4. लोक प्राधिकारी के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभाग और उनके सभी कार्यालयों के अतिरिक्त ऐसे निकाय जो सरकार के आदेश या अधिसूचना से स्थापित हुए हों अथवा जो किसी अधिनियम द्वारा गठित हो अथवा जो सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करायी गयी निधियों से समुचित रूप में वित्त पोषित हों आते हैं। उदाहरण के लिए सरकार द्वारा स्थापित परिवहन निगम, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तराखण्ड जल संस्थान, गढ़वाल मण्डल तथा

कुमाऊ मण्डल विकास निगम, तराई बीज विकास निगम, जल विद्युत निगम, उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन इत्यादि।

[सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा **2 (**ज)]

5. लोक प्राधिकारी के अन्तर्गत ऐसे गैर-सरकारी संगठन आते हैं जो सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करायी गयी निधियों से समुचित रूप में वित्त पोषित हैं। अनुदानित गैर-सरकारी विद्यालय, निजी संस्थान जो राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उपलब्ध करायी गयी निधियों से समुचित रूप से वित्त पोषित नहीं हैं तब वह लोक प्राधिकारी नहीं होंगे। वित्त विहीन गैर सरकारी विद्यालय, गैर सरकारी कम्पनियां, फर्म जो उत्पादन या सेवा प्रदाता के रूप में कार्य कर रही है, जैसे हिन्दुस्तान लीवर लि०, एयर टेल, टाटा मोटर्स आदि लोक प्राधिकारी नहीं है।

6. सहकारी समितियां जो सरकार के स्वामित्व की नहीं हैं या सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं हैं अथवा जो सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करायी गयी निधियों से समुचित रूप में वित्त पोषित नहीं हैं, लोक प्राधिकारी नहीं हैं।

7. कोई गैर-सरकारी संस्थान / सहकारी समिति, लोक प्राधिकारी की श्रेणी से आच्छादित हैं इसे साबित करने का उत्तरदायित्व/भार संबंधित सूचना मांगने वाले अनुरोधकर्ता का होगा।

{ थालाप्पलम सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड और अन्य अपीलकर्ता बनाम केरल राज्य और अन्य सिविल अपील संख्या **9020, 9029** और **9023** वर्ष **2013 (**एसएलपी (सी) संख्या **24291** वर्ष **2012, 13796** और **13797** वर्ष **2013}**

8. सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन प्रकटन योग्य सूचना का निरीक्षण किया जा सकता है या उसकी प्रति या नमूना प्राप्त किया जा सकता है। अभिलेखों की प्रमाणित, सत्य प्रतिलिपि, सामग्री के प्रमाणित नमूने लिये जा सकते हैं। जो सूचना धारित नहीं हैं अथवा नियंत्रण में नहीं हैं उस सूचना को सूचना का अधिकार के अन्तर्गत निरीक्षण, या प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लोक प्राधिकारी के यहां धारित अभिलेख जो अभिलेख प्रबन्ध के अन्तर्गत अभिलेखों को नष्ट करने के लिए निर्धारित अवधि के अनुसार नष्ट कर दिये गये अथवा लोक प्राधिकारी के कार्यालय / इकाई के अभिलेखों से हटा दिये गये है, "सूचना का अधिकार" के अन्तर्गत उनकी प्रतियाँ प्राप्त नहीं की जा सकती।

[सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा **2(**ञ) **]**

9. अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक उप मण्डल स्तर या उप जिला स्तर पर सूचना के लिए अनुरोध पत्र, प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील को प्राप्त कर लोक सूचना अधिकारी या प्रथम अपीलीय अधिकारी या राज्य सूचना आयोग को भेजने हेतु सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित किये जाने का प्राविधान है। सहायक लोक सूचना अधिकारी से सूचना प्रेषित कराये जाने का कार्य नहीं लिया जाना चाहिए। सहायक लोक सूचना अधिकारी के द्वारा उक्त कार्य 5 दिन के अन्दर किया जाना है। लोक प्राधिकारी या उसकी प्रशासनिक इकाई/कार्यालय जहां लोक सूचना अधिकारी तैनात है, वहाँ सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित नहीं किया जा सकता है।

[सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा **5(2)]**

10. सूचना मांगने वाले व्यक्ति के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से सहायता मांगे जाने पर उसकी युक्तियुक्त सहायता प्रदान की जाएगी।

[सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा **5(3)]**

11. लोक सूचना अधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिये अन्य व्यक्ति की सहायता ले सकता है। जैसे कार्यालय में पटल सहायक जिसकी अभिरक्षा में अभिलेख हैं, उससे सूचना के अभिलेख की छायाप्रति तैयार कराकर उपलब्ध कराने के लिए सहायता लेना। इसी प्रकार सक्षम अधिकारी से सूचना की छायाप्रति प्राप्त करने के लिए अनुमति देने के लिए अनुरोध करना, सक्षम अधिकारी से कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सहायता प्राप्त करना है। कम्प्यूटर से मांगी गई सूचना की सी०डी० तैयार करने के लिए कम्प्यूटर ऑपरेटर से सी०डी० तैयार करने के लिए सहायता लेना। लोक सूचना अधिकारी सूचना के लिए अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर सूचना देने के लिए सूचना निर्धारित समय के अन्दर अनुरोधकर्ता को मिले इसका पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण लोक सूचना अधिकारी ही रखेगा। वह प्रयत्न करके निर्धारित 30 दिन की अवधि से पूर्व अनुरोधकर्ता को सूचना देगा। लोक सूचना अधिकारी सूचना देने के लिए अन्य व्यक्ति, जिसकी सहायता वह ले सकता है, पर सूचना देने की जिम्मेदारी नहीं डालेगा। अनुरोधकर्ता को सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा ही भेजी जाएगी। अन्य कोई अधिकारी लोक सूचना अधिकारी पदनाम से या अन्य किसी पदनाम से अनुरोधकर्ता को सूचना नहीं भेजेगा। जहां लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना निर्गत करने के लिए या सूचना प्रकटन करने के लिए किसी अन्य अधिकारी अथवा पटल सहायक की सहायता ली जाती है तो अनुरोधकर्ता को प्राप्त सूचना भेजे जाने से पूर्व अनुरोध की गयी सूचना के सापेक्ष परीक्षण अवश्य किया जाना चाहिए। लोक सूचना अधिकारी का दायित्व पोस्ट ऑफिस के रूप में कार्य करना नहीं है।

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा **5(4)]**

12. सूचना के लिए अनुरोध पत्र में प्रकटन योग्य सूचना जब अनुरोधकर्ता को नहीं दी गयी अथवा विलम्ब से दी गयी तब द्वितीय अपील में लोक सूचना अधिकारी के द्वारा यह कहना पर्याप्त नहीं है कि अन्य व्यक्ति जिसकी सहायता मांगी गयी वह व्यक्ति उसके लिए उत्तरदायी है। लोक सूचना अधिकारी को द्वितीय अपील में बताना होगा कि लोक सूचना अधिकारी ने अनुरोधकर्ता को निर्धारित 30 दिन में सूचना देने के लिए जिन अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों की सहायता ली उनसे जो सहायता मांगी गयी उसे प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा क्या प्रयत्न किये गये और उसके प्रयत्न करने पर भी अन्य व्यक्ति द्वारा सहायता न देने अथवा अनुचित विलम्ब करने पर उसके द्वारा सूचना निर्धारित समय में अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराने के लिए क्या किया गया? लोक सूचना अधिकारी का स्पष्टीकरण सन्तोषजनक न होने पर सूचना आयोग द्वारा शास्ति आरोपण लोक सूचना अधिकारी पर किया जायेगा। लोक सूचना अधिकारी का स्पष्टीकरण सन्तोषजनक होने पर अन्य व्यक्ति / व्यक्तियों जिनके द्वारा सहायता सम्यक रूप से नहीं दी गयी सूचना आयोग उन पर शास्ति आरोपित करेगा।

13. अन्य अधिकारी अथवा पटल सहायक जिससे धारा 5(4) के अधीन सहायता चाही गई है, उसको सहायता चाहने वाले की, सभी सहायता प्रदान करनी होगी और इस अधिनियम के उपबन्धों के किसी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए ऐसे अधिकारी को, लोक सूचना अधिकारी समझा जाएगा।

[सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा **5(5)]**

14. कोई भी भारतीय नागरिक जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है, लिखित में या इलेक्ट्रोनिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी में या उस क्षेत्र की राज्य भाषा में लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी से अनुरोध कर सकता है। ऐसे अनुरोध निर्धारित शुल्क व मांगी जाने वाली सूचना की विशिष्टियां के साथ किए जाएंगे। बी०पी०एल० के आवेदक को कोई आवेदन शुल्क नहीं दिया जाना है परन्तु उसे अपना बी०पी०एल० से संबंधित प्रमाण आवेदन के साथ देना होगा। जहाँ ऐसा अनुरोध लिखित में नहीं किए जा सकते हैं, वहां यथास्थिति लोक सूचना

अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी युक्तियुक्त सहायता मौखिक रूप से देंगे जिससे कि उसे लेखवद्ध किया जा सके।

[सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा **6 (1)]**

15. सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत व्यैरो को, सिवाय उसके जो उससे सम्पर्क करने के लिए आवश्यक हों, देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा **6 (2)]**

16. जहाँ कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए किया जाता है, जोकि किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है, या जिसकी विषयवस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से सम्बन्धित है। यहां ये लोक प्राधिकारी, जिनको ऐसा आवेदन किए जाते हैं, ऐसा आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो समुचित हो, अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेंगे और ऐसे अंतरण के वारे में आवेदक को तुरंत सूचना देंगे। परन्तु यह कि इस उप धारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अन्तरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किन्तु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिनों के पश्चात नहीं किया जाएगा।

[सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा **6(3)}**

17. लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के लिए अनुरोध पत्र जिसमें दो अथवा दो से अधिक लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण में धारित सूचना के लिए अनुरोध किया गया है अथवा किसी वृहद लोक प्राधिकारी की अन्य बहुत सी प्रशासनिक इकाइयों में धारित सूचनाओं के लिए अनुरोध किया गया है या ऐसी सूचना के लिए जो अन्य लोक प्राधिकारियों या वृहद लोक प्राधिकारी के अन्य बहुत सी प्रशासनिक इकाइयों / कार्यालयों के कृत्यों से अधिक निकट से सम्बन्धित हो तो सूचना के लिए अनुरोध पत्र अनुरोधकर्ता को वापस भेज दिया जायेगा। अनुरोधकर्ता को कहा जायेगा कि वह उन लोक प्राधिकारियों या उन प्रशासनिक इकाईयों/कार्यालयों से सूचना के लिए अनुरोध करके सूचना प्राप्त कर सकता है।

(उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली**, 2013** का नियम **5 (**ग)]

18. लोक सूचना अधिकारी को यह स्पष्ट ज्ञात न हो कि सूचना के अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना अन्य किस लोक प्राधिकारी के द्वारा धारित है तो तद्नुसार उस सूचना को सम्बन्धित लोक प्राधिकारी से प्राप्त करने के लिए अनुरोधकर्ता को पत्र भेजा जाए, जिसमे अनुरोधकर्ता को बता दिया जाये कि उनके द्वारा अनुरोध की गयी सूचना किस लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है यह लोक सूचना अधिकारी को भलीभांति ज्ञात नहीं है।

(उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली**, 2013** का नियम **5 (**घ)**]**

19. जहां आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी के समक्ष किया गया हो या जहां आवेदन अन्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष किया गया हो को छोड़कर धारा 6 की उपधारा 1 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर लोक सूचना अधिकारी यथासंभवशीघ्रता से, और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किस कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा। निर्धारित 30 दिन के समय सीमा में अतिरिक्त शुल्क की मांग किया जाना भी शामिल है। परंतु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

[सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा **7(1)]**

20. सूचना उपलब्ध कराए जाने की समयावधि निम्न प्रकार से है –

क्रम	परिस्थिति	आवेदन का निपटानकरने हेतु समय सीमा
1	सामान्य परिस्थिति में सूचना आपूर्ति	30 दिन
2	यदि सूचना व्यक्ति के जीवन अथवा स्वतन्तत्रा से संबंधित हो तो इसकी आपूर्ति	48 घण्टे
3	यदि आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से प्राप्त हुआ है तो सूचना की आपूर्ति	क्रम 1 व 2 में दर्शायी गयी समय अवधि में 5 दिन और जोड़ दिए जाएगें।
4	यदि आवेदन/अनुरोध अन्य लोक प्राधिकारी से स्थानांतरित होने के बाद प्राप्त होते हैं तो सूचना की आपूर्ति (क) सामान्य स्थिति में (ख) यदि सूचना व्यक्ति के जीवन तथा स्वतंत्रता से संबंधित हो	 (क) संबंधित लोक प्राधिकरण द्वारा आवेदन की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर। (ख) संबंधित लोक प्राधिकरण द्वारा आवेदन की प्राप्ति के 48 घण्टों के भीतर
5	दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट संगठनों द्वारा सूचना की आपूर्ति (क) यदि सूचना का संबंध मानव अधिकार उल्लंघन से हो (ख) यदि सूचना का संबंध भ्रष्टाचार के आरोपों से हो	 (क)आवेदन प्राप्ति के 45 दिन के भीतर (ख) आवेदन प्राप्ति के 30 दिन के भीतर
6	यदि सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित हो तथा तृतीय पक्ष ने इसे गोपनीय माना हो तो सूचना की आपूर्ति	यदि मांगी गयी सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित हो, जिसे वे देना चाहते है तब 5 दिन के अन्दर तृतीय पक्ष को लिखित सूचना देनी चाहिए। तृतीय पक्ष से निवेदन करना चाहिए कि वह 10 दिन के भीतर सूचना प्रकट करने या न करने के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखे। सूचना प्रदान की जानी है या नहीं के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी के द्वारा अधिकतम 40 दिन के अन्दर निर्णय ले लेना चाहिए। तृतीय पक्ष की सूचना की विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख आगे के अध्याय में दिए गया है।

21. जब सूचना अनुरोधकर्ता को दिये जाने का निर्णय ले लिया गया हो तब सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में अतिरिक्त शुल्क के साथ सूचना के लिए निर्धारित शुल्क के आधार पर पूर्ण सूचना के कुल शुल्क की गणना का विवरण देते हुए सूचना के लिए अनुरोधकर्ता को पत्र भेजा जायेगा। यह पत्र यथासम्भव सूचना के लिए अनुरोध पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर भेज दिया जाये। सूचना बड़ी होने पर एक सप्ताह से अधिक समय लिया जा सकता है परन्तु सूचना के लिए अनुरोध पत्र प्राप्त होने के 30 दिन के बाद सूचना के लिए शुल्क नहीं माँगा जा सकता।

उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली**, 2013** का नियम **5 (**घ))

22. निर्धारित समय सीमा में सूचना प्रदान न करना यह समझा जाएगा कि लोक सूचना अधिकारी के द्वारा अनुरोध पत्र अस्वीकार कर दिया गया है।

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा **7 (2)]**

23. सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में अतिरिक्त शुल्क की संगणना का विवरण भेजने के दिन से संगणित शुल्क के भुगतान के मध्य की अवधि सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित 30 दिन की अवधि में गणना नहीं की जायेगी।

[सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा **7 (3) (**क)**]**
(उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली**, 2013** का नियम **7 (**क)]

24. सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में अतिरिक्त शुल्क तथा सूचना के लिए शुल्क सहित कुल शुल्कों के लिए तथा जिस रूप में सूचना उपलब्ध करायी जायेगी उसके पुर्नविचार के अनुरोध का अधिकार तथा अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पता आदि का विवरण भी सूचना के लिए अनुरोधकर्ता को सूचना के लिए शुल्कों के पत्र में सूचित किया जायेगा।

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा **7(3) (**ख)**]**

25. यदि सूचना की मांग करने वाला व्यक्ति संवेदनात्मक रूप से निःशक्त व्यक्ति है तो ऐसे व्यक्ति को सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए लोक सूचना अधिकारी के द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी जिसमें निरीक्षण के लिए ऐसी सहायता करना भी सम्मिलित है जो समुचित हो।

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा **7(4)]**

26. यदि सूचना मुद्रित या किसी इलैक्ट्रानिक स्वरूप में उपलब्ध कराई जानी है तब आवेदक को ऐसी फीस का भुगतान करना होगा जो निश्चित की गयी हो। परन्तु बी०पी०एल० के आवेदक को सूचना निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी।

[सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा **7(5)]**

27. सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत फीस का निर्धारण उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 नियम 6 में दिया गया है जोकि निम्न प्रकार से है –

(क) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना हेतु आवेदन पत्र के साथ लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी के नाम संदेय रू0 10.00 मात्र का शुल्क उचित रसीद की प्रति, नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से जमा किया जा सकेगा। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने पर आवेदन शुल्क एवं अतिरिक्त शुल्क ऑनलाइन डेविट / क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आर०टी०जी०एस०, यू०पी०आई० एवं ई-चालान के माध्यम से जमा किया जा सकता है;

(ख) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन सूचना की लागत के रूप में अतिरिक्त शुल्क सूचना दिए जाने हेतु लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी के नाम संदेय निम्नलिखित दरों के अनुरूप शुल्क उचित रसीद के प्रति नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल

ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से जमा किया जा सकेगा, अर्थात,

परन्तु यह कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को कोई शुल्क देय नहीं होगा।

(एक) ए-3 या ए-4 आकार के पृष्ठ (छायाप्रति या तैयार सूचना) हेतु रू0 2.00 (दो रूपये मात्र)

प्रति पृष्ठ और इससे बड़े आकार के पृष्ठ हेतु वास्तविक लागत,

(दो) अभिलेखों के निरीक्षण हेतु प्रथम घंटा हेतु कोई शुल्क संदेय नहीं होगा, तदुपरान्त प्रत्येक एक घण्टे अथवा उसके भाग हेतु रू० 5.00 मात्र (पांच रूपये मात्र) का शुल्क संदाय किया जाना होगा,

(तीन) मॉडल एवं नमूनों की प्रतियों के लिए वास्ताविक लागत का संदाय किया जाना होगा।

(ग) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन सूचना छपे या इलेक्ट्रानिक रूप में दिए जाने हेतु लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी के नाम देय निम्नलिखित दरों के अनुरूप शुल्क, उचित रसीद के प्रति नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से संदाय किया जा सकेगा, अर्थात

(एक) सी०डी०/ डी०वी०डी० पर सूचना दिए जाने हेतु रू0 20.00 मात्र (बीस रूपये मात्र) प्रति सी०डी०/ डी०वी०डी०, और

(दो) किसी मुद्रित प्रकाशन की दशा में, उसका निर्धारित मूल्य या ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की फोटो के प्रति पृष्ठ के लिए रू0 2.00 मात्र (दो रूपये मात्र)।

(घ) बी०पी०एल० श्रेणी के व्यक्तियों के सूचना अनुरोध पर शुल्क हेतु निम्नलिखित व्यवस्था होगी :-

(एक) यदि आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना उसके (बी०पी०एल० श्रेणी के) स्वयं से या उसके परिवार से सम्बन्धित हो, तो वह सूचना निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी।

(दो) यदि सूचना बी०पी०एल० श्रेणी के अनुरोधकर्ता या उसके परिवार के सदस्य से भिन्न व्यक्ति से सम्बन्धित हो, और सूचना 50 छाया पृश्ठों (ए-4 साइज के) या तैयार करने में रूपये 100 के व्यय में दी जा सकती है तो वह सूचना निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी। यदि आवेदित सूचना इस सीमा से अधिक हो तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले श्रेणी के व्यक्ति को स्वयं के खर्चे पर अभिलेखों के निरीक्षण करने, टिप्पणियों लेने या छायाप्रतियां प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकेगी।

परन्तु यह कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को आवेदनकर्ता द्वारा स्वयं सत्यापित बी०पी०एल० कार्ड की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

28. लोक सूचना अधिकारी यदि निर्धारित समयावधि में शुल्क की मांग करने में असफल रहता है तो सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रभार के बिना सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।

[सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(6)}

29. यदि मांगी गयी सूचना किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित हो तब सूचना प्रदान करने से पूर्व लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 11 का विशेष ध्यान रखेंगे।

[सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा **7(7)]**

30. यदि आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाता है तब लोक सूचना अधिकारी का दायित्व है कि वह आवेदन पत्र अस्वीकार करने का कारण, उनके इस निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील करने की समय सीमा और अपीलीय अधिकारी का पदनाम, पूर्ण पता, यदि ई. मेल या कार्यालय का दूरभाष नम्बर हो तब उससे अनुरोधकर्ता को अवगत कराया जाएगा।

[सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा **7(8)]**

31. सूचना जिस रूप (Form) में मांगी गयी उस रूप (Form) में उपलब्ध कराने में लोक प्राधिकारी के संसाधनों का अननुपाती व्यवर्तन हो रहा हो या अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के लिए उपयुक्त न हो तो जिस रूप (Form) में सूचना मांगी गई है उसके स्थान पर अन्य उपयुक्त रूप में सूचना उपलब्ध कराई जायेगी। उदाहरण के लिए कम्प्यूटर पर रखी गई सूचना की प्रिंट प्रतियां जो हजारों पृष्ठों में हों अनुरोध करने पर प्रतियों के स्थान पर सी०डी० के रूप में हजारों पृष्ठ की सूचना उपलब्ध करायी जा सकती हैं। एक अभिलेख जो अत्यंत जीर्ण शीर्ण स्थिति में है उसकी छायाप्रति के लिए अनुरोध किया हो और अभिलेख ऐसा है जिसकी छायाप्रति बनाने में उष्मा से अभिलेख के नष्ट होने की सम्भावना बढ़ जाये तब छायाप्रति देने के स्थान पर उसके निरीक्षण के लिए अनुरोधकर्ता को कहा जा सकता है।

[सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा **7(9)}**

(कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के फाइल संख्या 11/2/2008/आई0आर0 दिनांक 10.07.2008 **]**

32. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1) व धारा 9 में कतिपय सूचना ऐसी हैं जोकि प्रकटन से छूट प्राप्त हैं। ऐसी छूट प्राप्त सूचना निम्न प्रकार से हैं –

धारा 8(1)

(क) सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो,

(ख) सूचना, जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है।

(ग) सूचना, जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधानमण्डल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा।

(घ) सूचना, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक सम्पदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है।

(ङ) किसी व्यक्ति को उसी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना, तब तक कि सक्षम प्राधिकारी को यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है।

(च) किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना।

(छ) सूचना जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा।

(ज) सूचना, जिसके अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी।

(झ) मंत्रिमण्डल के कागजपत्र, जिसमें मंत्रिपरिषद्, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के अभिलेख सम्मिलित है।

परन्तु यह कि मंत्रिपरिषद् के विनिश्चय, उनके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किए गए थे, विनिश्चय किए जाने और विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे।

परन्तु यह और कि वे विषय, जो इस धारा में विनिर्दिष्ट छूटों के अन्तर्गत आते हैं, प्रकट नहीं किए जाएंगे।

(ञ) सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधि है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है।

परन्तु ऐसी सूचना के लिए, जिसको यथास्थिति, संसद या किसी राज्य विधानमण्डल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकेगा।

33. कतिपय मामलों में पहुँच के लिए अस्वीकृति के आधार अधिनियम की धारा 8 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, कोई केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या कोई राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना के किसी अनुरोध को वहाँ अस्वीकार कर सकेगा, जहाँ पहुँच उपलब्ध कराने के लिए ऐसा अनुरोध राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के अस्तित्वयुक्त प्रतिलिप्याधिकार का उल्लघंन अन्तर्वलित करेगा।

[सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा -**9]**

34. सूचना के लिए अनुरोध पत्र में जो सूचना धारा 8 (1) तथा धारा 9 में प्रकटन से छूट प्राप्त है उस सूचना के अलावा अन्य सूचना के लिए अनुरोध किये जाने पर अनुरोधकर्ता को सूचना शुल्क प्राप्त करके निर्धारित 30 दिन के अन्दर उपलब्ध करायी जानी है।

35. व्यक्तिगत सूचना जो लोक क्रिया कलाप या लोक हित से जुड़ी हो प्रकटन से छूट प्राप्त नही है। उदाहरण स्वरूप सरकार के नियंत्रणाधीन विभाग में सेवा के पदों पर नियुक्त आवेदनकर्ता की शैक्षिक व अन्य योग्यता के प्रमाण पत्र, परीक्षा में प्राप्त अंक, प्रवीणता कम में व्यक्ति का स्थान की सूचना।

36. व्यक्तिगत सूचना जो लोक क्रिया कलाप या लोक हित से संबंधित नहीं है उसका प्रकटन तभी किया जायेगा जब अनुरोधकर्ता यह दिखा पाये कि अनुरोध की गयी सूचना का प्रकटन वृहत्तर लोक हित में है यदि सूचना प्रकटन वृहत्तर लोक हित में है नहीं दिखाया जा सका है तब व्यक्तिगत सूचना का प्रकटन नही होगा। वार्षिक चरित्र प्रविष्टि, चिकित्सा उपचार का विवरण, सरकारी सेवक का स्थाई पता, जाति, धर्म, अनुशासनिक कार्यवाहियों का विवरण आदि।

37. जिस अभिलेख अथवा सामग्री को कार्यालय अभिलेख प्रबन्ध के निर्देशों / नियमों में जितने समय बाद किसी अभिलेख के नष्ट करने अथवा उसे हटाने का प्रावधान है वह अभिलेख या सामग्री उतने समय बाद ही नष्ट की जायेगी अथवा हटायी जायेगी। जब तक अभिलेख या सामग्री लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है और वे नष्ट या हटाये नहीं गये हैं तब तक ही सूचना के लिए अनुरोध करने पर सूचना उपलब्ध करायी जा सकेगी। उदाहरण के लिए एक पंजिका बन्द करने के 5 वर्ष बाद तक रखे जाने के निर्देश हैं। यह पंजिका बन्द करने के 5 वर्ष बाद विनिष्ट की जा सकेगी। पंजिका बन्द होने के बाद 5 वर्ष के अन्दर पंजिका की छायाप्रति मांगें जाने पर अनुरोधकर्ता को उपलब्ध करायी जायेगी। इस पंजिका के विनिष्ट होने के बाद

सूचना के लिए अनुरोध करने पर अनुरोधकर्ता को अवगत कराया जायेगा कि सूचना का अभिलेख नियमानुसार विनिष्ट किया जा चुका है। सूचना धारित नहीं है। विनिष्ट किये जाने का प्रमाण भी आवेदक को उपलब्ध कराया जाएगा।

38. तीसरे पक्ष की गोपनीय सूचनाएं अनुरोध किये जाने पर तीसरे पक्ष को सूचना के लिए अनुरोध पत्र प्राप्त होने के 5 दिन के भीतर पत्र भेजकर सूचना प्रकटन करने के सम्बन्ध में अपना पक्ष 10 दिन में रखने के लिए भेजा जायेगा। सूचना का प्रकटन करने के लिए निर्णय लेते समय तीसरे पक्ष ने जो कथन किया है उसे ध्यान में रखा जायेगा। तीसरे पक्ष द्वारा सूचना प्रकटन पर आपत्ति करने मात्र के आधार पर सूचना प्रकटन से अस्वीकार नहीं किया जायेगा।

[सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा **11** की उपधारा **1** एवं **2]**

39. तीसरे पक्ष की व्यापारिक तथा व्यावसायिक गुप्त बातों को जो विधि द्वारा संरक्षित हैं, के सिवाय तभी प्रकट किया जायेगा जब सूचना के लिए अनुरोधकर्ता यह समाधान करा दे कि उनका प्रकटन वृहत्तर लोक हित में है।

[सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा - **8 (1) (**घ)**}**

40. ऐसी सूचना के लिए अनुरोध किये जाने पर जिसका कुछ अंश प्रकटन से छूट प्राप्त है तथा कुछ अंश प्रकट नहीं किया जा सकता है तब जो सूचना का अंश प्रकटन से छूट प्राप्त है उस अंश का प्रकटन से छूट को प्रभावित किये बिना जो सूचना का अंश अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराया जा सकता है वह सूचना का अंश उपलब्ध कराया जायेगा।

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-**10 (1)]**

41. सूचना के लिए अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर लोक सूचना अधिकारी चरणवार निम्नलिखित रूप से कार्यवाही करेंगे

:-

(1) सूचना के लिए अनुरोध पत्र के साथ अनुरोध पत्र के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क के भुगतान की पुष्टि की जाएगी। शुल्क के भुगतान की पुष्टि न होने पर अनुरोधकर्ता को उक्त से अवगत कराया जाये और बताया जाये कि अनुरोध पत्र पर शुल्क भुगतान न होने के कारण सूचना के लिए अनुरोध पत्र पर कार्यवाही नहीं की जायेगी। बी०पी०एल० के आवेदक हेतु कोई आवेदन शुल्क देय नहीं है। आवेदक को बी०पी०एल० का प्रमाण अपने आवेदन पत्र के साथ देना होगा।

(2) सूचना के लिए अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आवेदन शुल्क की जांच के बाद यह समाधान किया जाये कि अनुरोधकर्ता नागरिक है या नहीं। संस्थाएं, कम्पनियां नागरिक नहीं है। नागरिक न होने पर अनुरोधकर्ता को अवगत करा दें कि अनुरोध नागरिक द्वारा नहीं किया गया है अतः सूचना के लिए अनुरोध पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। परन्तु संस्था, कम्पनी का पदाधिकारी स्वयं के नाम से सूचना के लिए अनुरोधकर्ता है तब उसके नागरिक होने के कारण सूचना उपलब्ध कराने पर विचार किया जावेगा।

(3) नागरिक का शुल्क के साथ सूचना के लिए अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर अनुरोध पत्र को पंजिका में दर्ज किया जाये तथा प्राप्ति की तिथि तथा सूचना देने के लिए निर्धारित अवधि कब समाप्त होगी इसे सूचना के लिए अनुरोध पत्र पर मोटे रूप (bold) में अंकित किया जाये तथा पंजिका में भी प्रविष्टियां की जायें।

(4) सूचना के लिए अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर ही यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आवेदन की गयी सूचना 48 घण्टे में उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा तो नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में यह

परीक्षण कर लिया जाए कि मांगी गयी सूचना 48 घण्टे की समय-सीमा के अन्तर्गत आती है अथवा नहीं। 48 घण्टे की समय-सीमा के अन्तर्गत अनुरोध पत्र अच्छादित न होने की स्थिति में 48 घण्टे के अन्दर ही अनुरोधकर्ता को अवगत करा देना चाहिए कि आपका अनुरोध पत्र 48 घण्टे की समय-सीमा के अन्तर्गत अच्छादित न होने के कारण अधिनियम के प्रावधान के तहत 30 दिन के अन्दर सूचना उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। अनुरोध पत्र में जो सूचनाएं मांगी गई हैं वह लोक प्राधिकारी के कार्यालय में धारित है या उसके नियंत्रण में है या नहीं जो सूचना के बिन्दु लोक प्राधिकारी के कार्यालय / इकाई में धारित सूचना से सम्बन्धित हैं उन्हें चिन्हित करके शेष सूचना के बिन्दु किस अन्य लोक प्राधिकारी / लोक प्राधिकारियों के कार्यालय / इकाई में धारित सूचना से सम्बन्धित हैं उन्हें चिन्हित कर लें। यदि अन्य लोक प्राधिकारी कौन है? यह स्पष्ट ज्ञात न हो तब सूचना के लिए अनुरोधकर्ता को उन सूचना के बिन्दुओं के सम्बन्ध में अवगत करा दें कि यह सूचना के बिन्दु किस लोक प्राधिकारी के कार्यालय / इकाई में धारित है लोक सूचना अधिकारी को ज्ञात नहीं है। कृपया अनुरोधकर्ता स्वयं सम्बन्धित लोक प्राधिकारी से सूचना के लिए अनुरोध कर लें।

(5) सूचना के लिए अनुरोध पत्र लोक प्राधिकारी के उच्चतर प्रशासनिक इकाई / कार्यालय को प्राप्त होने पर यह देख लिया जाये कि क्या अनुरोध की गयी सूचना अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों में धारित सूचना है। यदि हां, तब सूचना के लिए अनुरोध पत्र को अधीनस्थ कार्यालयों के लोक सूचना अधिकारियों को अन्तरित नहीं किया जायेगा। यदि सूचना के लिए अनुरोध पत्र अन्य लोक सूचना अधिकारी से अन्तरित होकर प्राप्त हुआ है तब लोक सूचना अधिकारी यदि सूचना कार्यालय में धारित नहीं है तब सूचना के अनुरोध पत्र को अन्य कार्यालय जहाँ सूचना धारित है या जिस कार्यालय के नियंत्रण में सूचना है, अन्तरण नहीं किया जावेगा। अनुरोधकर्ता को केवल सूचित कर देंगे कि उनके कार्यालय में सूचना धारित नहीं है।

(6) अन्य लोक प्राधिकारी / लोक प्राधिकारियों के कार्यालय / इकाई में धारित सूचना से संबंधित बिन्दुओं को देख लें कि यह क्या एक अन्य लोक प्राधिकारी से संबंधित है या अनेकों लोक प्राधिकारियों से। एक से संबंधित होने पर उस लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी को उन बिन्दुओं की सूचना के लिए अनुरोध पत्र अन्तरित कर दें तथा इसकी सूचना अनुरोधकर्ता को भी प्रदान कर दी जाए।

(7) मांगी गयी सूचना अथवा उसका कोई बिन्दु अनेक लोक प्राधिकारियों के कार्यालय में धारित होने की दशा में सूचना के लिए अनुरोधकर्ता को अनुरोध पत्र वापस कर दें और अवगत करा दें कि अन्य लोक प्राधिकारियों से वह स्वयं सूचना के लिए अनुरोध करके सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं।

(8) लोक सूचना अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मांगी गयी सूचना के बिन्दुओं में से कोई बिन्दु धारा 8(1) तथा धारा 9 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त है या नहीं। सूचना के जिस बिन्दु की सूचना प्रकटन से छूट प्राप्त है या छूट प्राप्त नहीं है उन्हें चिन्हित कर लें। सूचना के प्रकटन से छूट प्राप्त सूचना के बिन्दुओं में से कौन से बिन्दु ऐसी सूचना के सम्बन्ध में है जो अनुरोधकर्ता द्वारा सूचना प्रकटन वृहत्तर लोक हित में है दर्शाने पर सूचना प्रकट की जा सकती है उन्हें चिन्हित कर लें। ऐसे सूचना के बिन्दु जिनकी सूचना प्रकटन से छूट प्राप्त है उनके संबंध में अनुरोधकर्ता को तद्नुसार अवगत कराने के लिए तथा जिन सूचना के बिन्दुओं की सूचना प्रकटन से छूट प्राप्त नहीं है उसकी सूचना का शुल्क की संगणना कर लें तदुपरान्त सूचना के लिए अनुरोधकर्ता को अवगत करा दें कि कौन से बिन्दु सूचना के प्रकटन से छूट किन प्रावधानों के अंतर्गत है। सूचना के कौन से बिन्दु की सूचना किन प्रावधानों के अंतर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त है परन्तु सूचना का प्रगटन वृहत्तर लोक हित में है यह अनुरोधकर्ता दिखाये तो सूचना के प्रकटन पर विचार करके निर्णय लिया जा सकता है। जिन बिन्दुओं की सूचना दी जानी है उसको उपलब्ध

कराये जाने की लागत स्वरूप अतिरिक्त शुल्क कितना है तथा सूचना का निर्धारित शुल्क की संगणना का विवरण अंकित करते हुए अनुरोधकर्ता को शुल्क के भुगतान तथा वृहत्तर लोक हित अवगत कराने के लिए पत्र भेजा जाये।

(9) सूचना के लिए अनुरोध पत्र में लोक प्राधिकारी कार्यालय / इकाई में धारित सूचना के ऐसे बिन्दु जिसका कोई अंश प्रकटन से छूट प्राप्त है तो ऐसे छूट प्राप्त सूचना के अंश को छोड़कर शेष सूचना जो अधिनियम के तहत प्रकटन से छूट प्राप्त नहीं है, प्रदान किये जाने की कार्यवाही अधिनियम की धारा 10 के अनुसार की जाए।

(10)तीसरे पक्ष की सूचना के लिए अनुरोध किये जाने पर यह जाँचा जायेगा कि तीसरे पक्ष की जो सूचना अनुरोध की गयी है वह किसी व्यक्ति की है अथवा संस्था की। किसी व्यक्ति की ऐसी सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्धित है जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या लोक हित से सम्बन्ध नहीं रखता है या जिसका प्रकटन किसी व्यक्ति की निजता का अनावश्यक अतिक्रमण होगा तब अनुरोध की गयी सूचना के लिए तीसरे पक्ष को सूचना के प्रकटन के लिए नोटिस नहीं दिया जाएगी। अनुरोधकर्ता द्वारा अनुरोध की गयी सूचना के प्रकटन से वृहत्तर जनहित की पूर्ति होना दिखाने पर ही अनुरोध की गयी सूचना दी जायेगी। किसी व्यक्ति का स्थायी निवास, शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र, किसी सरकारी सेवक की वार्षिक चरित्र प्रवृष्टियाँ, किसी व्यक्ति का रोग और उसके उपचार का विवरण अनुरोधकर्ता द्वारा वृहत्तर जनहित की पूर्ति होना दिखाने पर ही उसे दिया जायेगा। जहाँ तीसरा पक्ष व्यक्ति या संस्था से है उसकी ऐसी सूचना अनुरोध की जा रही है जो व्यक्ति या संस्था से सम्बन्धित है या सम्बन्धित व्यक्ति या संस्था द्वारा लोक प्राधिकारी को उपलब्ध करायी गयी है, और वह व्यक्ति या संस्था उस सूचना को गोपनीय मानती है तब लोक सूचना अधिकारी यह विचार करेगा कि सूचना उपलब्ध कराने में जो जनहित है वह उस व्यक्ति या संस्था को सूचना के प्रकटन होने वाली क्षति से अधिक है या नहीं। जनहित अधिक पाने पर सम्बन्धित व्यक्ति को सूचना क्यों प्रकट न की जाये इस पर अपना पक्ष रखने का नोटिस अनुरोध पत्र प्राप्त होने के 5 दिन के अन्दर देगा। उत्तर देने के लिए नोटिस प्राप्ति से 10 दिन का समय देगा। तीसरे पक्ष का उत्तर प्राप्त होने पर उसे जाँचेगा। यदि यह प्रतीत होता है कि सूचना प्रकटन में जो जनहित है वह उस तीसरे पक्ष को होने वाली क्षति से अधिक है तब सूचना अनुरोधकर्ता को दे दी जायेगी अन्यथा नहीं। सूचना न देने का निर्णय अनुरोधकर्ता को सकारण उत्तर दे कर सूचित किया जायेगा। यदि तृतीय पक्ष की सूचना प्रकट किये जाने का निर्णय लिया जाता है तो तृतीय पक्ष की सूचना प्रकट करने से पूर्व तृतीय पक्ष को यह अवगत कराया जाना आवश्यक है कि उनके द्वारा तृतीय पक्ष की सूचना प्रकट किये जाने का निर्णय लिया गया है। यदि वे लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो उन्हें प्रथम अपील किये जाने हेतु प्रथम अपीलीय अधिकारी का पता व प्रथम अपील की समय-सीमा 30 दिन से भी अवश्य अवगत कराया जाए।

(11)सूचना के लिए अनुरोध पत्र के ऐसे बिन्दु जो तीसरे पक्ष की सूचना है उसके लिए तीसरे पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए पृथक पत्र सूचना के लिए अनुरोध पत्र भेजने के 5 दिन के अन्दर उक्तानुसार भेज दें। इस पत्र को भेजने के लिए केवल 05 दिन के समय का प्राविधान अधिनियम में है।

(12)अनुरोधकर्ता को दी जाने वाली सूचना के लिए मांगे गये शुल्कों का भुगतान प्राप्त होने पर, उन बिन्दुओं की सूचना अनुरोधकर्ता को भेज दी जाये।

(13)सूचना के बिन्दु जिनमें अनुरोधकर्ता द्वारा सूचना के प्रकटन से वृहत्तर जनहित की पूर्ति होती है, दिखाने पर सूचना के प्रकटन पर विचार किया जाना है उन पर अनुरोधकर्ता द्वारा उनको दिये गये समय में जो कथन प्राप्त हो उसे प्रकटन के निर्णय करते समय विचार में ले कर निर्णय किया जाये। यदि निर्णय यह है कि सूचना प्रकटन से छूट प्राप्त है तथा अनुरोधकर्ता सूचना के प्रकटन से

कोई वृहत्तर जनहित की पूर्ति होती है, नहीं दर्शा पाया है तद्नुसार सकारण अनुरोधकर्ता की सूचना अस्वीकार कर दी जाएगी। यदि किसी बिन्दु की सूचना को वृहत्तर जनहित में प्रकटन का निर्णय लिया जाता है तब उसके प्रकटन के लिए धारा 7(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुरूप शुल्कों की मांग की जायेगी। तीसरे पक्ष की सूचना अथवा व्यक्तिगत सूचना जो लोक क्रिया कलाप या लोक हित से संबंधित नहीं है उसकी सूचना होने की दशा में सूचना के प्रकटन से अस्वीकार के सम्बन्ध में अनुरोधकर्ता को निर्णय का आधार अवगत कराते हुए अपील के लिए अपीलीय अधिकारी का विवरण भी उपलब्ध कराया जायेगा।

(14)सूचना के लिए शुल्क मांगने और शुल्क भुगतान के मध्य की अवधि की गणना सूचना उपलब्ध कराने हेतु 30 दिन की अवधि में नहीं की जायेगी। जिस दिन शुल्क मांगने का पत्र भेजा जाये उस तिथि का विवरण सूचना के लिए अनुरोध पत्र के ऊपर मोटे रूप में अंकित करलें तथा यह गणना भी कर लें कि सूचना के लिए अनुरोध पत्र प्राप्त होने से कितने दिन निकल गये हैं। इसे भी सूचना के लिए अनुरोध पत्र पर मोटे रूप में दर्ज कर लें। जब भुगतान की सूचना प्राप्त हो उसी दिन यह जॉच लें कि सूचना उपलब्ध कराने के लिए कितने दिन उपलब्ध हैं और उस अवधि में सूचना अनुरोधकर्ता को उपलब्ध करा दें। सूचना उपलब्ध कराने में लापरवाही के कारण विलम्ब होने पर सूचना के लिए लिया गया शुल्क अनुरोधकर्ता को वापस करना होगा।

(15)लोक सूचना अधिकारी विभागीय अपील तथा द्वितीय अपील में यथासम्भव स्वयं अन्यथा जो मामले की अच्छी जानकारी रखता हो वह मामले के अभिलेख के साथ विभागीय अपील में तथा द्वितीय अपील में अवश्य उपस्थित होवे ।

(16)सूचना के अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना में ऐसी भी सूचना मांगी जाती है जो धारित नहीं है तथा नियंत्रण में भी नहीं है, तब अनुरोधकर्ता को अवगत करा देना चाहिये कि सूचना धारित नहीं है।

(17)कभी-कभी सूचना के लिए अनुरोध पत्र में सूचना आंशिक रूप से धारित होती है। तब धारित मांगी गयी सूचना वाला अंश की सूचना अनुरोधकर्ता को उपलब्ध करायी जाये तथा जो मांगी गयी सूचना का अंश धारित नहीं है उसके संबंध में अनुरोधकर्ता को अवगत करा दिया जाये।

(18)सूचना के अंतर्गत निजी संस्थान जो सरकार द्वारा समुचित रूप से वित्त पोषित नहीं है, की वह सूचना जो किसी कानून के अंतर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त की जा सकती है उसे लोक प्राधिकारी निजी संस्थान से प्राप्त करके या पूर्व से धारित है तब अनुरोधकर्ता को लोक सूचना अधिकारी वह सूचना उपलब्ध करायेगा। जो सूचना किसी कानून के अंतर्गत निजी संस्थान से मांगी नहीं जा सकती है वह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना नहीं है। उसे प्राप्त करके अनुरोधकर्ता को देने की आवश्यकता नहीं है। निजी संस्थान की सूचना के लिए अनुरोध पत्र निजी संस्थान को अन्तरित नहीं किया जायेगा। वह लोक प्राधिकारी नहीं है।

(19)निजी संस्थान जो सरकार द्वारा समुचित रूप से वित्त पोषित नहीं है किन्तु लोक प्राधिकारी की परिभाषा से अच्छादित हैं तो निजी संस्थान में धारित सूचना के लिए अनुरोध पत्र निजी संस्थान के लोक सूचना अधिकारी को अंतरित किया जाएगा।

(20)सूचना के लिए अनुरोधकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार प्रारूप-पत्र बनाकर उस प्रारूप पत्र पर सूचना मांगते हैं। सूचना जिस रूप में धारित है उसी रूप में दी जा सकती है। धारित सूचनाओं से अनुरोधकर्ता के प्रारूप के अनुसार नई सूचना तैयार करके नहीं देनी होती है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत नयी सूचना गठित करके अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है।

(21)सूचना के लिए अनुरोधकर्ता द्वारा अपनी इच्छानुसार सूचना का प्रारूप निर्धारित करके सूचना मांगी जाये तब यदि मांगी गयी सूचना भिन्न-भिन्न अभिलेखों में आंशिक रूप से उपलब्ध है तब

अनुरोधकर्ता को वास्तविक स्थिति बताते हुए समस्त आंशिक सूचना उन्हें उपलब्ध करायी जा सकती है, का तथ्य बता दिया जाय उसके लिए समस्त आंशिक सूचनाओं का सूचना शुल्क की गणना करके कुल शुल्क का विवरण अनुरोधकर्ता को उपलब्ध करायें। अपने स्तर पर भिन्न-भिन्न अभिलेखों से अनुरोधकर्ता की इच्छानुसार मांगी गयी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए नयी सूचना का गठन न किया जाये। सूचना गठन करके उपलब्ध कराने के लिए सूचना शुल्क की मांग न की जाये।

(22)सूचना के अनुरोध पत्र में प्रश्न करके उत्तर के रूप में सूचना माँगने अथवा कुछ तथ्य अंकित करके उन पर लागू शासनादेश / नियम की माँग करने, अथवा धारित सूचना का विश्लेषण कर निष्कर्ष को सूचना के रूप में अनुरोध करने पर सूचना के रूप में उत्तर नहीं दिये जायेंगे। दिये गये तथ्यों पर लागू होने वाले नियम / शासनादेश को लोक सूचना अधिकारी चिन्हित करके नहीं उपलब्ध करायेगा। धारित सूचना जिसे अनुरोधकर्ता द्वारा अनुरोध किया है तथा जो प्रकटन से निषिद्ध नहीं है वह अनुरोधकर्ता को उपलब्ध करा दी जावेगी।

(23)यदि अनुरोधकर्ता के द्वारा मांगी गयी सूचना से संबंधित पत्रावली खोजने पर भी नहीं मिल रही है या जानबूझकर गायब कर दी गयी है तो ऐसी परिस्थिति में सूचना को तलाश करने के प्रयासों की सूचना एवं सूचना उपलब्ध न होने के तथ्यों से अनुरोधकर्ता को अवगत कराया जाना चाहिए। अभिलेखों के गुम होने के संबंध में लोक प्राधिकारी जिनके नियंत्रण में उक्त अभिलेख धारित हैं, को भी अगवत कराया जाए जिससे इस संदर्भ में यथोचित कार्यवाही की जा सके।

प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका

1. प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी को अपील प्राप्त होने पर उसे पंजिका में दर्ज करना चाहिए। पंजिका में अपील के प्राप्त होने का दिनांक स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। अपील के मुख पृष्ठ पर ऊपर अपील प्राप्त होने का दिनांक अंकित किया जाना चाहिए।

[सामान्य प्रशासन विभाग के शा0सं0 146/सु0/XXXI(3)G-/2006दिनांक 22.03.2006]

2. अपील का निस्तारण अपील प्राप्त होने के 30 दिन में होना चाहिए। अपरिहार्य परिस्थितियों में कारण अभिलिखित करते हुए निस्तारण की अवधि 15 दिन और बढ़ाई जा सकती है। अपील प्राप्त होने के बाद अधिकतम 45 दिन में निस्तारित की जा सकती है। प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी को प्रयास करना चाहिए कि वे 45 दिन के अन्दर प्रथम अपील का निस्तारण कर, अनुरोधकर्ता को मांगी गयी सूचना उपलब्ध करा दी जाए, इस हेतु वे 15-15 दिन के अन्तराल पर प्रथम अपील की सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित कर सकते है।

{सामान्य प्रशासन विभाग के शा0सं0 231/XXXI(15)2016G-07(रा0सू0आ0)/2015 दिनांक 17.02.2015}

{उत्तराखण्ड सूचना आयोग के पत्र संख्या 1547/मु0सू0आ0/2022-23 दिनांक 27.05.2022}

3. अपीलकर्ता के द्वारा यदि अपील की सुनवाई दूरभाष / मोबाइल के माध्यम से किये जाने का अनुरोध किया जाता है तो अपील की सुनवाई में संबंधित का पक्ष दूरभाष / मोबाइल के माध्यम से सुना जाना चाहिए।

{उत्तराखण्ड सूचना आयोग के पत्र संख्या 574/उ0सू0आ0/2023-24 दिनांक 21.05.2025}

{उत्तराखण्ड सूचना आयोग के पत्र संख्या 4388/उ0सू0आ0/2023-24 दिनांक 26.07.2023}

4. यदि कोई आवेदक, जिसने अपने प्रार्थना पत्र में सूचनायें जीवन या स्वतंत्रता से सम्बन्धित होने का तथ्य स्पष्ट किया है और उसे लोक सूचना अधिकारी द्वारा 48 घंटे में सूचनायें उपलब्ध नहीं करायी जाती हैं, या नियम विरूद्ध शुल्क मांगा जाता है और इस निर्णय के विरूद्ध वह प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी को धारा 19 (1) के अन्तर्गत अपील करता है तो इस बिंदु पर इसका निस्तारण अत्यधिक शीघ्रता से, जहां तक सम्भव हो 48 घंटे के भीतर किया जायेगा। यदि प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी को लगता है कि सूचनायें जीवन या स्वतंत्रता से सम्बन्धित है तो वह लोक सूचना अधिकारी को तुरन्त आदेश देकर सूचनायें दिलाना सुनिश्चित करेगा, अगर प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी का निष्कर्ष है कि सूचनायें जीवन या स्वतंत्रता से सम्बन्धित नहीं है, तो वह अपने निष्कर्ष से कारणों सहित आवेदक / अपीलार्थी को यथाशीघ्र अवगत कराएंगे।

{सामान्य प्रशासन विभाग के शा0सं0 704/XXXI(15)G/2023/06/(सा0)/2022 दिनांक 04.05.2023}

5. अपील का निस्तारण मामले के तथ्यों को देखकर किया जाना चाहिए। बिना मामले के तथ्यों को जाने आदेश करना कि अनुरोध करी गयी सूचना अनुरोधकर्ता को एक सप्ताह में/ पन्द्रह दिन में उपलब्ध करा दें उचित नहीं है।

{उत्तराखण्ड सूचना आयोग के पत्र संख्या 6765/उ0सू0आ0/2023-24 दिनांक 20.09.2023}

6. प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी को नामित किया गया है। प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त नियंत्रण रखना चाहिए।

7. अपील की सुनवाई में लोक सूचना अधिकारी को उपस्थित होने के लिए कहना पर्याप्त नहीं है। लोक सूचना अधिकारी स्वयं या मामले से भली भांति भिज्ञ अन्य अधिकारी को अपील के विचारण में मामले के अभिलेखों के साथ उपस्थित और अपील के सुचारू रूप से निस्तारण में सहायता के लिए उपस्थित हो इसके निर्देश दिये जाने चाहिए।

8. अपील में सुनवायी करते समय सूचना के लिए अनुरोध पत्र, लोक सूचना अधिकारी द्वारा उस पर की गई कार्यवाही तथा अन्य मामले के अभिलेख अवश्य देखने चाहिये। मामले में अनुरोध की गयी सूचना उपलब्ध कराने की स्थिति देखकर सूचना के प्रत्येक बिन्दु के सम्बन्ध में आदेश करना चाहिये।

9. अपील प्राप्त होने पर दो दिन के अन्दर अपील में सुनवायी की तिथि जो 10 या 12 दिन बाद की हो निर्धारित करके उसकी सूचना का नोटिस अपीलार्थी को उसी दिन पंजीकृत डाक से भेज देना चाहिए। अपील की सुनवाई में लोक सूचना अधिकारी को माामले के अभिलेखों के साथ स्वयं या मामले से भिज्ञ अन्य अधिकारी की उपस्थिति के नोटिस उसी दिन डाक से भेजना चाहिए। टेलीफोन से भी लोक सूचना अधिकारी को सुनवायी की तिथि पर मामले के अभिलेखों के साथ स्वयं या मामले से भिज्ञ कार्मिक के उपस्थित होने के लिए कहना चाहिये।

10. सुनवाई की तिथि लगाते समय यह ध्यान अवश्य रखा जाये कि सुनवायी की तिथि की डाक दोनों पक्षों को समय से प्राप्त हो सके।

11. अपील में सुनवाई की तिथि पर सुनवाई करना किन्ही अपरिहार्य कारणों से सम्भव न हो तो उसी दिन सुनवाई की तिथि निर्धारित करके दोनों पक्षों को नयी तिथि की लिखित सूचना भेज देना चाहिये। लोक सूचना अधिकारी को टेलीफोन से भी अवगत करा देना चाहिये। अपीलार्थी द्वारा फोन नम्बर या ई-मेल एकाउण्ट दिया हो तो इसके द्वारा भी त्वरित रूप से संशोधित सुनवायी की तिथि सूचित की जाय।

12. लोक सूचना अधिकारी या अन्य भिज्ञ अधिकारी के उपस्थित न होने को गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। पूर्व सूचना के बिना अनुपस्थिति को उनके नियंत्रक प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिये।

13. अपील के विचारण के लिए लोक सूचना अधिकारी या अन्य भिज्ञ अधिकारी के उपस्थित न होने पर अपीलार्थी से सूचना के लिए अनुरोध पत्र तथा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर व अपीलार्थी को प्राप्त सूचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करके सूचना के लिए शेष रह गये प्रत्येक बिन्दु के संबंध में सुस्पष्ट आदेश किये जाने चाहिए।

14. प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी को देखना चाहिये कि जो सूचना अपीलार्थी को नहीं दी गयी है उस सूचना को अपीलार्थी को न देने के लिए औचित्यपूर्ण कारण लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के लिए अनुरोधकर्ता को दिये गये हैं।

15. अपील प्राप्त होने पर दर्ज करने के बाद जाँच लें कि अपील पत्र के साथ सूचना के लिए अनुरोध पत्र तथा लोक सूचना अधिकारी का उत्तर संलग्न किया गया है यदि उक्त संलग्न नहीं किये गये हैं तो अपीलार्थी को उनकी प्रति उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजा जाय।

16. अपील विचारण करते समय अपील पत्र के साथ सूचना के लिए अनुरोध पत्र तथा लोक सूचना अधिकारी का उत्तर पत्रावली में नहीं है तब लोक सूचना अधिकारी या मामले से भिज्ञ अन्य अधिकारी से इसकी प्रति प्राप्त करके पत्रावली में रखा जाय।

17. अपील के विचारण के समय अपील में जिस बिन्दुओं को उठाया गया है उसको ही विचार करके अपील का निस्तारण किया जाना चाहिये। ऐसे बिन्दुओं पर विचार करते समय प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उक्त बिन्दु लोक सूचना अधिकारी को दिए गए सुचना के अनुरोध पत्र से भिन्न न हो। सूचना के अनुरोध पत्र से भिन्न होने पर संबंधित बिन्दुओं पर विचार न किया जाए और इसका उल्लेख प्रथम अपील के आदेश में भी अवश्य किया जाए।

18. प्रायः अपील में कोई बिन्दु विशेष नहीं उठाया जाता है। सूचना न मिलने, सूचना अपूर्ण, भ्रामक अथवा असत्य होने के कथन किये जाते हैं। उक्त स्थिति में प्रत्येक सूचना के बिन्दु का परीक्षण प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी को करना चाहिए।

19. सूचना के लिए अनुरोध पत्र में ऐसे सूचना के बिन्दु जो ऐसी सूचना के लिए है जो लोक प्राधिकारी में धारित सूचना उपलब्ध कराने के लिए नहीं है उनके संबंध में समाधान करना चाहिये कि सूचना के वह बिन्दु वास्तव में लोक प्राधिकारी में धारित सूचना से संबंधित नहीं हैं। उनके संबंध में सूचना के इस लोक प्राधिकारी से उपलब्ध कराने के लिए अपील में कथन करने पर उसे अस्वीकार किया जाना चाहिए।

20. सूचना के लिए अनुरोध पत्र में ऐसे सूचना के बिन्दु जिनकी सूचना लोक प्राधिकारी में धारित होती है उनकी सूचना ना उपलब्ध कराने के लिए लोक सूचना अधिकारी ने जो कारण दिये हैं वह औचित्य पूर्ण है अथवा नहीं। किसी बिन्दु की सूचना अपूर्ण उपलब्ध कराना कहा गया है तो देखा जाना चाहिए कि सूचना क्या अनुरोध की गयी तथा लोक सूचना अधिकारी ने क्या उपलब्ध कराई? भ्रामक सूचना उपलब्ध कराने का कथन की भी जांच इसी प्रकार की जानी चाहिए कि सूचना के लिए अनुरोध पत्र में क्या सूचना मांगी गई क्या दी गयी? क्या दी गयी सूचना वास्तव में सही सूचना नहीं है? इसी प्रकार जिस सूचना को असत्य कहा जा रहा है क्या वह उस बिन्दु पर धारित सूचना से भिन्न सूचना है?

21. अपील के विचारण में यह देखना चाहिए कि सूचना के लिए अनुरोध पत्र कब प्राप्त हुआ? सूचना 30 दिन की अवधि में दी गयी या नहीं। जो सूचना दी जानी चाहिए और 30 दिन के बाद भी नहीं दी गयी है वह सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए आदेश करने चाहिए।

22. निर्धारित समय सीमा में सूचना के शुल्क की मांग करने पर अनुरोधकर्ता द्वारा शुल्क भुगतान किये बगैर अपील यह कहते हुए कि सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई प्रस्तुत की जाती है। ऐसी अपील पोषणीय नहीं होती। अपीलार्थी ने स्वयं सूचना के लिए शुल्क का भुगतान नहीं किया है ऐसी अपील पोषणीय न होने के आधार पर खण्डित कर देनी चाहिए। यदि अपील अधिक शुल्क की मांग किये जाने या विलम्ब से शुल्क की मांग किये जाने के आधार पर की गयी है और प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपील के निस्तारण के समय यह पाया जाता है कि लोक सूचना अधिकारी के द्वारा नियमानुसार शुल्क की मांग की गयी है तो ऐसी स्थिति में निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराये जाने के आदेश न दिए जाएं।

23. अपील में प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी को देखना चाहिए कि लोक सूचना अधिकारी ने सूचना के लिए अनुरोध पत्र ऐसे गैर सरकारी संगठन जो लोक प्राधिकारी नहीं हैं उसको सूचना के लिए अनुरोध पत्र का अन्तरण तो नहीं किया गया है। ऐसा अन्तरण अनुचित है। जो संस्थान लोक प्राधिकारी नहीं है

उसकी धारित सूचना उस संस्थान से प्राप्त नहीं की जा सकती। केवल निजी संस्थान की ऐसी सूचना जो किसी कानून में लोक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त की जा सकती है निजी संस्थान से प्राप्त कर अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराई जा सकती है। निजी संस्थान की अन्य सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में "सूचना" नहीं है जिसे निजी संस्थान से मांग कर अनुरोधकर्ता को उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। अपील में यह देखा जाये कि निजी संस्थान की जो सूचना अनुरोधकर्ता ने मांगी है क्या वह किसी कानून के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी को प्राप्त हो सकती है? यदि नहीं तो लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना मांगने के पत्र को निरस्त करना चाहिए और विभागीय अपील में लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के लिए अनुरोध पत्र को निरस्त करने को उचित मानना चाहिए।

24. अपील में प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी को यह देखना चाहिए कि तीसरे पक्ष की सूचना देने अथवा न देने का आदेश दिये जाने से पूर्व तीसरे पक्ष को धारा 11 के अनुसार पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। तीसरे पक्ष द्वारा जो पक्ष रखा उसे लोक सूचना अधिकारी ने सूचना देने के निर्णय लेते समय विचार में रखा। तीसरे पक्ष की सूचना न देने के विरूद्ध सूचना के लिए अनुरोधकर्ता द्वारा अपील में तीसरे पक्ष को भी पक्षकार अवश्य बना कर तीसरे पक्ष की सूचना प्रकटन न करने के बिन्दु पर उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए।

25. अपील के विचारण में यह देखा जाना चाहिए कि ऐसी सूचना के लिए अनुरोध तो नहीं किया गया जो धारित नहीं है संकलित करना पड़ेगा। ऐसी सूचना प्राप्त करने के लिए अपील को अस्वीकार किया जाना चाहिए।

26. अपील ऐसी सूचना प्राप्त करने के लिए किये जाने पर जो निजी सूचना है तथा जो लोक क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है या लोक हित की नहीं है तब सूचना प्राप्त करने के लिए अपील को अस्वीकार करना चाहिए जब तक कि समाधान न हो जाये कि सूचना का प्रकटन, वृहत्तर लोक हित में है। इसी प्रकार निजता का अतिक्रमण करने वाली सूचना प्राप्त करने के संबंध में की गयी अपील पर विचार कर उसे अस्वीकार किया जाना चाहिए।

लोक प्राधिकरणों हेतु निर्देश

लोक प्राधिकारी ऐसी सूचनाओं के भंडार होते है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त करना नागरिकों का अधिकार है। नागरिकों की सूचना तक पहुंच को सुगम बनाने के उददेश्य से अधिनियम में लोक प्राधिकरियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण दायित्व निर्धारित किये गये है जोकि अधिनियम की धारा 2 (ज), 4, 5(1)(2), 6(3), 19(8) (क) (ख), 25(2) (3) (5) (ए) एवं 26(1) (ख) (ग) (घ) में दिए गए हैं।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में धारा 2 (ज) के अंतर्गत लोक प्राधिकारी को परिभाषित किया गया है। जिसके क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 04 / स.अ.प्र.XXXI (13)G/2007 दिनांक, 18 मई 2007 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में निम्न सभी इकाईयों को लोक प्राधिकारी माना गया है -

i. सचिवालय के शासन के समस्त विभाग
ii. शासन के समस्त निदेशालय, विभाग के आकार तथा कार्यों की प्रकृति तथा इन इकाईयों की स्वायत्तता व विभिन्नता के अनुसार निदेशालय की लोक प्राधिकारी इकाईयां निम्न स्तर पर हो सकती हैं-
    (अ) मुख्यालय स्तर ।
    (ब) मण्डल स्तर ।
    (स) जिला स्तर।
    (द) सब-डिवीजन स्तर ।
    (य) विकास खण्ड स्तर ।
    (र) स्थानीय / ग्राम स्तर।
iii. राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा स्थापित या गठित प्रत्येक सार्वजनिक निगम, बोर्ड / परिषद, आयोग, संस्थान / अकादमी, प्राधिकरण, अधिकरण, न्यायाधिकरण, स्वायत्तशासी संस्था, फोरम, समिति तथा अन्य निकाय जो राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गयी निधियों द्वारा पर्याप्त मात्रा में वित्त पोषित (सब्सटैंशियली फाइनेन्स्ड) हैं।
iv. शहरी क्षेत्र के समस्त स्थानीय निकाय जिसमें प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम सम्मिलित हैं।
v. ग्रामीण क्षेत्र के समस्त स्थानीय निकाय जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत, वन पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, सहकारी समिति, तथा सहकारी संघ सम्मिलित हैं।
vi. ऐसे गैर सरकारी संगठन जो राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गयी निधियों द्वारा पर्याप्त मात्रा में वित्त पोषित (सब्सटैंशियली फाइनेन्स्ड) अथवा लाभान्वित है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में दिए गए प्रावधानों और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को संकलित करते हुए लोक प्राधिकारियों के द्वारा जो कार्य किया जाना है का विवरण निम्न प्रकार से है –

रिकार्डों का रख-रखाव और कंप्यूटरीकरण

अधिनियम के प्रावधानों के कारगर कार्यान्वयन के लिए रिकार्डों का समुचित प्रबंधन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अतः लोक प्राधिकारी को अपने सभी अभिलेखों का समुचित रख-रखाव करना चाहिए। उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके सभी रिकार्ड विधिवत् तालिकाबद्ध और सूचीबद्ध हो, ताकि सूचना के अधिकार को सुकर बनाया जा सके।

स्वतः प्रकटन

प्रत्येक लोक प्राधिकारी से अपेक्षित है कि वे लोगों को सम्प्रेषण के विभिन्न माध्यमों से अधिक-से-अधिक सूचना मुहैया कराये ताकि लोगों को सूचना प्राप्त करने के लिए अधिनियम का कम-से-कम प्रयोग करना पड़े। इंटरनेट सम्प्रेषण के सबसे प्रभावी साधनों में से एक है। निम्न सूचनाओं को वेबसाइट पर अवश्य पोस्ट की जानी चाहिए –

1. खरीद से सम्बन्धित जानकारी,
2. सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी०पी०पी),
3. स्थानांतरण नीति एवं स्थानांतरण आदेश,
4. आरटीआई आवेदन
5. एजी का पैरा,
6. विवेकाधीन और गैर विवेकाधीन निधि
7. नागरिक चार्ट
8. अनुशासनात्मक कार्यवाही की संख्या
9. विदेशी दौरे और यात्राओं का विवरण
10. लोक प्राधिकारी का मैनुअल (मैनुअल कब तक अद्यावधिक है का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा)
11. मण्डल/जनपद/तहसील/विकास खण्ड स्तर पर वेबसाइट की सुविधा उपलब्ध न होनी की स्थिति में सम्बंधित स्तर के लोक प्राधिकारियों का मैनुआल भी विभागाध्यक्ष स्तर पर विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
12. नियमों, विनियमों, निर्देश मैनुअल और अभिलेखों की सूची।
13. वेबसाइट में सभी प्रासंगिक अधिनियम, नियम, प्रपत्र और अन्य दस्तावेज जो आम तौर पर नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाते हैं।
14. शासन स्तर से जारी शासनादेश, दिशा-निर्देश तथा विभागाध्यक्ष स्तर से जारी प्रमुख आदेश, कार्यालय ज्ञाप, दिशा-निर्देश को भी विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना
15. नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की जाने वाली अधिकारों / सेवाओं का पूर्ण विवरण उपलब्ध होना चाहिए।

16. वेबसाइटों में प्रमुख संपर्कों की विस्तृत निर्देशिका, सार्वजनिक प्राधिकरण के अधिकारियों का विवरण होना चाहिए।
17. आरटीआई अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) (xiv) के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध या उसके पास मौजूद विवरण का खुलासा
18. वेब पेज पर आरटीआई के तहत सक्रिय रूप से प्रकट की गई जानकारी या डेटा शीर्ष दाएं कोने पर, अनिवार्य फील्ड अंतिम अद्यतन तिथि के साथ प्रदर्शित किया गया है या नहीं
19. विभाग में नामित लोक सूचना अधिकारी / विभागीय अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, पूर्ण पता व सम्पर्क हेतु दूरभाष नम्बर को भी प्रदर्शित किया जाना थाहिए।

अधिनियम की धारा **4(1)(**ख**)** के अनुसार सभी लोक प्राधिकरणों से यह अपेक्षित है कि वे सूचना की निम्न श्रेणियों को विशेष रूप से प्रकाशित करेंगे -

4(1) (ख) की उप धारा	अधिनियममें प्रावधान	अभिलेख/विवरण जिसका उल्लेख किया जाना है।
(i)	अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य	(1) संगठन का नाम और पता
		(2) संगठन का प्रमुख
		(3) विजन, मिशन और मुख्य उद्देश्य
		(4) कार्य और कर्तव्य
		(5) संगठन चार्ट
		(6) कोई अन्य विवरण - विभाग की उत्पत्ति, स्थापना, गठन और समय-समय पर विभागाध्यक्षों के साथ-साथ गठित समितियों/आयोगों का विवरण
(ii)	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य,	(1) अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य (प्रशासनिक, वित्तीय औरन्यायिक)
		(2) अन्य कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य
		(3) नियम/आदेश जिनके अंतर्गत शक्तियां और कर्तव्य प्राप्त होते हैं और
		(4) सम्पादित कार्य
		(5) कार्य आवंटन
(iii)	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है	(1) निर्णय लेने की प्रक्रिया, निर्णय लेने के प्रमुख बिंदुओं की पहचान करना
		(2) अंतिम निर्णय लेने का अधिकार
		(3) संबंधित प्रावधान, अधिनियम, नियम आदि
		(4) निर्णय लेने की समय सीमा, यदि कोई हो
		(5) पर्यवेक्षण और जवाबदेही का चैनल
(iv)	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान	(1) प्रस्तावित कार्यों/सेवाओं की प्रकृति
		(2) कार्यों/सेवा वितरण के लिए मानदण्ड /मानक
		(3) वह प्रक्रिया जिसके द्वारा इन सेवाओं तक पहुँचा जा सकता है
		(4) लक्ष्य प्राप्त करने की समय-सीमा

		(5) शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया
(v)	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	1) रिकॉर्ड/मैनुअल/निर्देश का शीर्षक और प्रकृति।
		2) नियमों, विनियमों, निर्देश मैनुअल और अभिलेखों की सूची।
		3) अधिनियम/नियम मैनुअल आदि।
		4) स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश
(vi)	ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गो का विवरण ,	(1) दस्तावेजों की श्रेणियाँ
		(2) दस्तावेजों/श्रेणियों का संरक्षक
(vii)	किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए याउनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है,	जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व की व्यवस्था
		(1) प्रासंगिक अधिनियम, नियम, प्रपत्र और अन्य दस्तावेज जो आम तौर पर नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाते हैं।
		(2) परामर्श या प्रतिनिधित्व की व्यवस्था द्वारा
		क) नीति निर्माण/नीति कार्यान्वयन में जनता के सदस्य
		बी) आगंतुकों के लिए दिन और समय आवंटित
		ग) आरटीआई आवेदकों द्वारा अक्सर मांगे जाने वाले प्रकाशन प्रदान करने के लिए सूचना एवं सुविधा काउटंर (आईएफसी) का संपर्क विवरण
		सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी)
		(1) विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का विवरण, यदि कोई हो
		(2) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)
		(3) रियायती समझौते।
		(4) संचालन और रखरखाव मैनुअल
		(अ) पीपीपी के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में तैयार किए गए अन्य दस्तावेज
		(ब) फीस, टोल या अन्य प्रकार के राजस्व से संबंधित जानकारी जो सरकार से प्राधिकरण के तहत एकत्र की जा सकती है
		(स) आउटपुट और परिणामों से संबंधित जानकारी
		(द) निजी क्षेत्र की पार्टी (रियायत प्राप्तकर्ता आदि) के चयन की प्रक्रिया
		(ध) पीपीपी परियोजना के तहत किएगए सभी भुगतान
(viii)	ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भाग रूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस	(1) बोर्ड, परिषद, समिति आदि का नाम।
		(2) रचना
		(3) तारीखें जिनसे गठन हुआ
		(4) अवधि/कार्यकाल
		(5) शक्तियाँ और कार्य
		(6) क्या उनकी बैठकें जनता केलिए खुलीहैं?
		(7) क्या बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए खुले हैं?
		(8) वह स्थान जहां जनता के लिए खुले मिनट उपलब्ध हैं?

	बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी	
(ix)	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	(1) नाम और पदनाम
		(2) टेलीफोन, फैक्स और ईमेल आईडी
(x)	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हैं	1) सकल मासिक पारिश्रमिक वाले कर्मचारियों की सूची
		(2) मुआवजे की प्रणाली जैसा कि इसके नियमों में प्रदान किया गया है
(xi)	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टो की विशिष्टियां प्रदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट	(1) सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए कुल बजट
		(2) प्रत्येक एजेंसी और योजनाएवं कार्यक्रमों के लिए बजट
		(3) प्रस्तावित व्यय
		(4) प्रत्येक एजेंसी के लिए संशोधित बजट, यदि कोई हो
		(5) किए गए संवितरण पर रिपोर्ट और वह स्थान जहां संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध हैं
(xii)	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदा ग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है	(1) गतिविधि के कार्यक्रम का नाम
		(2) कार्यक्रम का उद्देश्य
		(3) लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया
		(4) कार्यक्रम/योजना की अवधि
		(5) कार्यक्रम के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य
		(6) सब्सिडी कास्वरूप/पैमाना/आवंटित राशि
		(7) सब्सिडी अनुदान के लिए पात्रता मानदंड
		(8) सब्सिडी कार्यक्रम के लाभार्थियों का विवरण (संख्या, प्रोफाइल आदि)
(xiii)	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों याप्राधिकारों के प्रासिकर्ताओं की विशिष्टिया	(1) सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दी गई रियायतें, परमिट या प्राधिकरण
		(2) दी गई प्रत्येक रियायत, परमिट या प्राधिकरण के लिए
		क) पात्रता मानदंड
		ख) रियायत/अनुदान और/ या प्राधिकरणों के परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया
		ग) रियायतें/ परमिट या प्राधिकरण प्राप्तकर्ताओं का नाम औ रपता
		घ) रियायतें / प्राधिकरण परमिट प्रदान करने की तिथि
(xiv)	किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे,	(1) इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी का विवरण
		(2) दस्तावेज/रिकॉर्ड/अन्य जानकारी का नाम/शीर्षक
		(3) स्थान जहां उपलब्ध हों

	जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हो	
(xv)	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोगके लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित है	(1) संकाय का नाम और स्थान
		(2) उपलब्ध कराई गई जानकारी का विवरण
		(3) सुविधा के कार्य घंटे
		(4) संपर्क व्यक्ति और संपर्क विवरण (फोन, फैक्स ईमेल)
(xvi)	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टिया	लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना और अपीलीय प्राधिकारी का नाम और पदनाम
		(2) प्रत्येक नामित अधिकारी कापता, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी।
(xvii)	ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए.	(1) शिकायत निवारण तंत्र
		(2) आरटीआई के तहत प्राप्त आवेदनों और प्रदान की गई जानकारी का विवरण
		(3) पूर्ण योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों की सूची
		(4) चल रही योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों की सूची
		(5) ठेकेदार के नाम सहित किए गए सभी अनुबंधों का विवरण, अनुबंध की राशि और अनुबंध पूरा होने की अवधि
		(5) वार्षिक रिपोर्ट
		(6) अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
		(7) कोई अन्य जानकारी जैसे
		क) नागरिक चार्ट
		ख) परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज (आरएफडी)
		ग) छह मासिक रिपोर्ट
		घ) नागरिक चार्ट में निर्धारित मानकों के विरुद्ध प्रदर्शन
		ड़) विधान सभा में पूछे गये प्रश्न और उनके उत्तर
		(8) धारा 4 के तहत अधिक से अधिक अभिलेखों के स्वःप्रकटन हेतु नामित नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, दूरभाष/मो0न0, पूर्ण पता
		(9) एजी का पैरा धारा 8 के अधीन रहते हुए
		(10) लोक प्राधिकारी के द्वारा आयोजित आर0टी0आई0 के प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण

किसी लोक प्राधिकारी के द्वारा प्रकाशन के लिए सरकार, सूचना की उक्त सूचना श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य श्रेणी भी निर्धारित कर सकती है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि

ऊपर संदर्भित सूचना का प्रकाशन वैकल्पिक नहीं है। यह एक सांविधिक आवश्यकता है, जिसे पूरा करना प्रत्येक लोक प्राधिकारी के लिए जरूरी है।

अतिसकिय प्रकटन स्थानीय भाषा में किया जाना चाहिए ताकि लोग इसे आसानी से समझ सकें। इसे ऐसे रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसे आसानी से समझा जा सके और यदि इसमें तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उनकी व्याख्या सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए। जैसा कि धारा 4 में व्यवस्था है, प्रकटन यथाव्यवहार्य अनेक माध्यमों जैसे नोटिस बोर्ड, समाचारपत्र, सार्वजनिक घोषणाएं, मीडिया ब्रॉडकास्ट, इंटरनेट अथवा अन्य किसी माध्यम से किया जाना चाहिए। इस प्रकटनों को अदद्यतित रखा जाना चाहिए। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 से 11 तक के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सूचना का प्रकटन किया जाना चाहिए।

प्रत्येक लोक प्राधिकारी को यह ध्यान रखना चाहिए कि इसकी वेबसाइट पर किये गये अतिसक्रिय प्रकटन पूर्ण, आसानी से प्राप्त किये जाने वाले और तकनीकी एवं पटल-निष्पक्ष हैं और ऐसे रूप में हैं जो प्रभावी एवं प्रयोक्तानुकूल तरीके से वांछित सूचना प्रदान करते हैं।

लोक सूचना अधिकारियों / सहायक लोक सूचना अधिकारियों आदि का पदनाम

प्रत्येक लोक प्राधिकारी को अपने अधीनस्थ सभी प्रशासनिक एककों तथा कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारी नामोदिष्ट करने होते है। प्रत्येक लोक प्राधिकारी से प्रत्येक उप-मंडल स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारियों को नामोदिष्ट/अभिहित करना भी अपेक्षित है। जिसका सम्पूर्ण विवरण यथा पदनाम, पूर्णपता, दूरभाष / फैक्स नम्बर तथा ई-मेल उपलब्ध हो तो ई-मेल भी प्रतिवर्ष अद्यतन कर उसकी एक प्रति उत्तराखण्ड शासन के सामान्य प्रशासन विभाग तथा उत्तराखण्ड सूचना आयोग को उपलब्ध करायी जायेगी।

अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7 की उप धारा (8) में यह प्रावधान है कि यदि सूचना का अनुरोध अस्वीकृत किया जाता है तो लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को अन्य बातों के साथ-साथ अपीलीय प्राधिकारी का विवरण भी भेजेगा। इस प्रकार, जब सूचना हेतु अनुरोध अस्वीकृत किया जाता है, तो आवेदक को अपीलीय प्राधिकारी के बारे में विवरण भेजा जाता है लेकिन यह भी संभव है कि लोक सूचना अधिकारी आवेदन को तो अस्वीकृत न करें किंतु आवेदक को अधिनियम में निर्दिष्ट समय के भीतर निर्णय प्राप्त न हो पाए अथवा वह लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से व्यथित हो। ऐसे में, आवेदक अपने अपील के अधिकार का प्रयोग करना चाहेगा। लेकिन अपीलीय प्राधिकारी के विवरण के अभाव में आवेदक को अपील करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। अतः सभी लोक प्राधिकरणों से अपेक्षा है कि वे प्रथम अपीलीय प्राधिकारी नामोदिष्ट करें और उनका विवरण लोक सूचना अधिकारियों के विवरणों के साथ-साथ प्रकाशित करें।

शुल्क की प्राप्ति

सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 के अनुसार, कोई भी आवेदक देय शुल्क का भुगतान लोक प्राधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी को नकद रूप में अथवा लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी को डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक अथवा भारतीय पोस्टल ऑडर या नॉन ज्यूडीसियल स्टाम्प पेपर द्वारा कर सकता है। लोक प्राधिकरी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शुल्क के भुगतान के उक्त तरीकों में से किसी को भी मना न किया जाये अथवा आवेदनकर्ता को लोक सूचना अधिकारी /सहायक लोक सूचना अधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य अधिकारी के नाम पर भारतीय पोस्टल आर्डर (आईपीओ) इत्यादि आहरित करने के लिए विवश न किया जाये।

सूचना आयोग के आदेशों का अनुपालन

आयोग के निर्णय बाध्यकारी हैं। लोक प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आयोग द्वारा पारित आदेश कार्यान्वित हों। यदि लोक प्राधिकारी अथवा लोक सूचना अधिकारी आयोग के किसी आदेश से संतुष्ट नही है तो वह आदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल कर सकता है।

सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ का सृजन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 की उप धारा (1) यह अधिदेश करती है कि इसके अंतर्गत सूचना मुहैया कराने के लिए सभी लोक प्राधिकारियों को यथाआवश्यक संख्या में लोक सूचना अधिकारियों को नामोदिष्ट / अभिहित हों, तो वहां आवेदक को उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी तक पहुंचाने में कठिनाई हो सकती है। आवेदकों को लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ उस अधिकारी की पहचान करने में भी समस्या आ सकती है, जिसके पास अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (1) के अंतर्गत अपील की जा सकती है।

इसलिए एक से अधिक लोक सूचना अधिकारी वाले सभी लोक प्राधिकारियों को चाहिए कि वे संगठन के अंदर एक ऐसे सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ का सृजन करें, जहां, सूचना के लिए सभी आवेदन और प्रथम अपीलीय अधिकारियों को संबोधित अपीले प्राप्त की जा सकें एवं उन्हें संबंधित लोक सूचना अधिकारी / विभागीय अपीलीय अधिकारी को भेजा जा सके।

आवेदनों का हस्तांतरण

अधिनियम में प्रावधान है कि यदि किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी किसी सूचना के लिए आवेदन किया जाता है जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है; अथवा जिसकी विषयवस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कार्यों से अधिक सम्बद्ध है तो आवेदन प्राप्त करने वाला लोक प्राधिकारी आवेदन अथवा उसके संगत भाग को आवेदन की प्राप्ति के पांच दिन के भीतर सम्बद्ध लोक प्राधिकारी को अंतरित कर देगा। लोक प्राधिकारियों को चाहिए कि वे अपने प्रत्येक

अधिकारी को अधिनियम के इस प्रावधान के बारे में संवेदनशील बनाएं, ताकि ऐसा न हो कि देरी के लिए आवेदन प्राप्त करने वाले लोक प्रधिकरण को ही जिम्मेवार ठहरा दिया जाए।

यदि कोई व्यक्ति किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगता है जिसका कुछ भाग उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है तथा शेष सूचना अन्य कई लोक प्राधिकरियों के पास है, तो ऐसी स्थिति में आवेदन प्राप्त करने वाले लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी को अपने से सम्बंधित सूचना दे देनी चाहिए तथा साथ ही आवेदक को सलाह देनी चाहिए कि शेष सूचना प्राप्त करने के लिए वह सम्बन्धित लोक प्राधिकरणों को अलग-अलग आवेदन करें। यदि मांगी गई सूचना का कोई भी हिस्सा आवेदन प्राप्त करने वाले लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध नहीं हैं, तो लोक सूचना अधिकारी को आवेदक को यह सूचित कर देना चाहिए कि उस लोक प्राधिकारी के पाास सूचना उपलब्ध नहीं है और साथ ही उसे आवेदक को यह सलाह देनी चाहिए कि सूचना प्राप्त करने के लिए वह संबंधित लोक प्राधिकरणों को अलग-अलग आवेदन करें। तथापि, यदि लोक सूचना अधिकारी के पास उन लोक प्राधिकरणों का ब्योरा हो जिनके पास आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना हो, तो ऐसे ब्योरे भी आवदेक को प्रदान किए जाएं।

यदि कोई व्यक्ति किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना के लिए आवेदन करता है, जो किसी केन्द्रीय या अन्य राज्य सरकार या संध राज्य क्षेत्र के प्रशासन के लोक प्राधिकारी से संबंधित है तो आवेदन प्राप्त करने वाले लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी को आवेदक को सूचित कर देना चाहिए कि सूचना संबंधित केन्द्रीय / राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से प्राप्त की जाए। ऐसी स्थिति में, आवेदन को केन्द्रीय / राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

लोक प्राधिकारी से अपेक्षित उपाय

1. अपने विनिश्चय में, राज्य सूचना आयोग को अधिनियम की धारा 19(8) के अन्तर्गत लोक प्राधिकारियों से निम्नलिखित अपेक्षा किये जाने की शक्ति है -

(क) लोक प्राधिकरण से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना, जो इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी है:-

(i) सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना, यदि विशिष्ठ प्ररूप में ऐसा अनुरोध किया गया है;

(ii) यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करना;

(iii) कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करना;

(iv) अभिलेखों के अनुरक्षण, प्रबंध और विनाश से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना;

(v) अपने अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ाना;

(vi) धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराना;

(ख) लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को, उसके द्वारा सहन की गई किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरित करने की अपेक्षा करना;

2. राज्य सूचना आयोग के द्वारा लोक सूचना अधिकारी पर अधिरोपित की गयी शास्ति तथा अनुरोधकर्ता की हुई क्षति की प्रतिपूर्ति (क्षतिपूर्ति) हेतु दिए गए आदेश का अनुपालन लोक प्राधिकारी से उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 के नियम 11 के तहत अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने की अपेक्षा करना।

राज्य सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट

सूचना आयोग से, प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के पश्चात उस वर्ष के दौरान अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन संबंधी एक रिपोर्ट तैयार करना अपेक्षित है। प्रत्येक मंत्रालय अथवा विभाग से अपेक्षित है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले लोक प्राधिकरणों से रिपोर्ट तैयार करने हेतु सूचना एकत्र करें और आयोग की रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, सम्बद्ध वर्ष के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं समाविष्ट होती है;

(क) प्रत्येक लोक प्राधिकारी को किए गए अनुरोधों और प्रथम अपील की संख्या;

(ख) ऐसे निर्णयों की संख्या जहां आवेदक अनुरोध किए गए दस्तावेजों को प्राप्त करने के हकदार नहीं थे, अधिनियम के प्रावधान जिनके अधीन ये निर्णय किए गए और उन अवसरों की संख्या, जहां ऐसे प्रावधानों का प्रयोग किया गया,

(ग) अधिनियम को लागू करने के संबंध में अधिकारियों के विरूद्ध की गई अनुशाासनिक कार्रवाई के ब्योरे;

(घ) अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा एकत्र प्रभारों की राशि; और

(ङ) ऐसे तथ्य जो अधिनियम के भाव और अभिप्राय को प्रशासित और कार्यान्वित करने हेतु लोक प्राधिकारियों द्वारा किए गए किसी प्रयास को दर्शाएं।

प्रत्येक लोक प्राधिकारी को वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद आवश्यक सामग्री अपने विभाग को भेज देनी चाहिए ताकि विभाग उसे सूचना आयोग को भेज सके और आयोग इसे अपनी रिपोर्ट में शामिल कर सके।

निर्धारित प्रकिया में अधिनियम की भावना के अनुरूप संशोधनों की अनुशंसा करना

यदि सूचना आयोग को ऐसा प्रतीत होता है किसी लोक प्राधिकारी की कोई प्रक्रिया अधिनियम के प्रावधनों अथवा अभिप्राय के अनुरूप नहीं हैं, तो वह लोक प्राधिकारी से ऐसे कदम उठाने की अनुशंसा कर सकता है जिससे प्रक्रिया अधिनियम के अनुरूप हो जाए। लोक प्राधिकारी को चाहिए कि वह अपनी अभिक्रिया को अधिनियम के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके उत्तर

प्र० **01** जो 'सूचना' नष्ट की जा चुकी है क्या उसको प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जा सकता है**?**

उत्तरः लोक प्राधिकारी के कार्यालय में अभिलेखों को सुरक्षित रखने की निर्धारित अवधि होती है। उस अवधि के बाद अभिलेख नष्ट कर दिये जाते हैं। नष्ट कर दिये गये अभिलेखों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए सूचना के लिए अनुरोध करने पर, नष्ट कर दिये गये अभिलेखों की 'सूचना' दिये जाने की कोई बाध्यता नहीं है। किन्तु विनिष्ट किये गये अभिलेखों को विनिष्ट किये जाने का प्रमाण अनुरोधकर्ता को दिया जाना चाहिए। अभिलेखों के नष्ट किये जाने से पूर्व सूचना के लिए अनुरोध करने पर अभिलेखों से सूचना उपलब्ध करायी जायेगी यदि वह सूचना धारा 8 (1) तथा धारा 9 के अन्तर्गत प्रकटन से निषिद्ध नहीं है।

प्र० **02** लोक प्राधिकारी के कार्यालय में 'सूचना' कब तक सुरक्षित रखी जानी होती है**?**

उत्तरः लोक प्राधिकारी के कार्यालय में सूचना तब तक सुरक्षित रखी जानी होती है जब तक के लिए लोक प्राधिकारी पर अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए लागू नियम या निर्देशों में सूचना को सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है। निर्धारित समय अवधि पूर्ण होने पर सूचना नष्ट की जा सकती है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 सूचनाओं को सुरक्षित रखने की अवधि बढ़ाने के लिए नहीं कहता है।

प्र० **03** धारा **8 (3)** सूचना का अधिकार अधिनियम**, 2005** के प्रावधान में किसी घटना**,** वृत्तान्त या विषय जो सूचना के लिए अनुरोध करने से **20** वर्ष पूर्व घटित हुई थी से सम्बन्धित 'सूचना' उपलब्ध कराने का क्या अर्थ है**?**

उत्तरः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1) के 10 विभिन्न उपखण्डों में ऐसी सूचनाएं जो प्रकटन से छूट प्राप्त हैं के सम्बंध में प्रावधान है। यह सूचनांए स्थायी रूप से अभिलेखों में सुरक्षित रहती है अथवा इनको 20 वर्ष से भी अधिक अवधि तक सुरक्षित रखा जाता है। उक्त प्रकटन से छूट प्राप्त सूचनाओं में से धारा 8 (1) के उपखण्ड (क), उपखण्ड (ग), तथा उपखण्ड (झ) की सूचनाओं को छोडकर धारा 8 (1) के उपखण्ड (ख), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज) तथा (ञ) की सूचनाएं घटना, वृत्तान्त या विषय के घटित होने के 20 वर्ष बाद सूचना के लिए अनुरोध करने पर उपलब्ध करायी जायेगी। परन्तु यदि यह सूचना इस सूचना को सुरक्षित रखने की निर्धारित समय अवधि के बाद नष्ट कर दी गयी है तब वह सूचना उपलब्ध कराने की बाध्यता नहीं है।

प्र० **04** जो सूचना अभिलेखों में है क्या उससे अनुरोध की गयी सूचना बनाकर देनी होती है**?**

उत्तरः नहीं। जो सूचना अभिलेखों में जैसे धारित है वैसी ही 'सूचना' अनुरोध करने पर दी जा सकती है। धारित सूचना को अन्य धारित सूचना के साथ मिलाकर या विश्लेषण करके अनुरोध करी गयी सूचना तैयार नहीं करना होता है।

प्र० **05** क्या सूचना के लिए अनुरोध पत्र में किसी विषय पर प्रश्नों के उत्तर**,** मत या सलाह मांगे जा सकते हैं**?**

उत्तरः नहीं। सूचना के लिए अनुरोध पत्र में प्रश्नों के उत्तर देने, मत या सलाह देने का प्रावधान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में नहीं है। केवल धारित सूचना दिये जाने का प्रावधान है। प्रश्न के सापेक्ष यदि कोई अभिलेख घारित हों तो ऐसे स्थिति में अभिलेख की प्रति उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

प्र० **06** क्या लोक सूचना अधिकारी से सूचना के लिए अनुरोध पत्र में यह अनुरोध किया जा सकता है कि दिये गये विषय और तथ्यों पर जो नियम लागू होते हैं उसकी प्रति उपलब्ध करायें**?**

उत्तरः नहीं। सूचना के लिए अनुरोधकर्ता को स्वयं इच्छित 'सूचना' चिन्हित करनी होगी। लोक सूचना अधिकारी दिये गये विषय और तथ्यों पर कौन सा नियम लागू होता है यह चिन्हित या निर्धारित नहीं करेगा। लोक सूचना अधिकारी सूचना के लिए अनुरोध पत्र में स्पष्ट रूप से चिन्हित सूचना को ही अनुरोधकर्ता को उपलब्ध करायेगा।

प्र० **07** सूचना का अधिकार अधिनियम**, 2005** के अन्तर्गत क्या लोक सूचना अधिकारी की सहायता के लिए सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किया जा सकता है**?**

उत्तरः नहीं। लोक सूचना अधिकारी को सूचना के लिए अनुरोध पत्र पर कार्यवाही के लिए सहायता की आवश्यकता होने पर लोक सूचना अधिकारी किसी व्यक्ति की सहायता धारा 5 (4) के अन्तर्गत प्राप्त कर सकता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी दूरस्थ स्थल यथा तहसील, विकासखण्डों पर नामित करने की व्यवस्था है। सहायक लोक सूचना अधिकारी का दायित्व सूचना के लिए अनुरोध पत्र, अपील, द्वितीय अपील नागरिकों से प्राप्त होने पर उन्हें प्राप्त होने के 5 दिन के अन्दर लोक सूचना अधिकारी, विभागीय अपीलीय अधिकारी अथवा सूचना आयोग को भेजने का है।

प्र०**08** व्यक्तिगत सूचना जो किसी लोकहित या लोक क्रिया कलाप से सम्बन्धित नहीं है अथवा जो व्यक्तिगत निजता का अतिक्रमण करती हो उसके लिए सूचना के लिए अनुरोध पत्र दिये जाने पर उस पर सम्बन्धित व्यक्ति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिए**?** व्यक्तिगत सूचना का प्रकटन कब करना चाहिये**?**

उत्तरः व्यक्तिगत सूचना जो लोकहित या लोक क्रिया कलाप से सम्बन्धित नहीं है, के लिए सूचना के लिए अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर अनिवार्य रूप से सम्बन्धित व्यक्ति को व्यक्तिगत सूचना के प्रकटन पर अपना पक्ष रखने का अवसर देना चाहिये। अवसर दिये जाने पर यदि सम्बन्धित व्यक्ति व्यक्तिगत सूचना के प्रकटन पर अपना पक्ष रखते हुए सूचना के प्रकटन पर आपत्ति करता है तब आपत्ति के आलोक में व्यक्तिगत सूचना के प्रकटन करने का या न प्रकटन करने का निर्णय लिया जाना चाहिये। यदि सम्बन्धित व्यक्ति अपना पक्ष नहीं प्रस्तुत करता तब भी व्यक्तिगत सूचना का प्रकटन करते समय यह देखना चाहिये कि अनुरोधकर्ता ने क्या कोई वृहत्तर जनहित दर्शाया जिसके आलोक में व्यक्तिगत सूचना का प्रकटन किया जाये। यह समाधान होने पर कि सूचना के लिए अनुरोधकर्ता वृहत्तर लोकहित दर्शा पाया है तब ही व्यक्तिगत सूचना का प्रकटन किया जाना चाहिये।

प्र० **09** किसी कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही उसमें पारित दण्डादेश**,** वार्षिक चरित्र प्रविष्टि की सूचना अनुरोध करने पर दी जा सकती है**?**

उत्तरः अनुशासनिक कार्यवाही तथा उसमें पारित दण्डादेश व्यक्तिगत सूचनाएं हैं जिसका किसी लोक क्रिया कलाप या लोक हित से सम्बन्ध नहीं है। इसी प्रकार वार्षिक चरित्र प्रविष्टि भी ऐसी व्यक्तिगत सूचनाएं हैं जिसका किसी लोक किया कलाप या लोक हित से सम्बन्ध नहीं है। वह व्यक्ति जिसकी यह व्यक्तिगत सूचनाएं हैं उनको छोड़कर अन्य सूचना के लिए अनुरोधकर्ताओं भों द्वारा जब तक इस व्यक्तिगत सूचना के प्रकटन के लिए वृहत्तर जनहित नहीं दर्शाया जाता उन सूचनाओं का प्रकटन नहीं किया जायेगा।

प्र० **10** मांगी गयी सूचना के लिए अतिरिक्त शुल्क की मांग एक सप्ताह के बाद करना क्या अनुचित है**?**

उत्तर : नहीं। सूचना प्रदान करने के लिए सूचना शुल्क का मांग पत्र यथासम्भव एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित कर देना चाहिये। सूचना शुल्क के लिए मांग पत्र प्रेषित करने पर सूचना प्रदान करने के लिए समय की गणना रूक जाती है जो सूचना के लिए शुल्क जमा होने पर पुनः प्रारम्भ हो जाती है। सूचना के लिए शुल्क मांगने में अधिक दिवस लगा दिये जाने पर सूचना शुल्क जमा होने के बाद सूचना निर्धारित 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराने के लिए कम समय बचेगा जिसमें इसकी सम्भावना है कि निर्धारित 30 दिन की अवधि व्यतीत होने के बाद 'सूचना' अनुरोधकर्ता को प्रेषित हो। सूचना अनुरोधकर्ता को अनुरोध पत्र प्राप्त होने के 30 दिन में उपलब्ध न होने पर सूचना निःशुल्क उपलब्ध करानी होती है और लोक सूचना अधिकारी प्रत्येक दिन के विलम्ब के लिए रू० 250/- प्रतिदिन की दर से अधिकतम रू0 25,000/- की शास्ति आरोपण का पात्र भी हो सकता है। अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर यथाशीघ्र अतिरिक्त शुल्क की मांग की जानी चाहिए। यदि मांगी गयी सूचना अधिक है तो उसके शुल्क की गणना में समय लगना स्वाभाविक है।

प्र**0 11** क्या अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के लिए मांगे गये शुल्क को भुगतान किये बिना अपीलार्थी द्वारा विभागीय अपील प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत की जा सकती है**?**

उत्तर : लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के लिए मांगे गये शुल्क के अनुचित रूप से अत्यधिक होने के बिन्दु पर विभागीय अपील प्रस्तुत की जा सकती है परन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा मांगे गये शुल्क पर कोई आपत्ति न होने पर सूचना के लिए अनुरोधकर्ता सूचना हेतु शुल्क जमा कराये बिना विभागीय अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं रखता है। ऐसी अपील जो सूचना हेतु मांगे गये शुल्क के विषय पर न होकर अन्य कारणों से हो ऐसी विभागीय अपील अपरिपक्ता एवं अपोषणीय होने के कारण प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा खण्डित कर दी जानी चाहिये।

प्र**0 12** क्या अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध कराने के लिए मांगा गया शुल्क भुगतान किये बिना विभागीय अपील में अनुरोध की गयी सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराने का आदेश उचित है**?**

उत्तरः नहीं। अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर नियमानुसार मांगा गया शुल्क भुगतान किये बिना सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराने का आदेश अनुचित है। सूचना के लिए सूचना शुल्क का मांग पत्र प्रेषित करने के साथ सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित 30 दिन की अवधि की गणना रूक जाती है जो शुल्क जमा करने पर पुनः शुरू होती है। सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रावधानित अवधि के अन्दर विभागीय अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती तथा सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रावधानित अवधि पूर्ण होने से पूर्व सूचना निःशुल्क नहीं उपलब्ध करायी जा सकती।

प्र० **13** तीसरे पक्ष की सूचना अनुरोध किये जाने पर तीसरे पक्ष को सूचना का प्रकटन के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखे जाने का अवसर दिये बगैर अनुरोधकर्ता को सूचना उपलब्ध करायी जा सकती है**?**

उत्तरः नहीं। तीसरे पक्ष की सूचना जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है, के लिए अनुरोध किये जाने पर 'सूचना' अनुरोधकर्ता को उपलब्ध करा दी जायेया नहीं इस बिन्दु पर अपना पक्ष रखने का अवसर 'तीसरे पक्ष' को अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिये। उक्त अवसर दिये जाने पर 'तीसरे पक्ष' ने उक्त पर जो प्रतिवेदन दिया है उसे ध्यान में रखकर ही 'तीसरे पक्ष' से सम्बन्धित सूचना के प्रकटन पर निर्णय लिया जाना चाहिये।

प्र० **14** लोक प्राधिकारी द्वारा धारित तीसरे पक्ष की कौन सी सूचना प्रकट नहीं की जानी चाहिये**?** कौन सी प्रकट की जा सकती है**?**

उत्तर : व्यापार या वाणिज्यिक गुप्त बातें जो विधि द्वारा संरक्षित हैं का प्रकटन नहीं किया जायेगा। उक्त के सिवाय अन्य 'तीसरे पक्ष' की सूचनाएं तभी प्रगट की जा सकती हैं जब तीसरे पक्ष की उन सूचनाओं का प्रकटन तीसरे पक्ष को सम्भावित क्षति से वृहत्तर लोकहित साधता हो।

प्र० **15** क्या तीसरा पक्ष जिसने सूचना का प्रकटन करने पर आपत्ति की है उसकी आपत्ति के बाद भी सूचना के प्रकटन के विरूद्ध अपील कर सकता है**?**

उत्तरः जी हॉ। लोक सूचना अधिकारी तीसरे पक्ष की सूचना प्रकटन से पूर्व तीसरे पक्ष से सूचना के प्रकटन पर आपत्ति आमंत्रित करता है। यदि आपत्ति प्राप्त होने पर भी लोक सूचना अधिकारी सूचना प्रकटन का निर्णय लेता है तब लोक सूचना अधिकारी अपने निर्णय की प्रति तीसरे पक्ष को भी अवश्य देगा जिसमें तीसरे पक्ष को यह बताया जायेगा कि तीसरा पक्ष उक्त निर्णय के विरूद्ध सूचना आयोग में धारा 19 (2) के अन्तर्गत अपील कर सकता है।

प्र० **16** सूचना के लिए अनुरोध पत्र में क्या ऐसी सूचना मांगी जा सकती है जो एक वृहत संगठन या विभाग की विभिन्न प्रशासनिक इकाईयों में धारित है तथा जहां प्रत्येक प्रशासनिक इकाई के लिए पृथक-पृथक लोक सूचना अधिकारी नामित हों**?**

उत्तर : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में धारा 2 (ज) के अंतर्गत लोक प्राधिकारी को परिभाषित किया गया है। जिसके कम में सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 04/सू.अ. प्र.XXXI (13) G/2007 दिनांक, 18 मई 2007 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में निम्न सभी इकाईयां को लोक प्राधिकारी माना गया है-

I. सचिवालय के शासन के समस्त विभाग

ii. शासन के समस्त निदेशालय विभाग के आकार तथा कार्यों की प्रकृति तथा इन इकाईयों की स्वायत्तता व विभिन्नता के अनुसार निदेशालय की लोक प्राधिकारी इकाईयां निम्न स्तर पर हो सकती हैं-

(अ) मुख्यालय स्तर ।
(ब) मण्डल स्तर।
(स) जिला स्तर।
(द) सब-डिवीजन स्तर।
(य) विकास खण्ड स्तर।
(र) स्थानीय / ग्राम स्तर।

iii. राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा स्थापित या गठित प्रत्येक सार्वजनिक निगम, बोर्ड / परिषद, आयोग, संस्थान/अकादमी, प्राधिकरण, अधिकरण, न्यायाधिकरण, स्वायत्तशासी संस्था, फोरम समिति तथा अन्य निकाय जो राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गयी निधियों द्वारा पर्याप्त मात्रा में वित्त पोषित (सब्सटेंशियली फाइनेन्स्ड) हैं।

iv. शहरी क्षेत्र के समस्त स्थानीय निकाय जिसमें प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम सम्मिलित हैं।

V. ग्रामीण क्षेत्र के समस्त स्थानीय निकाय जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत, वन पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, सहकारी समिति, तथा सहकारी संघ सम्मिलित हैं।

vi. ऐसे गैर सरकार संगठन जो राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गयी निधियों द्वारा पर्याप्त मात्रा में वित्त पोषित (सब्सटैंशियली फाइनेन्स्ड) अथवा लाभान्वित है।

उपरोक्त स्थिति में वृहत संगठन / विभाग की प्रशासनिक इकाई भी लोक प्राधिकारी हैं जिनके कार्यालय में भी लोक सूचना अधिकारी नामित हैं। ऐसे लोक सूचना अधिकारी अपनी प्रशासनिक इकाई में ही धारित सूचना अनुरोधकर्ता को उपलब्ध करना के लिए बाध्य हैं। सूचना के लिए अनुरोधकर्ता को प्रत्येक प्रशासनिक इकाई से जोकि स्वयं में लोक प्राधिकारी भी हैं, पृथक-पृथक सूचना के लिए अनुरोध करना चाहिये। किसी एक प्रशासनिक इकाई की सूचना के लिए अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर सम्बन्धित प्रशासनिक इकाई को जो अपने आप में लोक प्राधिकारी भी हैं, अपने कार्यालय में धारित सूचना देने पर विचार करना चाहिये तथा शेष उन प्रशासनिक इकाईयों में धारित सूचना प्राप्त करने के लिए सूचना के लिए पृथक से संबंधित प्रशासनिक इकाईयों में अनुरोध किये जाने हेतु अनुरोधकर्ता को अवगत कराया जाना चाहिये।

प्र० **17.** क्या सूचना के लिए अनुरोध पत्र किसी विभाग / संगठन के उच्चतर कार्यालय में प्रेषित किये जाने पर अथवा दिये जाने पर सूचना के लिए अनुरोध पत्र को संगठन / विभाग की उस प्रशासनिक इकाई को भेजना चाहिये जहां सूचना धारित है**?** अथवा अपने से नीचे प्रक्रम के कार्यालय पर और इस प्रकार कई कार्यालयों से होता हुआ सूचना के लिए अनुरोध पत्र उस प्रशासनिक इकाई जहां सूचना धारित है उसको उपलब्ध कराया जाना चाहिये**?**

उत्तरः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है संबंधित लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी से अनुरोध करेगा। यदि आवेदक के द्वारा उच्च स्तर अथवा अन्य किसी स्तर पर आवेदन किया जाता है तो संबंधित लोक सूचना अधिकारी के द्वारा सूचना जिस स्तर पर धारित है, के लोक सूचना अधिकारी को सीधे प्रेषित किया जाएगा।

प्र० **18.** जब सूचना के लिए अनुरोध पत्र में कई लोक प्राधिकारियों के कार्यालयों में धारित सूचना के लिए अनुरोध किया गया हो तब अन्य सभी लोक प्राधिकारियों को सूचना के लिए अनुरोध पत्र अन्तरित करने चाहिये**?**

उत्तरः नहीं। लोक सूचना अधिकारी अपने लोक प्राधिकारी कार्यालय में धारित सूचना उपलब्ध कराने पर विचार करें। एक से अधिक अन्य लोक प्राधिकारियों से संबंधित सूचना होने पर संबंधित लोक प्राधिकारियों से पृथक से आवेदन किये जाने हेतु अवगत कराया जाना चाहिए। सूचना के लिए अनुरोध पत्र में आंशिक रूप से सूचना अन्य लोक प्राधिकारी की है तब सूचना के लिए अनुरोध पत्र उस अन्य लोक प्राधिकारी को अन्तरित कर दिया जाए। यदि लोक सूचना अधिकारी को यह भली-भांति नहीं ज्ञात है कि आंशिक सूचना किस अन्य लोक प्राधिकारी के कार्यालय में धारित है तब सूचना के लिए अनुरोध पत्र अन्तरित न करके उस आंशिक सूचना को प्राप्त करने के लिए सूचना के लिए अनुरोधकर्ता को वापस कर दें। अनुमान के आधार पर सूचना के लिए अनुरोध पत्र अन्य लोक प्राधिकारी को अन्तरित करना स्वस्थ और उचित परिपाटी नहीं है।

प्र० **19.** क्या राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित निजी विद्यालय लोक प्राधिकारी है**?**

उत्तरः जी हां। राज्य सरकार द्वारा मासिक रूप से शिक्षकों के वेतन भुगतान आदि के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले विद्यालय लोक प्राधिकारी है।

प्र० **20.** क्या ऐसे निजी विद्यालय जो राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं हैं अथवा औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयां जो राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं है द्वारा धारित सूचनाएं सूचना के लिए अनुरोध पत्र द्वारा प्राप्त की जा सकती है**?**

उत्तर : निजी संस्थान अथवा गैर सरकारी संगठन जो राज्य सरकार के समुचित रूप से प्रभावी नियंत्रण में हों या राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समुचित रूप से वित्त पोषित हों वह लोक प्राधिकारी की परिभाषा से आच्छादित हो जाएगा। उक्त से इतर निजी संस्थान जिन पर राज्य सरकार का प्रभावी नियंत्रण नहीं है तथा राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित नहीं है वह लोक प्राधिकारी नहीं है। ऐसे निजी संस्थान जो लोक प्राधिकारी नहीं है उनकी जिस सूचना तक किसी अन्य कानून के अन्तर्गत किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच है तब निजी संस्थान की उस 'सूचना' को अनुरोधकर्ता सम्बन्धित लोक प्राधिकारी को सूचना के लिए अनुरोध पत्र प्रस्तुत करके उस सूचना को प्राप्त कर सकता है। परन्तु ऐसे निजी संस्थान जो लोक प्राधिकारी नहीं है उनकी ऐसी सूचना जो किसी अन्य कानून के अन्तर्गत किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच में नहीं है वह सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती। निजी संस्थान अथवा गैर सरकारी संगठन जो लोक प्राधिकारी नहीं है उन्हें सूचना के लिए अनुरोध पत्र देने पर उनके द्वारा सूचना देने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं तथा कोई सूचना नहीं दी जाएगी।

प्र**0 21.** क्या निजी विश्वविद्यालय जिनकी स्थापना राज्य विधान सभा द्वारा गठित अधिनियम से हुई है**,** वह सूचना का अधिकार अधिनियम**, 2005** से आच्छादित है **?**

उत्तरः जी हॉ। कोई संस्था जिसकी स्थापना राज्य विधान सभा द्वारा गठित अधिनियम के द्वारा हुई है वह लोक प्राधिकारी है और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से आच्छादित है। वहाँ सूचना के लिए अनुरोध करने वालों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी नामित करके व्यवस्था बनायी जानी चाहिए।

प्र० **22.** सूचना के लिए अनुरोध पत्र में निजी संस्थान की सूचना मांगने पर लोक प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित निजी संस्थान के प्रबन्धक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अनुरोधकर्ता को सूचना उपलब्ध कराने के लिए सूचना के लिए अनुरोध पत्र अन्तरित करा जाता है। क्या यह उचित है**?**

उत्तरः जी नहीं। निजी संस्थान जो लोक प्राधिकारी की परिभाषा में नहीं आता तथा जिस निजी संस्थान की अनुरोध की गयी सूचना तक किसी अन्य कानून में किसी लोक प्राधिकारी को पहुंच नहीं है वह सूचना निजी संस्थान द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती है। निजी संस्थान ऐसी कोई सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है। सूचना के लिए अनुरोधकर्ता को अनुरोध पत्र वापस कर देना चाहिये और उसे बता देना चाहिये कि अनुरोध की गयी सूचना उन्हें सुलभ नहीं हो सकती।

प्र० **23.** यदि अनुरोध पत्र में ऐसी सूचना मांगी गयी हो जो धारित नहीं है तब अनुरोधकर्ता को अनुरोध पत्र प्राप्त होने के **30** दिन के अन्दर उत्तर देना आवश्यक है कि सूचना धारित नहीं है **?**

उत्तरः हां। सूचना के लिए अनुरोध पत्र पर उसके प्राप्त होने पर यथाशीघ्र विचार करके सूचना देने अथवा न देने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना चाहिये। सूचना के लिए अनुरोध पत्र प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर अनुरोध पत्र पर विचार कर निर्णय न लेने से यह समझा जायेगा कि सूचना के लिए अनुरोध अस्वीकार किया गया है। सूचना के लिए अनुरोध पत्र अस्वीकार करने के औचित्य

पूर्ण कारण न होने पर शास्ति आरोपण की कार्यवाही हो सकती है। सूचना धारित न होने पर अनुरोधकर्ता को सूचना का अनुरोध को अस्वीकार करने का औचित्य पूर्ण कारण अनुरोधकर्ता को बता दिये जाने पर शास्ति आरोपण की कार्यवाही नहीं होगी।

प्र० **24.** सूचना के लिए अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचनाओं में से कुछ सूचनाएं सुलभ न हो रही हो तो क्या करना चाहिये **?**

उत्तरः 1 अनुरोध की गयी जो सूचना उपलब्ध है उसको अनुरोधकर्ता को प्रक्रियानुसार कार्यवाही पूर्ण करके दे दिया जाए। जो सूचनाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं उनको कार्यालय में सम्यक रूप से ढूढा जाये और यदि सूचना काफी प्रयासों के उपरान्त भी उपलब्ध नहीं होती हैं तो अनुरोधकर्ता को यथास्थिति से निर्धारित अवधि में अवश्य अवगत करा दिया जाये।

2. जो सूचना उपलब्ध नहीं हो रही है और उसका पुर्नगठन संभव होने के स्थिति में उसको पुर्नगठित करने के लिए यथाशीघ्र प्रयास किये जायें।

प्र० **25.** अनुरोध पत्र में किसी व्यक्ति की निजी सूचनाएं उसके पति/पत्नी / पिता / भाई / बहन आदि द्वारा मांगे जाने पर वह व्यक्तिगत सूचना सम्बन्धित अनुरोधकर्ता को दी जानी चाहिये**?**

उत्तरः निजी सूचनाएं किसी सम्बन्धी या अन्य व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर अनुरोध पर वैसे ही विचार किया जाएगा जैसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति की निजी सूचनाओं के लिए अनुरोध करने वाले सूचना के लिए अनुरोध पत्र पर किया जाता है। निजी सम्बन्धों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

प्र**0 26.** क्या किसी सूचना के लिए अनुरोधकर्ता द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार एक प्रारूप **(format)** गठित कर उस प्रारूप पत्र के स्तम्भों के अनुसार सूचना मांगने पर उस प्रारूप पत्र के अनुसार सूचना गठित करके उपलब्ध करायी जाएगी **?**

उत्तरः जी नहीं। सूचना के लिए अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना के लिए जो प्रारूप बनाया है सूचना उस प्रारूप के अनुसार धारित होने पर प्रारूप के अनुसार उपलब्ध करायी जावेगी अन्यथा नहीं। लोक प्राधिकारी कार्यालय में सूचना जिस रूप में धारित है उस रूप में सूचना के लिए अनुरोधकर्ता सूचना प्राप्त करके स्वयं अपनी सुविधानुसार प्रारूप पत्र पर सूचना तैयार कर सकता है।

प्र० **27.** सूचना के लिए अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना मांगे गये प्ररूप **(form)** में उपलब्ध करायी जायेगी या जिस प्ररूप **(form)** में सूचना लोक प्राधिकारी के कार्यालय में धारित है **?**

उत्तर : सूचना यथासम्भव उस प्ररूप (form) में उपलब्ध करायी जाएगी जिस प्ररूप (form) में अनुरोधकर्ता ने सूचना मांगी है। यदि अनुरोध किये गये प्ररूप (form) में सूचना उपलब्ध कराने में लोक प्राधिकारी के स्रोतो को अननुपातिक रूप से विचलित कर देगी या यह अभिलेखों की सुरक्षा या उसके संरक्षण के लिए हानिकारक है तो सूचना उस प्ररूप (form) में उपलब्ध नहीं करायी जाएगी। किसी अभिलेख जिसकी फोटो कापी करने में ऊष्मा और ताप से वह अभिलेख नष्ट हो सकता है तब उस अभिलेख की फोटो कापी नहीं दी जाएगी। केवल उस अभिलेख का निरीक्षण कराया जाएगा। किसी सूचना की फोटो प्रतिया उपलब्ध कराने के लिए फोटो प्रतियों के लिए जो धनांवटन उपलब्ध है वह पर्याप्त नहीं है और सूचना सी० डी० के रूप में उपलब्ध करायी जा सकती है तब सूचना फोटो प्रतियों के स्थान पर सी० डी० में उपलब्ध करायी जाएगी।

प्र**0 28.** **'**सूचना**'** में अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि की मांग अनुरोधकर्ता द्वारा किये जाने पर क्या अभिलेखों की प्रतिलिपि को राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराकर देना होगा **?**

उत्तरः 'सूचना' में अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि 'सूचना' के रूप में अनुरोधकर्ता द्वारा मांगे जाने पर अभिलेखों की प्रतिलिपियों को लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रमाणित करना पर्याप्त है।

प्र० **29.** क्या प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा विभागीय अपील निस्तारण के लिए सूचना के लिए अनुरोधकर्ता को विभागीय अपील की सुनवायी में उपस्थित होने के लिए कहना चाहिये**?**

उत्तरः जी नहीं। विभागीय अपील की सुनवायी की तिथि, समय और स्थान की सूचना से यथाशीघ्र अनुरोधकर्ता / अपीलार्थी को सूचित किया जाना चाहिये। यदि विभागीय अपील की सुनवायी में अपीलार्थी उपस्थित नहीं होता है तो अपील पत्र में दिये गये तथ्यों तथा सूचना के लिए अनुरोध पत्र तथा उसके विरूद्ध लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिया गया उत्तर व उपलब्ध करायी गयी सूचना का परीक्षण करके विभागीय अपील का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर कर देना चाहिए।

प्र० **30.** विभागीय अपील का निस्तारण कितने दिन में किया जाना आवश्यक है**?**

उत्तरः विभागीय अपील प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर विभागीय अपील का निस्तारित कर दिया जाना चाहिए। अपरिहार्य परिस्थितियों में कारण अभिलिखित करते हुए 15 दिन की अवधि और बढ़ायी जा सकती है।

प्र**0 31.** एक कानून में कुछ अभिलेखों को प्रकाशित न करने का प्रावधान है परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम**, 2005** में उन अभिलेखों को प्रकाशित करने से रोका नहीं गया है। क्या उन अभिलेखों को प्रकाशित किया जा सकता है**?**

उत्तरः जी हां। अभिलेखों को प्रकाशित करना उचित है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों को अध्यारोही प्रभाव दिया गया है। किसी अन्य कानून में किसी अभिलेख के प्रकाशन को रोका गया हो परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में उन अभिलेखों को प्रकाशन से नहीं रोका गया है। तब सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 22 के प्रावधान के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार अभिलेखों को प्रकाशित करना विधिसम्मत होगा।

प्र० **32.** एक व्यक्ति लोक सूचना अधिकारी से बहुत सी सूचना की प्रतियां बहुत बार अनुरोध कर रहा है अथवा कई व्यक्ति लोक सूचना अधिकारी से बहुत सी सूचना की प्रतियां बहुत बार अनुरोध कर रहे हैं तब अनुरोध करी गयी सूचना की प्रतियां प्रत्येक अनुरोध के विरूद्ध उपलब्ध कराना आवश्यक / अनिवार्य होगा**?**

उत्तरः 1. लोक सूचना अधिकारी को सूचना के लिए अनुरोध के विरूद्ध सूचना उपलब्ध कराने के लिए लोक प्राधिकारी के बजट और संसाधन को ध्यान में रखना होगा। सूचनाएं जिनका अनुरोध किया गया है उनकी प्रतियां उपलब्ध कराने में प्रतियां कराने में आ रहा व्यय निर्धारित / आवंटित बजट के अनुपाती है अथवा नहीं। क्या सूचनाओं की प्रतियां तैयार कराने में फोटोमशीन का अत्यधिक समय व फोटो प्रतियां तैयार करने के लिए कार्मिकों का अत्यधिक समय उसमें उपयोग हो रहा है? क्या लोक प्राधिकारी के कार्यालय का नैत्यक संचालन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है? यदि हां तब सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(9) के प्रावधानों के अनुसार सूचना के लिए अनुरोधकर्ताओं को सूचना के अभिलेखों का निरीक्षण कराकर सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करायी जा सकती है अथवा सूचना कम्प्यूटर पर हो तो सी०डी० में सूचना भरकर उपलब्ध करायी जा सकती है। अभिलेखों की छाया प्रतियां, प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है। उक्तानुसार अभिलेखों का निरीक्षण कराना या सी०डी० पर अभिलेख की सूचना उपलब्ध कराना पर्याप्त और विधिसम्मत है।

2. लोक प्राधिकारी के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सूचना की अधिक मांग को देखते हुए ऐसी सूचनाओं को स्कैन करके या अन्यथा सूचनाएं कम्प्यूटर पर रखी जाने की व्यवस्था कर ली जावे ताकि अनुरोध करी गयी सूचनाएं सी०डी० में भरकार अनुरोधकर्ता का उपलब्ध करायी जा सके।

प्र० **33** ऐसी सूचना मांगे जाने पर जोकि किसी नियम / प्रावधान के तहत लोक प्राधिकारी के स्तर पर रखे जाने का प्रावधान है, परन्तु लोक प्राधिकारी कार्यालय में रखी नहीं जा रही है तो ऐसे में लोक सूचना अधिकारी के द्वारा क्या किया जाना चाहिए**?**

उत्तर: 'सूचना का अधिकार' की परिभाषा से स्पष्ट है कि कोई भी नागरिक भौतिक रूप में धारित सूचना लोक प्राधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। मांगी गयी सूचना भौतिक रूप में धारित न होने की स्थिति में लोक सूचना अधिकारी के द्वारा अनुरोधकर्ता को यथास्थिति से अवगत कराया जाना चाहिए तथा लोक सूचना अधिकारी से यहाँ यह भी अपेक्षित है कि वह इस तथ्य से अपने नियंत्रक अथवा लोक प्राधिकारी को संज्ञान में लाएं जिससे नियंत्रक/लोक प्राधिकारी के स्तर से इस संदर्भ में यथोचित कार्यवाही की जा सके।

प्र० **34** यदि किन्ही विशेष कारणों से लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना दिए जाने में विलम्ब होता है तो ऐसी परिस्थिति में भी क्या लोक सूचना अधिकारी को दोषी पाया जा सकता है।

उत्तर : सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किये जाने वाली कार्यवाही समयबद्ध प्रक्रिया है। समय सीमा का पालन किया जाना अनिवार्य है किन्तु यदि किसी उचित कारण से सूचना दिए जाने में विलम्ब हो जाता है तो लोक सूचना अधिकारी को चाहिए कि वह अपने पत्राचारों में उक्त विलम्ब का कारण स्पष्ट रूप से अंकित करें तथा प्रथम अपील और आयोग में सुनवाई के समय भी सूचना दिए जाने में हुए विलम्ब के उचित कारणों का स्पष्ट रूप उल्लेख करते हुए रखें जिससे आयोग के द्वारा उनके प्रत्यावेदन पर विचार किया जा सके। अधिनियम की धारा 20 के परंतुक में प्रावधान है कि "यह और कि यह साबित करने का भार कि उसने युक्तियुक्त रूप से और तत्परतापूर्वक कार्य किया है, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर होगा।"

प्र० **35** क्या सात दिन के अन्दर लोक सूचना अधिकारी के द्वारा अतिरिक्त शुल्क की मांग न किये जाने के आधार पर प्रथम अपील किये जाने पर विभागीय अपीलीय अधिकारी के द्वारा निःशुल्क सूचना दिलाए जाने के आदेश पारित किये जा सकते हैं **?**

उत्तर : सामान्यतः नहीं। सूचना प्रदान करने के लिए सूचना शुल्क का मांग पत्र यथासम्भव एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित कर देना चाहिये। यदि मांगी गयी सूचन काफी भारी भरकम और विभिन्न पत्रावलियों में फैली हुई है तो ऐसी सूचनाओं को एकत्र करने में अधिक समय लग सकता है। सूचना के लिए शुल्क मांगने में अधिक दिवस लग जाने पर सूचना शुल्क जमा होने के बाद सूचना निर्धारित 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराने के लिए कम समय बचेगा जिससे सम्भावना है कि निर्धारित 30 दिन की अवधि व्यतीत होने के बाद 'सूचना' अनुरोधकर्ता को प्रेषित हो। ऐसी स्थिति से बचा जाना चाहिए। सूचना अनुरोधकर्ता को अनुरोध पत्र प्राप्त होने के 30 दिन में प्रेषित न होने पर सूचना निःशुल्क उपलब्ध करानी होती है। सूचना शुल्क के लिए मांग पत्र प्रेषित करने पर सूचना प्रदान करने के लिए समय की गणना रूक जाती है जो सूचना के लिए शुल्क जमा होने पर पुनः प्रारम्भ हो जाती है, को भी समय की गणना करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

प्र० **36** तृतीय पक्ष की आपत्ति के उपरान्त भी सूचना दिए जाने का निर्णय लिये जाने पर सूचना का प्रकटन कब करना चाहिए **?**

उत्तर : तृतीय पक्ष की सूचना प्रकटन किये जाने की स्थिति में लोक सूचना अधिकारी अथवा विभागीय अपीलीय अधिकारी को तृतीय पक्ष को अवगत कराया जाना चाहिए और उनके निर्णय के विरूद्ध यथास्थिति प्रथम अपील / द्वितीय अपील की जा सकती है, से भी तृतीय पक्ष को अवगत कराया जाना चाहिए। अपने निर्णय के माध्यम से यह भी अवगत कराया जाना चाहिए कि यदि तृतीय पक्ष उनके निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील अथवा आयोग में द्वितीय अपील कर रहे हैं तो यथाशीघ्र लिखित में अवगत करा दे अन्यथा की स्थिति में उनके द्वारा तृतीय पक्ष की सूचना प्रदान कर दी जाएगा जिसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होगें।

प्र० **37** किसी कारणवश प्रथम अपील का निस्तारण नहीं किया जा सका हो तो क्या **45** दिन के उपरान्त भी प्रथम अपील की सुनवाई / निस्तारण किया जा सकता है **?**

उत्तर : किसी भी प्रथम अपील का निस्तारण 30 दिन अथवा विशेश परिस्थिति में उसका उल्लेख प्रथम अपील के आदेश में करते हुए 45 दिन के अन्दर प्रथम अपील का निस्तारण किया जाना है। उक्त सीमा के उपरान्त अपीलकर्ता को आयोग में द्वितीय अपील / शिकायत करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि अपीलीय अधिकारी किसी विशेष कारणों से प्रथम अपील का निस्तरण 45 दिन के अन्दर नहीं कर सके हैं तो निस्तारण आदेश में विलम्ब का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

प्र० **38** जॉच से सम्बन्धित सूचना प्रदान की जानी चाहिए अथवा नहीं **?**

उत्तरः **1.** जॉच से सम्बन्धित सूचना प्रदान की जानी चाहिए अथवा नहीं का उत्तर हॉ अथवा नहीं में दिया जाना सम्भव नहीं है। यह केस टू केस निर्भर करता है। जॉच विभागीय कार्मिकों की भी हो सकती है और उससे भिन्न किसी अन्य प्रकरण से संबंधित भी हो सकती है।

2. कार्मिकों की अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा उनके विभाग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस / स्पष्टीकरण/आरोप पत्र / भर्त्सना इत्यादि का विषय नियोक्ता और कर्मचारी के मध्य का होने के कारण संबंधित कार्मिक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान नहीं की जानी चाहिए। यदि अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसी सूचना की मांग की जाती है तो उसे तृतीय पक्ष की सूचना मानकर निस्तारण करना चाहिए।
3. कार्मिक के विरूद्ध किसी भी कार्यवाही से भिन्न जॉच की मांग किये जाने पर यदि जॉच गतिमान है अथवा पूर्ण हो गयी है तो उससे संबंधित सूचना दिए जाने का निर्णय लेने से पूर्व लोक सूचना अधिकारी / विभागीय अपीलीय अधिकारी के द्वारा अधिनियम की धारा 8, 9, 11 का अनुपालन किया जाना आवश्यक है।

प्र० **39** आवेदक के द्वारा भारी भरकम सूचना मांगे जाने पर लोक सूचना अधिकारी के द्वारा शुल्क की गणना किस प्रकार की जाए और ऐसे अनुरोध पत्र का निस्तारण लोक सूचना अधिकारी के द्वारा किस प्रकार किया जाए **?**

उत्तर : मांगी गयी सूचना वृहद् होने के कारण यदि उनका वास्तविक आगणन किया जाना सम्भव न हो और उनके आगणन में कार्यालय का दैनिक कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है तथा जनहित के कार्य में अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी संबंधित अभिलेखों के अवलोकन हेतु आवेदक को आमंत्रित कर सकते है और अवलोकन के उपरान्त चिन्हित सूचना नियमानुसार प्रदान की जा सकती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, **2005** के सम्बन्ध में
मा० उच्चतम/उच्च न्यायालय द्वारा
दी गयी व्यवस्थाएं:-

नोटः-मा० उच्चतम न्यायालय की व्यवस्थाए संक्षिप्त एवं शुद्ध रूप में अंकित करने का प्रयास किया गया है। परन्तु पाठक मा० उच्चतम न्यायालय के अंग्रेजी मूल पाठ के आधार पर ही व्यवस्थाओं की समझ बनायें।

मत, सलाह, परिपत्र तथा आदेश इत्यादि के संदर्भ में

1. विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) संख्या 34868 सन् 2009 खानापुरम गांदहिया प्रति एडमिनिस्ट्रेयल आफिसर व अन्य निर्णीत दिनांक 04.01.2014 में मा० उच्चतम न्यायालय ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) में 'सूचना' की परिभाषा का विश्लेषण करते हुए व्यवस्था दी कि सूचना के लिए अनुरोधकर्ता सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वह सूचना प्राप्त कर सकता है जो अस्तित्व में है और विधि के प्रावधानो के अन्तर्गत उस तक पहुंच हो सकती है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 धारा 6 के अन्तर्गत सूचना के लिए अनुरोधकर्ता मत, सलाह, परिपत्र, आदेश इत्यादि की प्रति प्राप्त कर सकता है परन्तु वह यह सूचना के रूप में यह नहीं मांग सकता कि मत, सलाह, परिपत्र तथा आदेश इत्यादि क्यों पारित किया गया है।

उत्तर पुस्तिका के संदर्भ में

2. मा० उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 6454 सन् 2011 सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री एजुकेशन व अन्य प्रति आदित्य बन्द्योपाध्याय व अन्य निर्णीत दिनांक 09. 08.2011 में अनुरोधकर्ता द्वारा परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण तथा उसकी परीक्षा उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के लिए मांग की। अनुरोधकर्ता का परीक्षा उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत किये जाने के बिन्दु का अध्ययन-विश्लेषण मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया। मा० उच्चतम न्यायालय में पाया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 22 के तहत "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" का अन्य अधिनियमों पर अध्यारोही प्रभाव होगा। उक्त कारण से परीक्षा उत्तर पुस्तिका की निरीक्षण के सम्बन्ध में परीक्षा के नियमों में जो व्यवस्था है उस पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अध्यारोही प्रभाव रहेगा। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में परीक्षा उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण करना प्रकटन से छूट प्राप्त होगा तभी परीक्षा उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण अस्वीकार किया जा सकेगा। उक्त निर्णय में मा० उच्चतम न्याायलय ने जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं वह निम्न प्रकार हैं-

वैश्वासिक नातेदारी में दी गयी सूचना को गोपनीय रखा जाना

2.1. मा० उच्चतम न्यायालय ने उक्त मामले में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1) (ड) में किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना के प्रकटन के प्रावधान का परीक्षण किया है। मा० उच्चतम न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी कि परीक्षा आयोजित करने वाली निकाय परीक्षार्थी के प्रति वैश्वासिक नातेदारी नही रखती है। मा० उच्चतम न्यायालय ने नियोक्ता और कर्मी के बीच परस्पर वैश्वासिक नातेदारी का उदाहरण देते हुए कहा है कि कर्मी की

व्यक्तिगत विवरण जिसे वह गोपनीय रखना चाहता है नियोक्ता द्वारा मांगे जाने पर नियोक्ता द्वारा प्राप्त सूचना को वैश्वासिक नातेदारी में दी गयी सूचना के रूप में गोपनीय रखा जायेगा।

परीक्षकों के नाम व पते की सूचना अधिनियम की धारा **8 (1) (**छ) के तहत छूट प्राप्त है

2.2. मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निर्णय में यह भी स्पष्ट किया कि परीक्षकों के नाम व अन्य विवरण की सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1) (छ) (सूचना जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा) के प्रावधान के अन्तर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त है।

सूचना का अधिकार अधिनियम किसी सूचना को धारित करने की समयावधि पर कोई प्रभाव नहीं डालता

2.3. मा० उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय में यह भी स्पष्ट किया है कि सूचना तक पहुंच का अधिकार परीक्षक निकाय द्वारा परीक्षा की उत्तर पुस्तिका रखने की अपेक्षित अवधि तक ही रहता है। सूचना का अधिकार परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के लिए उपलब्ध होने का तात्पर्य यह नहीं है कि परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं को अपेक्षित अवधि के आगे बनाये रखना है। सूचना का अधिकार के अन्तर्गत कोई सूचना तभी तक प्राप्त की जा सकती है जब तक वह लोक प्राधिकारी के पास धारित है।

20 वर्ष के उपरान्त धारा **8 (1)** के उपखण्ड (ख)**, (**घ)**, (**ङ)**, (**च)**, (**छ)**, (**ज) तथा (झ) के अन्तर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त सूचना का प्रकटन किया जा सकता है

2.4. मा० उच्चतम न्यायालय ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(3) के प्रावधानों का निर्वहन करते हुए स्पष्ट किया कि जो सूचना धारा 8 (1) के उपखण्ड (ख), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज) तथा (झ) के अन्तर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त है और 20 वर्ष से अधिक समय तक सुरक्षित रखी जा रही है उस सूचना का 20 वर्ष के बाद प्रकटन किया जा सकता है। धारा 8 (1) के उपखण्ड (क), (ग), एवं (झ) के अन्तर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त सूचना 20 वर्ष के बाद भी प्रकट नही की जाएगी। लोक प्राधिकारी की ऐसी सूचना जो 20 वर्ष से पूर्व नियमों के अनुसार नष्ट की जानी होती है ऐसी सूचना को नियमों के अनुसार निर्धारित समय पर नष्ट किया जाएगा, उसे 20 वर्ष या उसके बाद सुरक्षित नही रखा जाएगा। धारा 8 (3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अभिलेख विनिष्टीकरण के नियमों पर अध्यारोही प्रभाव नहीं रखता है।

अधिनियम में किसी सूचना का निष्कर्ष निकालने की बाध्यता नहीं है

2.5. मा0 उच्चतम न्यायालय ने निर्णय में यह भी स्पष्ट किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 सूचना का अधिकार के अन्तर्गत सूचना तक पहुंच उस सूचना के लिए प्रावधानित करता है जो लोक प्राधिकारियों के पास उपलब्ध है तथा अस्तित्व में है। जहां अनुरोध की गयी सूचना लोक प्राधिकारी के अभिलेख का हिस्सा नहीं है तथा वह सूचना किसी कानून, नियम या लोक प्राधिकारी के विनियमों के अन्तर्गत नहीं रखनी होती है तब सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लोक प्राधिकारी पर यह दायित्व नहीं डालता कि इस अनुउपलब्ध सूचना का संग्रह करें उन्हें मिलाये और तब अनुरोधकर्ता को सूचना उपलब्ध करायी जाये। लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना देने की अपेक्षा भी नहीं है जिसके लिए निष्कर्ष (inference/ making of assumptions) निकाले जायें अथवा कुछ तथ्यों को मानने की कार्यवाही की जाये।

किसी विषय पर मत सलाह या मार्गदर्शन देना लोक प्राधिकारी का दायित्व नहीं है।

2.6. सूचना के लिए अनुरोधकर्ता को कोई मत या सलाह नहीं दी जानी होती है। सूचना की परिभाषा में मत और सलाह का उल्लेख लोक प्राधिकारी के अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के रूप में मत या सलाह से है। कुछ लोक प्राधिकारी जन सम्पर्क के प्रयोजन से मत, सलाह स्वेच्छा से देते है परन्तु इससे यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि मत, सलाह या मार्ग दर्शन देना सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी का दायित्व है।

सूचना के रूप में अंधाधुंध मांग एवं अव्यवहारिक सूचना मांगा जाना

2.7. मा० उच्चतम न्यायालय ने निर्णय में यह भी स्पष्ट किया कि "सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन से संबंधित सभी सूचनाओं के प्रकटीकरण के लिए अंधाधुंध और अव्यवहारिक मांग या निर्देश प्रतिकूल परिणामकारी होंगे क्योंकि इससे प्रशासन की दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और परिणामस्वरूप कार्यपालिका सूचना एकत्र करने और प्रस्तुत करने के गैर-उत्पादक कार्य में फंस जाएगी। अधिनियम का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाना चाहिए, इसे राष्ट्रीय विकास और एकीकरण में बाधा डालने या नागरिकों के बीच शांति, सौहार्द और सद्भाव को नष्ट करने का साधन नहीं बनने दिया जाना चाहिए। न ही इसे अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए प्रयासरत ईमानदार अधिकारियों के उत्पीड़न या धमकी के साधन में परिवर्तित किया जाना चाहिए। राष्ट्र ऐसा परिदृष्य नहीं चाहता है जहां सार्वजनिक प्राधिकरणों के कर्मचारी अपने नियमित कर्तव्यों का निर्वहन करने के बजाय आवेदकों को सूचना एकत्र करने और प्रदान करने में अपना समय व्यतीत करते हैं। आरटीआई अधिनियम के तहत दंड के डर और आरटीआई अधिनियम के तहत प्राधिकारियों के दबाव के कारण सार्वजनिक प्राधिकारियों के कर्मचारियों को अपने सामान्य और नियमित कर्तव्यों की कीमत पर सूचना प्रदान करने को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए।"

निजी सूचना का वृहत्तर लोकहित में प्रकटन किया जाना

3. विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) संख्या 27734 सन् 2012 गिरीश रामचन्द्र देशपाण्डे बनाम केन्द्रीय सूचना आयोग व अन्य निर्णीत 03.10.2012 तथा सिविल अपील संख्या-सन् 2013 आर. के. जैन बनाम यूनियन आफ इंडिया व अन्य निर्णीत 16.04.2013 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्तिगत सूचनाएं जो किसी लोकहित या लोक क्रियाकलाप से सम्बन्धित नहीं है तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1) (ञ) के प्रावधानो के अन्तर्गत प्रगटन से छूट प्राप्त है उन सूचनाओं के लिए अनुरोध किये जाने पर उस व्यक्तिगत सूचना को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में व्यवस्थाएं दी है।

नोटिस, भर्त्सना, उपहार, आरोप पत्र, अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत जांच रिर्पोट के सम्बन्ध में

3.1. गिरीश रामचन्द्र देशपाण्डे के मामले में एक अधिकारी की विभिन्न व्यक्तिगत सूचनाएं मांगी गयी थी। लोक सूचना अधिकारी ने अनुरोधकर्ता को उस अधिकारी के नियुक्ति आदेश, पदोन्नति आदेश तथा स्थानान्तरण आदेशों की प्रतियां उपलब्ध करायी गयी। वेतन, चल अचल सम्पति का ब्यौरा, अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस, भर्त्सना, जो उपहार प्राप्त किये, आरोप

पत्र, अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत जांच रिर्पोट को लोकहित व लोक क्रिया कलाप से सम्बन्धित न होने के कारण तथा निजता का अनावश्यक अतिक्रमण के आधार पर धारा 8 (1) (ञ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानो के संन्दर्भ में सूचना अनुरोधकर्ता को नहीं उपलब्ध करायी गयी।

अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत अधिकारी के स्पष्टीकरण हेतु नोटिस, भर्त्सना / दण्ड को व्यक्तिगत सूचना माना गया

3.2. मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत अधिकारी के स्पष्टीकरण हेतु नोटिस, भर्त्सना / दण्ड को धारा 8 (1) (ञ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत व्यक्तिगत सूचना माना। मा० उच्चतम न्यायालय ने किसी कर्मी की संगठन में कार्यकुशलता नियोक्ता और कर्मी के बीच का मामला माना। इनका प्रकटन व्यक्ति की निजता का अनावश्यक अतिक्रमण होगा। लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी यह समाधान होने पर कि इन सूचनाओं के प्रकटन वृहत्तर जनहित में है इनका प्रगटन कर सकता है। परन्तु अनुरोधकर्ता इस सूचना को अधिकार स्वरूप नही प्राप्त कर सकता है। मा० उच्चतम न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि इन्कम टैक्स रिटर्न व्यक्तिगत सूचना है जो धारा 8 (1) (ञ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त है। कर्मी की सम्पत्ति, प्राप्त उपहार, निवेश आदि की सूचनाएं वार्षिक आय विवरण की सूचनाएं है। सम्पत्ति, उपहार, निवेश आदि की सूचनाएं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1) (ञ) के प्रावधानो से आच्छादित है।

अनुरोधकर्ता द्वारा लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी का समाधान करने पर कि इस व्यक्तिगत सूचना का प्रकटन वृहत्तर लोक हित में है लोक सूचना अधिकारी या लोक प्राधिकारी व्यक्तिगत सूचना के प्रकटन का निर्णय ले सकता है।

वार्षिक चरित्र प्रविष्टियों के सम्बन्ध में

3.3. मा0 उच्चतम न्यायालय ने आर. के. जैन के मामले में जिस में एक लोक सेवक की वार्षिक चरित्र प्रविष्टियों को व्यवहरित करने वाली पत्रावली की नोट शीट व पत्राचार की प्रतियां मांगी गयी, उस पत्रावली के निरीक्षण के लिए अनुमति मांगी गयी तथा निरीक्षण में चिन्हित अभिलेखों की प्रतियों मांगी गयी थी। लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी ने उक्त सूचना व्यक्तिगत सूचना होने के कारण धारा 8 (1) (ञ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से आच्छादित होने के आधार पर प्रकटन से अस्वीकार कर दिया। मा० उच्चतम न्यायालय ने गिरीश रामचन्द्र देशपाण्डे के अपने निर्णय के आलोक में वार्षिक चरित्र प्रवृष्टि या उससे सम्बन्धित सूचना को व्यक्तिगत सूचना जो लोक हित या लोक किया कलाप से सम्बन्धित नहीं है, होने के आधार पर धारा 8 (1) (ञ) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से आच्छादित होने के कारण प्रकटन से छूट प्राप्त होना माना।

सक्षात्कार लेने वाले विशेषज्ञों के नाम व पते की सूचना अधिनियम की धारा **8 (1) (**छ) के तहत छूट प्राप्त है

4. सिविल अपील नं0-9052 सन् 2012 बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन प्रति सैयद हुसैन अब्बास रिजवी व अन्य निर्णीत दिनोंक 13.12.2012 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 8 (1) (छ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के आधार पर साक्षात्कार चयन परीक्षा में उपस्थित होने वाले विषय विशेषज्ञों के नाम, पते आदि का विवरण लोक सेवा आयोग द्वारा अनुरोधकर्ता को न उपलब्ध कराने के निर्णय को उचित ठहराया है। यह माना गया है कि विषय

विशेषज्ञ जो साक्षात्कार द्वारा चयन की परीक्षा में उपस्थित थे उनके नाम, आदि का विवरण अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराने से उनके जीवन या शारीरिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाती ।

कोई गैर सरकारी निकाय/ संगठन के लोक प्राधिकारी की परिभाषा से
आच्छादित होने के सम्बन्ध में

5. सिविल अपील न० 9017 सून् 2013 थालापाल्लम सर्विस कोआपरेटिव बैंक व अन्य बनाम स्टेट आफ केरल और अन्य निर्णीत दिनोंक 07.10.2013 में मा० उच्चतम न्यायालय ने केरल राज्य की सहकारी समितियों सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 धारा 2 (ज) में दी गयी परिभाषा के अनुरूप लोक प्राधिकारी नहीं है की व्यवस्था दी। मा० उच्चतम न्यायालय ने मामले के परीक्षण में पाया सहकारी समिति धारा 2 (ज) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में दी गयी लोक प्राधिकारी की परिभाषा के अंश (क) (ख) तथा (ग) में नहीं आती है। सहकारी समितियों लोक प्राधिकारी की परिभाषा के अंश (घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना या किए गये आदेश द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था भी नहीं है। मा० उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी परीक्षण किया कि क्या सहकारी समितियाँ धारा 2 (ज) के अंश (घ) के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये निम्नलिखित 2 वर्गों में से किसी वर्ग से आच्छादित है:-

1. कोई ऐसा निकाय जो समुचित सरकार के स्वामित्वधीन नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करायी गयी निधियों द्वारा वित्त पोषित है।
2. कोई ऐसा गैर सरकारी संगठन जो समुचित सरकार या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करायी गयी निधियों द्वारा वित्त पोषित है।

ऐसी निकाय जो समुचित रूप से सरकार द्वारा नियंत्रित है, लोक प्राधिकारी होंगी

5.1 मा० उच्चतम न्यायालय ने ऐसी निकाय जो सरकार द्वारा नियंत्रित किये जाने के कारण लोक प्राधिकारी हैं की व्याखा करते हुए कहा है कि सरकार का नियंत्रण समुचित रूप से होना चाहिये। किसी अधिनियम द्वारा पर्यवेक्षण या विनियमन सरकार द्वारा नियंत्रित निकाय नहीं है। उक्त निकाय धारा 2 (ज) (घ) (i) के अनुसार लोक प्राधिकारी नही होगी। केरल राज्य में सहकारी समितियों पर निबन्धक द्वारा सहकारी समितियां अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रण पर्यवेक्षणीय या विनियमित प्रकृति का है। निबन्धक का उक्त सहकारी समितियों के प्रबन्धकीय कार्यकलापों में नियंत्रणकारी हस्तक्षेप नहीं है। सहकारी समितियों का प्रबन्धन एंव नियंत्रण प्रबन्धन समिति या संचालक मण्डल में निहित है न कि सहकारी समितियों अधिनियम के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी में। मा० उच्चतम न्यायालय ने निष्कर्ष दिया कि धारा 2 (ज) के उपखण्ड (घ) (i) में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, में 'नियंत्रण' शब्द से आशय है कि नियंत्रण इस प्रकार का हो कि जो निकाय के प्रबन्धन व कार्यकलापों को समुचित रूप से नियंत्रित करें। मा० उच्चतम न्यायालय ने केरल राज्य की सहकारी समितियों पर सरकार का नियंत्रण समुचित रूप का न होकर केवल पर्यवेक्षणीय और विनियमन का होने के आधार पर धारा 2 (ज) (घ) (1) के अन्तर्गत सरकार के नियंत्रणाधीन निकाय न होने के कारण सहकारी समितियां लोक प्राधिकारी नही हैं, कहा।

सरकार द्वारा समुचित रूप से वित्त पोषित निकाय लोक प्राधिकारी होंगी
यदि सरकार द्वारा वित्त पोषण बंद कर दिया जाय तो निकाय को
अपना अस्तित्व को बनाये रखने के लिये संघर्ष करना पड़े

5.2 मा0 उच्चतम न्यायालय ने ऐसी निकाय जो सरकार द्वारा समुचित रूप से वित्त पोषित हैं का परीक्षण व विश्लेषण करते हुए निर्णय में लिखा कि वाक्यांश 'सरकार द्वारा समुचित रूप से वित्त

पोषित धारा 2 (ज) (घ) (i) एवं (ii) में प्रयोग हुआ है को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सरकार द्वारा सब्सिडी, अनुदान, छूटें या विशेषाधिकार निकाय को दिया जाना समुचित रूप में वित्त पोषण नही है। जब तक कि वित्त पोषण इस सीमा तक न हो कि निकाय व्यवहार में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये वित्त द्वारा संचालित हो तथा सरकार द्वारा किया जाने वाला वित्त पोषण न होने अथवा बन्द होने पर निकाय को अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिये संघर्ष करना पड़े। निजी शिक्षण संस्थान जो 95 प्रतिशत वित्तीय सहायता सरकार से प्राप्त कर रही है धारा 2 (ज) (घ) (प) के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी हो सकती हैं।

ऐसे गैर सरकारी संगठन जिन पर सरकार का कोई संविदिक (**statutory)** नियंत्रण नहीं है
परन्तु सरकार द्वारा समुचित रूप से वित्त पोषित है तो वे लोक प्राधिकारी होगी

5.3 माननीय उच्चतम न्यायालय ने 'गैर सरकारी संगठन' जो सरकार द्वारा समुचित रूप से वित्त पोषित है का परीक्षण करते हुए निर्णय में लिखा कि ऐसे गैर सरकारी संगठन जिन पर सरकार का कोई संविदिक (statutory) नियंत्रण नहीं है परन्तु सरकार द्वारा समुचित रूप से वित्त पोषित है वह धारा 2 (ज) (घ) (ii) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से आच्छादित होगी और लोक प्राधिकारी होगी। परिणामतः गैर सरकारी संगठन जो सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन नहीं है परन्तु सरकार द्वारा समुचित रूप से वित्त पोषित हो रही है वह धारा 2 (ज) (घ) (ii) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत लोक 'प्राधिकारी होगा।

कोई निकाय या गैर सरकारी संगठन लोक प्राधिकारी है उसको सिद्ध करने का दायित्व आवेदक का होगा

5.4 मा० उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय में यह भी स्पष्ट किया कि "यह दर्शाने का दायित्व कि कोई निकाय समुचित सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए धन द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्वाधीन, नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित है या कोई गैर-सरकारी संगठन पर्याप्त रूप से वित्तपोषित है, सूचना मांगने वाले आवेदक या समुचित सरकार पर है तथा जब प्रश्न विचारार्थ आए तो इसकी जांच राज्य सूचना आयोग या केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा की जा सकती है।"

पूर्व से निर्धारित सूचना प्राप्त करने की प्रकिया विद्यमान होने पर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ऐसी सूचना की मांग करना उचित नहीं है।

6. दि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनाम आर.एस. मिश्रा (2017) 244 डीएलटी 179 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि 'एक बार जब किसी सूचना को किसी अन्य कानून के तहत प्रदान की गई प्रणाली के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, तो आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों का सहारा नहीं लिया जा सकता है। मा० उच्चतम न्यायालय ने भी दिल्ली उच्च न्यायालय के उपरोक्त मत को सही पाते हुए अपने निर्णय सिविल अपील नम्बर-1966-1967/2020 चीफ इन्फोरमेशन कमिशनर बनाम उच्च न्यायालय गुजरात व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 04/03/20 के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि-

"जब सूचना तक पहुँच बनाने या प्रतियाँ प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी तंत्र मौजूद है, जो हमारे विचार में एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है, यानी अपेक्षित न्यायालय शुल्क के साथ एक आवेदन / शपथपत्र दाखिल करना और उन कारणों को बताना जिनके लिए प्रमाणित प्रतियाँ आवश्यक हैं, तो हमें आरटीआई अधिनियम की धारा 11 को लागू करने और एक बोझिल प्रक्रिया अपनाने का कोई

औचित्य नहीं लगता। इसमें समय और वित्तीय संसाधनों दोनों की बर्बादी शामिल होगी, जिसे आरटीआई अधिनियम की प्रस्तावना में ही टालने का इरादा है। न्यायिक पक्ष पर पहुँची जाने वाली सूचना / प्रमाणित प्रतियाँ उच्च न्यायालय नियमों के तहत प्रदान की गई प्रणाली के माध्यम से प्राप्त की जानी चाहिए, आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों का सहारा नहीं लिया जाएगा।"

पक्षों के मध्य विवाद का निपटारा किया जाना
सूचना का अधिकार अधिनियम का विषय नहीं है।

7. मा० उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय रिव्यू पिटिशन सी-2309/2012, सम्बन्धित रिट नम्बर-सी-210/2012 यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम नमित शर्मा, में पारित आदेश दिनांकित 03/09/13 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि-

" सूचना आयोगों का कार्य यह सुनिश्चित करने तक सीमित है कि अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रदत्त सूचना के अधिकार के अनुसार किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना मांगने वाले व्यक्ति को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही ऐसी सूचना देने से मना किया जाए। यह तय करते समय कि किसी नागरिक को कोई विशेष सूचना मिलनी चाहिए या नहीं, जो किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के पास या उसके नियंत्रण में है, सूचना आयोग दो या दो से अधिक पक्षों के बीच किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के पास मौजूद सूचना प्राप्त करने के उनके अधिकार के अलावा उनके कानूनी अधिकारों से संबंधित विवाद का फैसला नहीं करता है।"

व्यक्तिगत सूचना जो निजता का अनुचित उल्लंघन है
व्यापक जनहित होने पर सशर्त उपलब्ध कराई जाएं

8. मा० उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय सिविल अपील नम्बर 10044/2010, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी मा० उच्चतम न्यायालय बनाम सुभाष चन्द्र अग्रवाल में पारित आदेश दिनांकित 13/11/19 में सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि-

"व्यक्तिगत रिकॉर्ड, जिसमें नाम, पता, शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति, प्राप्त अंक, ग्रेड और उत्तर पुस्तिकाएँ शामिल हैं, सभी को व्यक्तिगत जानकारी माना जाता है। इसी तरह पेशेवर रिकॉर्ड, जिसमें योग्यता, प्रदर्शन, मूल्यांकन रिपोर्ट, एसीआर, अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि शामिल हैं, सभी व्यक्तिगत जानकारी हैं। मेडिकल रिकॉर्ड, उपचार, दवा का विकल्प, अस्पतालों और डॉक्टरों की सूची, दर्ज किए गए निष्कर्ष, जिसमें परिवार के सदस्यों की जानकारी भी शामिल है, संपत्ति, देनदारियों, आयकर रिटर्न, निवेश का विवरण, उधार आदि से संबंधित जानकारी व्यक्तिगत जानकारी है। ऐसी व्यक्तिगत जानकारी निजता के अनुचित उल्लंघन से सुरक्षा की हकदार है और व्यापक सार्वजनिक हित की शर्त पूरी होने पर सशर्त पहुँच उपलब्ध है।"

लोक सूचना अधिकारी के द्वारा सूचना दिए जाने से मना किये जाने पर
सूचना प्राप्त करने के लिए प्रथम अपील की जानी चाहिए न कि
अधिनियम की धारा **18** के तहत शिकायत

9. मा० उच्चतम न्यायालय ने सिविल अपील संख्या-10787-10788/2011, चीफ इन्फोरमेशन कमिश्नर बनाम मणीपुर राज्य में अपने निर्णय दिनांकित 12/12/2011 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि-

"केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को धारा 18 के तहत ऐसी सूचना तक पहुंच प्रदान करने का कोई अधिकार नहीं है, जिसे किसी व्यक्ति द्वारा मांगा गया हो, लेकिन जिसे देने से उसे

इनकार कर दिया गया हो। ऐसे व्यक्ति के लिए उपाय, जिसे सूचना देने से इनकार कर दिया गया हो, अधिनियम की धारा 19 के तहत प्रदान किया गया है। धारा 18 के तहत शक्ति की प्रकृति पर्यवेक्षी प्रकृति की है, जबकि धारा 19 के तहत प्रक्रिया अपीलीय प्रक्रिया है और कोई व्यक्ति जो उस सूचना को प्राप्त करने से इनकार करने से व्यथित है, जिसे उसने मांगा है, वह केवल कानून में दिए गए तरीके से निवारण की मांग कर सकता है, अर्थात धारा 19 के तहत प्रक्रिया का पालन करके, धारा 7 को धारा 19 के साथ पढ़ा जाए तो सूचना प्राप्त करने से इनकार करने से व्यथित व्यक्ति को पूर्ण वैधानिक तंत्र प्रदान करता है।"

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना मांगने वालों के लिए दिशा-निर्देश

सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य

सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को अधिकार सम्पन्न बनाना, सरकार की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को कम करना तथा लोकतंत्र को सही अर्थों में लोगों के हित में काम करने में सक्षम बनाना है। अवगत नागरिक वर्ग शासन-तंत्र पर आवश्यक निगरानी रखने तथा शासन को शासित के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने में सक्षम होता है। इस अधिनियम ने एक ऐसी शासन प्रणाली सृजित की है जिसके माध्यम से नागरिकों को लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण में उपलब्ध सूचना तक पहुंचना सुलभ हुआ है।

लोक प्राधिकारी क्या है?

2. "लोक प्राधिकारी" से, -

(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन;
(ख) संसद् द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा;
(ग) राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा ;
(घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है; और इसके अन्तर्गत, -

I. कोई ऐसा निकाय है जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है;
II. कोई ऐसा गैर-सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार, द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है।

सूचना क्या है ?

3. किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री "सूचना" है। इसमें इलेक्ट्रानिक रूप से धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री शामिल है। इसमें किसी निजी निकाय से संबंधित ऐसी सूचना भी शामिल है जिसे लोक प्राधिकारी तत्समय लागू किसी कानून के अंतर्गत प्राप्त कर सकता है।

अधिनियम के अंतर्गत सूचना का अधिकार

4. नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में उपलब्ध है। इस अधिकार में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकॉर्डों का निरीक्षण, दस्तावेजों या रिकॉर्डों के नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना शामिल है।

5. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है।

6. नागरिक को डिस्केट्स, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट या किसी अन्य इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है बशर्ते कि मांगी गई सूचना कम्प्यूटर में या अन्य किसी युक्ति में पहले से सुरक्षित है जिससे उसको डिस्केट आदि में स्थानांतरित किया जा सके।

7. आवेदक को सूचना सामान्यतः उसी रूप में प्रदान की जाती है जिसमें वह मांगता है। तथापि, यदि किसी विशेष स्वरूप में मांगी गई सूचना की आपूर्ति से लोक प्राधिकारी के संसाधनों का अनपेक्षित ढंग से विचलन होता है या इससे रिकार्डों के परिरक्षण में कोई हानि होने की सम्भावना होती है तो उस रूप में सूचना देने से मना किया जा सकता है।

8. अधिनियम के अंतर्गत केवल भारत के नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त है। निगम, संघ, कम्पनी आदि वैध हस्तियों/व्यक्तियों की परिभाषा के अंतर्गत तो आते हैं किन्तु नागरिक की परिभाषा में नहीं आते। अधिनियम ने ऐसे ''व्यक्ति'' को सूचना प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं किया है। फिर भी, यदि किसी निगम, संघ, कम्पनी, गैर सरकारी संगठन आदि के किसी ऐसे कर्मचारी या अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जाता है जो भारत का नागरिक है तो उसे सूचना दी जाएगी बशर्ते यह अपना पूरा नाम इंगित करे। ऐसे मामले में, यह प्रकल्पित होगा कि एक नागरिक द्वारा निगम आदि के पते पर सूचना मांगी गई है।

बी0पी0एल0 क्या है ?

9. बी0पी0एल0 से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसा व्यक्ति, जिसकी वार्षिक आय रू0 12,000/- (रू0 बारह हजार मात्र) से कम हो, अभिप्रेत है,

अभिलेख क्या है?

10. अभिलेख में निम्नलिखित सम्मिलित है -

(क) कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाइल;
(ख) किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिशे और प्रतिकृति प्रति;
(ग) ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिबिम्ब या प्रतिबिम्बों का पुनरूत्पादन (चाहे वर्धित रूप में हो या न हो); और
(घ) किसी कम्प्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री;
पर व्यक्ति क्या है ?

11. ''पर व्यक्ति'' से सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत कोई लोक प्राधिकारी भी है।

प्रकटन से छूट

12. लोक प्राधिकरण से सूचना मांगने का अधिकार अनिर्बाधित नहीं है। अधिनियम की धारा 8 और 9 में सूचना की ऐसी श्रेणियों को दिया गया है जिन्हें प्रकटन से छूट प्राप्त है। इसी प्रकार अधिनियम की अनुसूच-II में ऐसी आसूचना और सुरक्षा संगठनों के नाम समाविष्ट हैं जिन्हें अधिनियम के कार्यक्षेत्र से छूट प्राप्त है। फिर भी, संगठनों को दी गई यह छूट इनके द्वारा अपराध के अभिकथन और मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सूचना की आपूर्ति को बाधित नहीं करती।

13. आवेदनकर्ताओं को धारा 8 और 9 के अंतर्गत छूट प्राप्त सूचनाओं तथा दूसरी अनुसूची में शामिल संगठनों से सूचना मांगने से बचना चाहिए। तथापि वे अपराध के अभिकथनों तथा मानव अधिकार के उल्लंघन से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

14. सूचना का अधिकार अधिनियम में लोक सूचना अधिकारी से यह भी अपेक्षित है कि वह सूचना मांगने वाले व्यक्तियों को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करें। यदि कोई व्यक्ति अपना निवेदन लिखित रूप से देने में असमर्थ है तो वह अपना आवेदन तैयार करने में लोक सूचना अधिकारी की सहायता ले सकता है। संवेदनात्मक रूप से निःशक्त व्यक्ति को लोक सूचना अधिकारी सहायता प्रदान करेंगे जिसमें निरीक्षण के लिए ऐसी सहायता भी शामिल है, जो समुचित हो।

सूचना का अपनी ओर से प्रकटन

15. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकरण अपने संगठन, क्रियाकलापों, कर्तव्यों आदि के ब्यौरों के प्रकटन के लिए बाध्य है।

सूचना मांगने की विधि

16. (क) सूचना की प्राप्ति हेतु आवेदन लिखित में हिन्दी भाषा देवनागरी लिपि में अथवा अंग्रेजी में प्रस्तुत किया जायेगा।

(ख) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन 'सूचना' प्राप्त किये जाने हेतु लोक प्राधिकारी के सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी के नाम से आवेदन पत्र निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ दस्ती/डाक के द्वारा दिया जायेगा। सूचना अनुरोध पत्र राज्य के आर0टी0आई0 ऑनलाइन पोर्टल https://rtionline.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन भी प्रेषित किया जा सकता है। पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से शुल्क जमा किये जाने की सुविधा उपलब्ध है।

(ग) बी0पी0एल0 श्रेणी के नागरिकों के अतिरिक्त अन्य नागरिकों द्वारा 'सूचना' के लिए ऐसे अनुरोध पत्र पर जिसके साथ निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि प्रस्तुत नहीं की गयी है, को सूचना निर्धारित शुल्क जमा करने पर दी जाएगी। लोक सूचना अधिकारी आवेदनकर्ता को नोटिस भेजेगा कि सूचना

के अधिकार सम्बन्धी आवेदन पर कार्यवाही केवल आवेदन शुल्क का भुगतान करने पर की जाएगी तथा 30 दिन की समय सीमा आवेदन शुल्क का भुगतान करने पर आरम्भ होगी।

(घ) अनुरोधकर्ता द्वारा अनुरोध पत्र में किसी अन्य लोक प्राधिकारियों की अभिरक्षा या नियंत्रण की सूचना की मांग किये जाने पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने से सम्बन्धित लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा या नियंत्रण की सूचना, यदि कोई होती है अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराई जायेगी तथा अन्य लोक प्राधिकारी से सम्बन्धित सूचना के सम्बन्ध में अनुरोधपत्र ऐसे अन्य लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी को अन्तरित किया जायेगा,

परन्तु यह कि यदि अन्य लोक प्राधिकारियों की संख्या दो या दो से अधिक होती है तो अनुरोध पत्र अन्तरित नहीं किया जायेगा अपितु अपने से सम्बन्धित लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा या नियंत्रण की सूचना उपलब्ध कराने की कार्यवाही करते हुए अनुरोधकर्ता को शेष सूचना के लिए सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी से पृथक से आवेदन करने के लिये कहा जायेगा।

(ङ) अनुरोधकर्ता द्वारा यदि अनुरोध पत्र में ऐसी सूचना की मांग की जाती है, जिसके सम्बन्ध में यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि वह किस लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा या नियंत्रण में है जिस कारण उससे सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को अनुरोध पत्र अन्तरित किया जाना सम्भव नहीं है, तो लोक सूचना अधिकारी अपने से सम्बन्धित लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा या नियंत्रण की सूचना, यदि कोई हो, अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराते हुए शेष सूचना के सम्बन्ध में अनुरोधकर्ता को अनुरोध पत्र वापस करते हुए उसे उक्त स्थिति से अवगत करायेगा।

(च) 'सूचना' के लिए अनुरोध ऐसी सूचना के लिए किया जा सकेगा, जो अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (च) के अधीन 'सूचना' परिभाषित है और लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा अथवा नियंत्रण में है। सूचना के लिए अनुरोध पत्र द्वारा अधिनियम में परिभाषित 'सूचना' से इतर सूचना का अनुरोध किये जाने पर लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को ''सूचना धारित नहीं है'' से अवगत करायेगा।

(छ) अनुरोध पत्र में मांगी गयी 'सूचना' का चिन्हीकरण स्पष्ट रूप से न होने की दशा में अनुरोध पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को आवेदित सूचना का सुस्पष्ट चिन्हीकरण पत्र द्वारा अथवा लोक प्राधिकारी की प्रकटन योग्य 'सूचना' का निरीक्षण करके करने हेतु सूचित करेगा। अनुरोधकर्ता द्वारा लिखित रूप मंे अथवा निरीक्षणोपरान्त 'सूचना' का चिन्हीकरण करके लोक सूचना अधिकारी को अवगत कराने पर 'सूचना' यथा प्रक्रिया निर्धारित अवधि के भीतर दी जायेगी।

(ज) आवेदक द्वारा मांगी गयी 'सूचना' का अनुरोध अस्वीकार करने की दशा में लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को अनुरोध अस्वीकार के कारण अधिनियम व नियमावली के सुसंगत प्राविधानों का उल्लेख करते हुए लिखेगा और सूचित करेगा। लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को अनुरोध अस्वीकार करने के विरूद्ध अपील करने की समय अवधि तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम, पता आदि का विवरण सूचित करेगा।

(झ) आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना उसी ''प्ररूप'' में उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें उसे मांगा गया है जब तक कि उस सूचना को उपलब्ध कराने में लोक प्राधिकारी के संसाधनों को अनअनुपाती रूप में परिवर्तित न कर दिए गए हों अथवा अभिलेखों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए हानिकर न हो। लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदनकर्ता को सूचना का निरीक्षण कराकर सूचना आवेदनकर्ता को उस 'प्ररूप' में उपलब्ध करायी जायेगी जिस 'प्ररूप' में सूचना उपलब्ध कराना लोक प्राधिकारी के संसाधनों को अनअनुपाती रूप में विचलित न करता हो।

सूचना मांगने का शुल्क

17. (क) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना हेतु आवेदन पत्र के साथ लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी के नाम संदेय रू0 10.00 मात्र का शुल्क उचित रसीद की प्रति, नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से जमा किया जा सकेगा। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने पर आवेदन शुल्क एवं अतिरिक्त शुल्क ऑनलाइन डेविट/ क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आर0टी0जी0एस0, यू0पी0आई0 एवं ई-चालान के माध्यम से जमा किया जा सकता है;

(ख) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन सूचना की लागत के रूप में अतिरिक्त शुल्क सूचना दिए जाने हेतु लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी के नाम संदेय निम्नलिखित दरों के अनुरूप शुल्क उचित रसीद के प्रति नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से जमा किया जा सकेगा, अर्थात,

परन्तु यह कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को कोई शुल्क देय नहीं होगा।

(एक) ए-3 या ए-4 आकार के पृष्ठ (छायाप्रति या तैयार सूचना) हेतु रू0 2.00 (दो रूपये मात्र) प्रति पृष्ठ और इससे बड़े आकार के पृष्ठ हेतु वास्तविक लागत,

(दो) अभिलेखों के निरीक्षण हेतु प्रथम घंटा हेतु कोई शुल्क संदेय नहीं होगा, तदुपरान्त प्रत्येक एक घण्टे अथवा उसके भाग हेतु रू0 5.00 मात्र (पांच रूपये मात्र) का शुल्क संदाय किया जाना होगा,

(तीन) मॉडल एवं नमूनों की प्रतियों के लिए वास्ताविक लागत का संदाय किया जाना होगा।

(ग) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन सूचना छपे या इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना दिए जाने हेतु लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी के नाम देय निम्नलिखित दरों के अनुरूप शुल्क, उचित रसीद के प्रति नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से संदाय किया जा सकेगा, अर्थात

(एक) सी0डी0/डी0वी0डी0 पर सूचना दिए जाने हेतु रू0 20.00 मात्र (बीस रूपये मात्र) प्रति सी0डी0/डी0वी0डी0, और

(दो) किसी मुद्रित प्रकाशन की दशा में, उसका निर्धारित मूल्य या ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की फोटो के प्रति पृष्ठ के लिए रू0 2.00 मात्र (दो रूपये मात्र)।

(घ) बी0पी0एल0 श्रेणी के व्यक्तियों के सूचना अनुरोध पर शुल्क हेतु निम्नलिखित व्यवस्था होगी:-

(एक) यदि आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना उसके (बी0पी0एल0 श्रेणी के) स्वयं से या उसके परिवार से सम्बन्धित हो, तो वह सूचना निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी।

(दो) यदि सूचना बी0पी0एल0 श्रेणी के अनुरोधकर्ता या उसके परिवार के सदस्य से भिन्न व्यक्ति से सम्बन्धित हो, और सूचना 50 छाया पृष्ठों (ए-4 साइज के) या तैयार करने में रूपये 100 के व्यय में दी जा सकती है तो वह सूचना निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी। यदि आवेदित सूचना इस सीमा से अधिक हो तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले श्रेणी के व्यक्ति को स्वयं के खर्चे पर अभिलेखों के निरीक्षण करने, टिप्पणियां लेने या छायाप्रतियां प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकेगी।

परन्तु यह कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को आवेदनकर्ता द्वारा स्वयं सत्यापित बी0पी0एल0 कार्ड की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

आवेदन का प्रपत्र

18. सूचना मांगने के लिए आवेदन का कोई निर्धारित प्रपत्र नहीं है। आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है। तथापि, आवेदन में आवेदक का नाम तथा डाक का पूरा पता लिखा होना चाहिए। यहां तक कि, इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से मांगी जाने वाली सूचना में भी आवेदक का नाम और डाक का पता होना चाहिए ।

अनुरोध का निपटान

19. लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह वैध आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आवेदक को सूचना उपलब्ध करवाए। यदि मांगी गई सूचना व्यक्ति के जीवन अथवा स्वतंत्रता से संबंधित है तो सूचना, ऐसे अनुरोध के प्राप्त होने के 48 घंटों के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी। यदि लोक सूचना अधिकारी का यह मत है कि मांगी गई सूचना अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रदान नहीं की जा सकती तो वह आवेदन को अस्वीकार कर देगा। तथापि, आवेदन अस्वीकार करते समय वह आवेदक को ऐसी अस्वीकृति के कारण तथा अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालय के पते के संबंध में सूचित करेगा। वह आवेदक को अपील दायर करने की अवधि का विवरण भी देगा।

20. यदि आवेदक को कोई सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन शुल्क के अतिरिक्त भुगतान करना अपेक्षित है तो लोक सूचना अधिकारी, आवेदक को गणना सहित अतिरिक्त शुल्क का ब्यौरा देते

हुए आवेदक द्वारा अदा की जाने वाली कुल देय राशि की सूचना देगा । लोक सूचना अधिकारी से ऐसा पत्र/संप्रेषण प्राप्त होने के बाद आवेदक, संबंधित लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी के पक्ष में उपयुक्त रसीद द्वारा नकद धनराशि जमा करवा सकता है अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर द्वारा धनराशि जमा करवा सकता है। यदि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचित की गई अतिरिक्त धनराशि आवेदक द्वारा जमा नहीं करवाई जाती है तो लोक सूचना अधिकारी सूचना उपलब्ध करवाने के लिए बाध्य नहीं है। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्राप्त होने पर अतिरिक्त शुल्क की मांग ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी, जिसका भुगतान ऑनलाइन डेविट/ क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आर0टी0जी0एस0, यू0पी0आई0, अथवा ई-चालान के माध्यम से किया जा सकता है।

21. जहाँ, अतिरिक्त शुल्क जमा करवाया जाना अपेक्षित है, वहां अतिरिक्त शुल्क के भुगतान के संबंध में सूचना डिस्पैच करने और आवेदक द्वारा शुल्क के भुगतान के बीच की अवधि को, उस 30 दिन की अवधि की गणना के प्रयोजन से बाहर रखा जाएगा, जिसके भीतर लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाती है।

22. यदि लोक सूचना अधिकारी, 30 दिन की अवधि के भीतर अथवा 48 घंटों के भीतर, जैसी भी स्थिति हो, सूचना के अनुरोध पर अपना निर्णय देने में असफल रहता है तो यह माना जाएगा कि सूचना देने से इंकार कर दिया गया है।

प्रथम अपील

23. यदि आवेदक को 30 दिन अथवा 48 घंटे की निर्धारित सीमा, जैसी भी स्थिति हो, के भीतर सूचना प्रदान नहीं की जाती है अथवा यह प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट नहीं है तो वह प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी जो कि लोक सूचना अधिकारी से रैंक में वरिष्ठ अधिकारी है, को अपील कर सकता है। ऐसी अपील, उस तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर की जानी चाहिए जिस तारीख को सूचना प्रदान करने की 30 दिनों की सीमा समाप्त हो रही है अथवा उस तारीख से जिसमें लोक सूचना अधिकारी की सूचना अथवा निर्णय प्राप्त हुआ है।

24. लोक प्राधिकारी के प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी अपील प्राप्त होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर अथवा आपवादिक मामलों में 45 दिनों के भीतर अपील का निपटान कर सकते हैं।

25. अधिनियम की धारा 19 के अधीन लोक सूचना अधिकारी के निस्तारण के विरूद्ध अपील किये जाने पर अपीलकर्ता को अपील के साथ अनुरोध पत्र तथा लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोध पत्र के निस्तारण के पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी। अपील पत्र में अपील के आधार स्पष्ट रूप से लिखे जायेंगे।

26. तीसरे पक्ष की सूचना प्रकटन के मामले में लोक सूचना अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील में अपील पत्र के साथ लोक सूचना अधिकारी का आदेश तीसरे पक्ष की मांगी गयी सूचना तीसरे पक्ष

द्वारा दिया गया कथन संलग्न किया जायेगा। अपील पत्र में अपील का आधार स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

द्वितीय अपील

27. यदि प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी, निर्धारित अवधि के भीतर अपील पर आदेश जारी करने में असफल रहता है अथवा अपीलकर्ता, प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह प्रथम अपीलीय अपीलीय अधिकारी के निर्णय की तारीख अथवा जिस तारीख को अपीलकर्ता को निर्णय वास्तव में प्राप्त हुआ हो से 90 दिनों की अवधि के भीतर सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, रिंग रोड, लाड़पुर, देहरादून के समक्ष द्वितीय अपील कर सकता है। द्वितीय अपील में अपीलकर्ता को द्वितीय अपील पत्र के साथ अनुरोधकर्ता का अनुरोध पत्र, लोक सूचना अधिकारी के अनुरोध पत्र के निस्तारण का पत्र, प्रथम अपील का अपीलीय पत्र एवं प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपील के निस्तारण आदेश की प्रति संलग्न की जायेगी। द्वितीय अपील का आधार स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना आवश्यक होगा।

28. यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सूचना अधिकारी को इस कारण से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है कि संबंधित लोक प्राधिकारी द्वारा ऐसा कोई अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है। अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी ने उसके आवेदन या अपील को लोक सूचना अधिकारी अथवा अपील प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, को स्वीकार करने अथवा अग्रेषित करने से मना कर दिया है अथवा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उसके द्वारा अनुरोध किए गए किसी सूचना के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है, अथवा अधिनियम में उल्लिखित समय-सीमा के अंदर सूचना के आवेदन का प्रत्युत्तर उसे नहीं दिया गया है, अथवा उसे फीस की ऐसी राशि चुकाने को कहा गया है जिसे वह अत्यधिक समझता है, या उसे लगता है कि उसे अधूरी, भ्रामक अथवा झूठी सूचना दी गई है, तो वह उत्तराखण्ड सूचना आयोग में धारा 18 के तहत शिकायत दर्ज कर सकता है।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा अपीलों तथा शिकायतों का निपटान

29. (क) अपील पर निर्णय लेते समय उत्तराखण्ड सूचना आयोग:-

(एक) सम्बन्धित अथवा हितबद्ध व्यक्ति से शपथ पर साक्ष्य अपना शपथ पत्र पर मौखिक अथवा लिखित साक्ष्य प्राप्त कर सकेगा;

(दो) दस्तावेजों, लोक अभिलेखों या उनकी प्रतियों को ध्यानपूर्णक पढ़ेगा या उनका निरीक्षण करेगा;

(तीन) अग्रिम विवरण अथवा तथ्यों की प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से जॉच करेगा; और

(चार) लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा अन्य किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके विरूद्ध अपील की गई है या तीसरे पक्ष से शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त कर सकेगा।

(पांच) द्वितीय अपील में अनुरोधकर्ता द्वारा मांगी गयी 'सूचना' के निर्धारित समय के अन्दर प्रकटन का मामला ही देखा जायेगा। द्वितीय अपील में राज्य सूचना आयोग उक्त उपबन्ध (तीन) के अनुसार द्वितीय अपील में प्रश्नगत विषय पर ही जांच करेगा और अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार आदेश पारित करेगा। किसी अन्य प्राधिकारी को प्रश्नगत द्वितीय अपील के निस्तारण के दौरान किसी अन्य विषय पर जांच का निर्देश नहीं देगा।

(छः) द्वितीय अपील में लोक सूचना अधिकारी को द्वितीय अपील पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जायेगा। आयोग उक्त के बाद अन्तरिम निर्देश द्वितीय अपील में अर्न्तग्रस्त विषय से इतर विषय पर कार्यवाही के लिए निर्गत नहीं करेगा। द्वितीय अपील का निस्तारण अन्तिम रूप से यथासम्भव 90 दिन में तथा विलम्बतम 120 दिन में करेगा।

(सात) द्वितीय अपील के आदेश में सूचना आयोग यथा आवश्यकता अधिनियम की धारा 19(8) के अनुरूप सूचना के प्रकटन और पहुँच बनाये जाने के लिए निर्देश दे सकेगा।

(आठ) द्वितीय अपील के निस्तारण में लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश निर्गत नहीं किया जायेगा। जिन मामलों में आयोग को आवश्यक प्रतीत होता है आयोग कारण अभिलिखित करते हुए लोक सूचना अधिकारी को द्वितीय अपील में उपस्थित होने के निर्देश निर्गत करेगा।

(नौ) आयोग द्वितीय अपील के जिन मामलों में वीडियों कान्फ्रेन्स से अपीलकर्ता, लोक सूचना अधिकारी या अन्य अधिकारी का पक्ष जानना उपयुक्त समझता है और उनकी उपस्थिति अपेक्षित है तो वह ऐसा कर सकेगा। राज्य सरकार की वीडियो कान्फ्रेन्स प्रणाली का आयोग को द्वितीय अपील अथवा शिकायत की सुनवाई के लिए उपयोग करने की सुविधा राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।

(दस) आयोग द्वारा द्वितीय अपील की सुनवायी के समय यह समाधान होने पर कि लोक सूचना अधिकारी पर अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की जानी आवश्यक है, लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस निर्गत कर कारण बताने का अवसर दिया जायेगा। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपना पक्ष रखने अथवा निर्धारित अवधि व्यतीत होने पर आयोग, लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध अधिनियम की धारा 20 के अनुसार शास्ति आरोपित करेगा। लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध शास्ति आरोपण की कार्यवाही द्वितीय अपील के निस्तारण के आदेश के साथ प्रारम्भ की जायेगी। शास्ति आरोपण की कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए द्वितीय अपील का निस्तारण लम्बित नहीं रखा जायेगा।

(ग्यारह) अपील की जांच करते समय आयोग अधिनियम के प्रावधानों का निरन्तर उल्लंघन करने वाले लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने की संस्तुति कर सकेगा। ऐसी संस्तुति निर्गत करने से पहले आयोग लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस निर्गत करेगा। तत्पश्चात कारण बताओ नोटिस के विरूद्ध लोक सूचना अधिकारी के समुचित रूप से सुनने के बाद आयोग ऐसे लोक प्राधिकारी को समुचित संस्तुतियां निर्गत करेगा जिसने ऐसे लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त किया।

(ख) (एक) तीसरे पक्ष की सूचना प्रकटन के मामले में लोक सूचना अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आयोग में अपील में अपील पत्र के साथ लोक सूचना अधिकारी का आदेश तीसरे पक्ष की मांगी गयी सूचना, तीसरे पक्ष द्वारा दिया गया कथन संलग्न किया जायेगा। अपील पत्र में अपील का आधार स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

(दो) उक्त उपखण्ड (एक) के अनुसार प्रस्तुत अपील में तीसरे पक्ष को आयोग अपना पक्ष रखने का अवसर देगा।

(तीन) अपील के निस्तारण के लिये लोक सूचना अधिकारी तथा तीसरे पक्ष को आयोग द्वारा अपील में अपना पक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा।

(ग) आयोग द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति को प्रथम नोटिस पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से भेजी जायेगी, उसके बाद की नोटिस सम्बन्धित व्यक्ति को निम्नांकित रूप से प्राप्त करायी जायेगीः -

(एक) स्वयं पक्षकार के माध्यम से ;
(दो) तामीलकर्ता के माध्यम से दस्ती ;
(तीन) साधारण डाक द्वारा ; या
(चार) कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष के माध्यम से।
(पांच) इण्टरनेट के माध्यम से ई मेल द्वारा अथवा एस0एम0एस0 द्वारा
(छः) पावती के साथ पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से।

किन्तु अग्रेतर प्रतिबंध यह है कि खण्ड (छः) के अनुसार नोटिस प्राप्ति प्रथम पांच तरीकों से नोटिस प्राप्ति न होने की दशा में ही किया जायेगा।

(घ) अपीलार्थी या पक्षकारों को सुनवाई के लिए आयोग निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायेगाः-

(एक) अपीलार्थी या प्रतिपक्ष, जैसी स्थिति हो, आवेदन की प्रक्रिया में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु किसी भी व्यक्ति का सहयोग ले सकेगा।
(दो) आयोग के आदेश खुले में सुनाये जाऐंगे और आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी या सचिव द्वारा लिखित रूप में अभिप्रमाणित किए जाएंगे।
(तीन) आयोग का आदेश, आदेश होने के बाद आयोग द्वारा अपने वेबसाइट पर यथाशीघ्र प्रकाशित किये जायेंगे।

(ङ) धारा 18 के अन्तर्गत आयोग द्वारा कार्यवाही की प्रक्रिया

(एक) आयोग अधिनियम की धारा 18(1) के खण्ड (क) से (च) में उल्लिखित कारणों से की गयी शिकायत की जांच करेगा।
(दो) शिकायत में शिकायतकर्ता स्पष्ट अंकित करेगा कि धारा 18 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (च) में से किस आधार या आधारों पर शिकायत की गयी है।
(तीन) शिकायत की प्रति लोक सूचना अधिकारी अथवा लोक प्राधिकारी के प्रमुख, जैसी स्थिति हो, को भेजी जायेगी और शिकायत पर लिखित रूप से पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा।
(चार) आयोग आवश्यकतानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों का साक्ष्य ले सकेगा, जो शिकायत की जांच के लिए आवश्यक हो। आयोग ऐसे अभिलेख मंगा सकता है और निरीक्षण कर सकता है, जो शिकायत की जांच के लिए आवश्यक हो।
(पांच) अधिनियम की धारा 20 के अनुसार आयोग शिकायत की जांच कर सकेगा और अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले लोक सूचना अधिकारी को दण्डित करने के लिए

शास्ति आरोपित कर सकेगा। आयोग शास्ति आरोपित करने से पूर्व लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस के विरूद्ध लोक सूचना अधिकारी की समुचित रूप से सुनवाई कर समुचित आदेश पारित करेगा।

(छः) अपील की जांच करते समय आयोग अधिनियम के प्रावधानों का निरन्तर उल्लंघन करने वाले लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने की संस्तुति कर सकेगा। ऐसी संस्तुति निर्गत करने से पहले आयोग लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस निर्गत करेगा। तत्पश्चात कारण बताओ नोटिस के विरूद्ध लोक सूचना अधिकारी के समुचित रूप से सुनने के बाद आयोग ऐसे लोक प्राधिकारी को समुचित संस्तुतियां निर्गत करेगा जिसने ऐसे लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त किया हो।

नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं

30. सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन अनुरोध पत्र, प्रथम अपील दर्ज किये जाने, आवेदन शुल्क/अतिरिक्त शुल्क जमा किये जाने हेतु आर0टी0आई0 ऑनलाइन पोर्टल https://rtionline.uk.gov.in की सुविधा प्रदान की गयी है जिसके माध्यम से राज्य के लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण में धारित सूचनाओं की मांग की जा सकती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन द्वितीय अपील/शिकायत दर्ज किये जाने के लिए उत्तराखण्ड सूचना आयोग की वेबसाइट https://rtionline.uk.gov.in पर सुविधा प्रदान की गयी है। उक्त वेबसाइट के माध्यम से नागरिक हाईब्रिड मोड के माध्यम से आयोग में होने वाली सुनवाई में प्रतिभाग कर सकते हैं। आयोग में प्राप्त होने वाली अपीलों/शिकायतों को सूचना एस0एम0एस0/ईमेल के माध्यम से ऐसे आवेदकों को प्रदान किया जा रहा है जिनके द्वारा अपीलीय/शिकायती पत्र में अपना मोबाइल नम्बर और ई-मेल उपलब्ध कराया जा रहा है। अपील/शिकायत के अंतरिम/अंतिम निर्णय की प्रति आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करने की सुविधा भी प्रदान की गयी है।

31. आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध सुविधाएं -

1. सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक
2. सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन प्रथम अपील हेतु लिंक
3. आयोग में ऑनलाइन माध्यम से द्वितीय अपील/शिकायत दर्ज किये जाने की सुविधा
4. द्वितीय अपील/शिकायत की सुनवाई में ऑनलाइन माध्यम से जुडने हेतु गूगलमीट का लिंक
5. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
6. उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013
7. सूचना का अधिकार अधिनियम की मार्गदर्शिका
8. द्वितीय अपील/शिकायत का स्टेटस
9. द्वितीय अपील/शिकायत के अंतरिम/अंतिम आदेश
10. वादों की सुनवाई की दैनिक सूची

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

धाराओं का क्रम

धाराएं

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।
2. परिभाषाएं।
3. सूचना का अधिकार।

अध्याय 2

सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं

4. लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं।
5. लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम ।
6. सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध ।
7. अनुरोध का निपटारा।
8. सूचना के प्रकट किए जाने से छूट।
9. कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार ।
10. पृथक्करणीयता ।
11. पर व्यक्ति सूचना ।

अध्याय 3

केन्द्रीय सूचना आयोग

12. केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन ।
13. पदावधि और सेवा शर्तें।
14. सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना।

अध्याय 4

राज्य सूचना आयोग

15. राज्य सूचना आयोग का गठन ।
16. पदावधि और सेवा की शर्तें ।
17. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना।

अध्याय 5

सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्यए अपील तथा शास्तियां

18. सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य ।
19. अपील ।
20. शास्ति ।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

21. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।
22. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना ।
23. न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन ।
24. अधिनियम का कतिपय संगठनों को लागू न होना।
25. मानीटर करना और रिपोर्ट करना।
26. समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना।
27. नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति ।
28. नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति ।
29. नियमों का रखा जाना ।
30. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।
31. निरसन ।

पहली अनुसूची ।

दूसरी अनुसूची ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 22)

[15 जून, 2005]

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व
के संवर्धन के लिए, लोक प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन सूचना
तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के
अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने,
एक केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग
का गठन करने के और उनसे संबंधित या उनके
आनुषंगिक विषयों का उपबंध
करने के लिए
अधिनियम

भारत के संविधान ने लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है ;

और लोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग तथा ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है, जो उसके कार्यकरण तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी और सरकारों तथा उनके परिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य है ;

और वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटन से संभवतः अन्य लोक हितों, जिनके अंतर्गत सरकारों के दक्ष प्रचालन, सीमित राज्य वित्तीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग और संवेदनशील सूचना की गोपनीयता को बनाए रखना भी है, के साथ विरोध हो सकता है ;

और लोकतंत्रात्मक आदर्श की प्रभुता को बनाए रखते हुए इन विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बनाना आवश्यक है ;

अतः अब यह समीचीन है कि ऐसे नागरिकों को, कतिपय सूचना देने के लिए, जो उसे पाने के इच्छुक हैं, उपबंध किया जाए ;

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय **1**

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम**,** विस्तार और प्रारंभ -

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 है।

(2) इसका विस्तार 1*** सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) धारा 4 की उपधारा (1), धारा 5 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 12, धारा 13, धारा 15, धारा 16, धारा 24, धारा 27 और धारा 28 के उपबंध तुरंत प्रभावी होंगे और इस अधिनियम के शेष उपबंध इसके अधिनियमन के एक सौ बीसवें दिन को प्रवृत्त होंगे।

[1] 2019 के अधिनियम सं॰ 34 की धारा 95 और पांचवी अनुसूची द्वारा (31.10.2019 से) "जम्मू-कश्मीर राज्यों के सिवाय" शब्दों का लोप किया गया।

* 12 अक्तूबर, 2005.

2. परिभाषाएं -

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) **"**समुचित सरकार**"** से किसी ऐसे लोक प्राधिकरण के संबंध में जो -

I. केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित किया जाता है, केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

II. राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित किया जाता है, राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(ख) **"**केन्द्रीय सूचना आयोग**"** से धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय सूचना आयोग अभिप्रेत है;

(ग) **"**केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी**"** से उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रकार पदाभिहित कोई केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है;

(घ) **"**मुख्य सूचना आयुक्त**"** और **"**सूचना आयुक्त**"** से धारा (12) की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त अभिप्रेत है;

(ङ) **"**सक्षम प्राधिकारी**"** से अभिप्रेत है -

I. लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा की या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की, जिसमें ऐसी सभा है, दशा में अध्यक्ष और राज्य सभा या किसी राज्य की विधान परिषद् की दशा में सभापति;

II. उच्चतम न्यायालय की दशा में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति;

III. किसी उच्च न्यायालय की दशा में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति;

IV. संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित अन्य प्राधिकरणों की दशा में, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल;

V. संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक,

(च) **"**सूचना**"** से किसी इलैक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, माडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री, अभिप्रेत है;

(छ) **"**विहित**"** से, यथास्थिति, समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ज) "लोक प्राधिकारी" से, -

(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन;

(ख) संसद् द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा;

(ग) राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा ;

(घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा स्थापित या
गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है;
और इसके अन्तर्गत, -

I. कोई ऐसा निकाय है जो समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है;

II. कोई ऐसा गैर-सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार, द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है।

(झ) "अभिलेख" में निम्नलिखित सम्मिलित है -

(क) कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाइल;

(ख) किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिशे और प्रतिकृति प्रति;

(ग) ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिबिम्ब या प्रतिबिम्बों का पुनरूत्पादन (चाहे वर्धित रूप में हो या न हो); और

(घ) किसी कम्प्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री;

(ञ) "सूचना का अधिकार" से इस अधिनियम के अधीन पहुँच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है -

I. कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;

II. दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना;

III. सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना;

IV. डिस्केट फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक रीति में या प्रिंटआउट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है, अभिप्राप्त करना;

(ट) "राज्य सूचना आयोग" से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है;

(ठ) "राज्य मुख्य सूचना आयुक्त" और "राज्य सूचना आयुक्त" से धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त अभिप्रेत है;

(ड) "राज्य लोक सूचना अधिकारी" से उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित राज्य लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन उस रूप में पदाभिहित राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है ;

(ढ) "पर व्यक्ति" से सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत कोई लोक प्राधिकारी भी है।

अध्याय **2**

सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं

3. सूचना का अधिकार-

इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।

4. लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं-

(1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी -

(क) अपने सभी अभिलेखों को सम्यक् रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कंप्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलभ्यता के अधीन रहते हुए, कंप्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध है जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुँच को सुकर बनाया जा सकें;

(ख) इस अधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिन के भीतर-

I. अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य;

II. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य;

III. विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है;

IV. अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदण्ड;

V. अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख;

VI. ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गो का विवरण;

VII. किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है;

VIII. ऐसे बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियांे और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी, विवरण;

IX. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका;

X. अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों मंे यथाउपबंधित हों;

XI. सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टो की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट;

XII. सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं;

XIII. अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां;

XIV. किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो;

XV. सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं;

XVI. लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां

XVII. ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए ;

प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा;

(ग) महत्वपूर्ण नीतियों की विरचना करते समय या ऐसे विनिश्चयों की घोषणा करते समय, जो जनता को प्रभावित करते हों, सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा;

(घ) प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिककल्प विनिश्चयों के लिए कारण उपलब्ध कराएगा;

(2) प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार, स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अन्तरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अन्तर्गत इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करें जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पडे।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से और ऐसे प्ररूप और रीति में प्रसारित किया जाएगा, जो जनता के लिए सहज रूप से पहुँच योग्य हो।

(4) सभी सामग्री को, लागत प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और उस क्षेत्र में संसूचना की अत्यंत प्रभावी पद्धति को ध्यान में रखते हुए, प्रसारित किया जाएगा तथा सूचना, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास इलैक्ट्रानिक रूप में संभव सीमा तक निःशुल्क या माध्यम की ऐसी लागत पर या ऐसी मुद्रण लागत कीमत पर, जो विहित की जाए, सहज रूप से पहुँच योग्य होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण - उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए, ''प्रसारित'' से सूचना पट्टों, समाचारपत्रों, लोक उद्घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम से, जिसमें किसी लोक प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण सम्मिलित है, जनता को सूचना की जानकारी देना या संसूचित करना अभिप्रेत है।

5. लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम -

(1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर सभी प्रशासनिक एककों या उसके अधीन कार्यालयों में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारियों के रूप में उतने अधिकारियों को अभिहित करेगा, जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हों।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर किसी अधिकारी को प्रत्येक उपमंडल स्तर या अन्य उप जिला स्तर पर, यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी

या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए आवेदन या अपील प्राप्त करने और उसे तत्काल, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केंद्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग को भेजने के लिए, पदाभिहित करेगा;

परंतु यह कि जहां सूचना या अपील के लिए कोई आवेदन यथास्थिति, किसी केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है, वहां धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उत्तर के लिए अवधि की संगणना करने में पांच दिन की अवधि जोड़ दी जाएगी।

(3) यथास्थिति, प्रत्येक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्रवाई करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा।

(4) यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता की मांग कर सकेगा, जिसे वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

(5) कोई अधिकारी, जिसकी उपधारा (4) के अधीन सहायता चाही गई है, उसकी सहायता चाहने वाले यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी समझा जाएगा।

6. सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध-

(1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है, लिखित में या इलैक्ट्रानिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी में या उस क्षेत्र की जिसमें आवेदन किया जा रहा है, राजभाषा में ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए -

(क) संबंधित लोक प्राधिकरण के, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी,

(ख) यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, को, उसके द्वारा मांगी गई सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा:

परंतु जहां ऐसा अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी युक्तियुक्त सहायता मौखिक रूप से देगा, जिससे कि उसे लेखबद्ध किया जा सके।

(2) सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को, सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हों, देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(3) जहां, कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए किया जाता है -

I. जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है; या

II. जिसकी विषय-वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है;

वहां, वह लोक प्राधिकारी, जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है, ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो समुचित हो, उस अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा और ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को तुरंत सूचना देगा:

परंतु यह कि इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किंतु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिनों के पश्चात नहीं किया जाएगा।

7. अनुरोध का निपटारा-

(1) धारा 5 की उपधारा (2) के परंतुक या धारा 6 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, यथासंभव शीघ्रता से, और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा:

परंतु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) यदि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के लिए अनुरोध पर विनिश्चय करने में असफल रहता है तो, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अनुरोध को नामंजूर कर दिया है।

(3) जहां, सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में किसी और फीस के संदाय पर सूचना उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया जाता है, वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को, -

(क) उसके द्वारा यथाअवधारित सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में और फीस के ब्यौरे, जिनके साथ उपधारा (1) के अधीन विहित फीस के अनुसार रकम निकालने के लिए की गई संगणनाएं हांगी, देते हुए उससे उस फीस को जमा करने का अनुरोध करते हुए कोई संसूचना भेजेगा और उक्त संसूचना के प्रेषण और फीस के संदाय के बीच मध्यवर्ती अवधि को उस धारा में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा;

(ख) प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराई गई पहुंच के प्ररूप के बारे में, जिसके अंतर्गत अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां, समय-सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य प्ररूप भी हैं, विनिश्चय करने का पुनर्विलोकन करने के संबंध में उसके अधिकार से संबंधित सूचना देते हुए, कोई संसूचना भेजेगा।

(4) जहां, इस अधिनियम के अधीन अभिलेख या उसके किसी भाग तक पहुंच अपेक्षित है और ऐसा व्यक्ति, जिसको पहुंच उपलब्ध कराई जानी है, संवेदनात्मक रूप से निःशक्त है, वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए सहायता उपलब्ध कराएगा जिसमें निरीक्षण के लिए ऐसी सहायता कराना भी सम्मिलित है, जो समुचित हो।

(5) जहां, सूचना तक पहुँच मुद्रित या किसी इलैक्ट्रानिक रूपविधान में उपलब्ध कराई जानी है, वहां आवेदक, उपधारा (6) के अधीन रहते हुए, ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो विहित की जाए:

परन्तु धारा 6 की उपधारा (1) और धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन विहित फीस युक्तियुक्त होगी और ऐसे व्यक्तियों से जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, जैसा समुचित सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।

(6) उपधारा (5) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई लोक प्राधिकारी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रभार के बिना सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।

(7) उपधारा (1) के अधीन कोई विनिश्चय करने से पूर्व, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 11 के अधीन पर व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन को ध्यान में रखेगा।

(8) जहां, किसी अनुरोध को उपधारा (1) के अधीन अस्वीकृत किया गया है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को, -

I. ऐसी अस्वीकृति के लिए कारण;

II. वह अवधि, जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरूद्ध कोई अपील की जा सकेगी; और

III. अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां,

संसूचित करेगा।

(9) किसी सूचना को साधारणतयाः उसी प्ररूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उसे मांगा गया है, जब तक कि वह लोक प्राधिकारी के स्रोतों को अननुपाती रूप से विचलित न करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो।

8. सूचना के प्रकट किए जाने से छूट-

(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी नागरिक को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी -

(क) सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो;

(ख) सूचना, जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है ;

(ग) सूचना, जिसके प्रकटन से संसद् या किसी राज्य के विधान- मंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा;

(घ) सूचना, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है;

(ङ) किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है;

(च) किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना;

(छ) सूचना, जिसके प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा;

(ज) सूचना, जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन पड़ेगी ;

(झ) मंत्रिमंडल के कागजपत्र, जिसमें मंत्रिपरिषद्, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं:

परन्तु यह कि मंत्रिपरिषद् के विनिश्चय, उनके कारण तथा वह सामग्री, जिसके आधार पर विनिश्चय किए गए थे, विनिश्चय किए जाने और विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात् जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे:

परन्तु यह और कि वे विषय जो इस धारा में विनिर्दिष्ट छूटों के अंतर्गत आते हैं, प्रकट नहीं किए जाएंगे;

(ञ) सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यष्टि की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है:

परन्तु ऐसी सूचना के लिए, जिसको, यथास्थिति, संसद् या किसी राज्य विधान-मंडल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकेगा।

(2) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923(1923 का 19) में, उपधारा (1) के अनुसार अनुज्ञेय किसी छूट में किसी बात के होते हुए भी, किसी लोक प्राधिकारी को सूचना तक पहुंच अनुज्ञात की जा सकेगी, यदि सूचना के प्रकटन में लोक हित, संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक है।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (क), खण्ड (ग) और खण्ड (झ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी घटना, वृतांत या विषय से संबंधित कोई सूचना, जो उस तारीख से, जिसको धारा 6 के अधीन कोई अनुरोध किया जाता है, बीस वर्ष पूर्ण घटित हुई थी या हुआ था, उस धारा के अधीन अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी:

परन्तु यह कि जहां उस तारीख के बारे में, जिससे बीस वर्ष की उक्त अवधि को संगणित किया जाता है, कोई प्रश्न उद्भूत होता है, वहां इस अधिनियम में उसके लिए उपबंधित प्रायिक अपीलों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

9. कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार-

धारा 8 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, कोई केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या कोई राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना के किसी अनुरोध को वहां अस्वीकार कर सकेगा, जहां पहुंच उपलब्ध कराने के लिए ऐसा अनुरोध राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के अस्तित्वयुक्त प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन अन्तर्वलित करेगा।

10. पृथक्करणीयता-

(1) जहां सूचना तक पहुंच के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार किया जाता है कि वह ऐसी सूचना के संबंध में है, जो प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है वहां, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, पहुंच अभिलेख के उस भाग तक उपलब्ध कराई जा सकेगी जिसमें कोई ऐसी सूचना अन्तर्विष्ट नहीं है, जो इस अधिनियम के अधीन प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है और जो किसी ऐसे भाग से, जिसमें छूट प्राप्त सूचना अन्तर्विष्ट है, युक्तियुक्त रूप से पृथक की जा सकती है।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन अभिलेख के किसी भाग तक पहुँच अनुदत्त की जाती है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी निम्नलिखित सूचना देते हुए, आवेदक को एक सूचना देगा कि -

(क) अनुरोध किए गए अभिलेख का केवल एक भाग ही, उस अभिलेख से उस सूचना को जो प्रकटन से छूट प्राप्त है पृथक करने के पश्चात्, उपलब्ध कराया जा रहा है;

(ख) विनिश्चय के लिए कारण, जिनके अंतर्गत तथ्य के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर उस सामग्री के प्रति, जिस पर वे निष्कर्ष आधारित थे, निर्देश करते हुए कोई निष्कर्ष भी है;

(ग) विनिश्चय करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम ;

(घ) उसके द्वारा संगणित फीस के ब्यौरे और फीस की वह रकम जिसकी आवेदक से निक्षेप करने की अपेक्षा की जाती है ; और

(ङ) सूचना के भाग को प्रकट न किए जाने के संबंध में विनिश्चय के पुनर्विलोकन के बारे में उसके अधिकार, प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराया गया पहंुच का प्ररूप, जिसके अन्तर्गत, यथास्थिति, धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केन्द्रीय सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी की विशिष्टियां, समय-सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य पहुंच का प्ररूप भी है।

11. पर व्यक्ति सूचना-

(1) जहां, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का, इस अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर कोई ऐसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है, जो किसी पर व्यक्ति से संबंधित है या उसके द्वारा इसका प्रदाय किया गया है और उस पर व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने से पांच दिन के भीतर, ऐसे पर व्यक्ति को अनुरोध की और इस तथ्य की लिखित रूप में सूचना देगा कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का उक्त सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है, और इस बारे में कि सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं, लिखित में या मौखिक रूप से निवेदन करने के लिए पर व्यक्ति को आमंत्रित करेगा तथा सूचना के प्रकटन के बारे में कोई विनिश्चय करते समय पर व्यक्ति के ऐसे निवेदन को ध्यान में रखा जाएगा:

परन्तु विधि द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक गुप्त बातों की दशा में के सिवाय, यदि ऐसे प्रकटन में लोकहित, ऐसे पर व्यक्ति के हितों की किसी संभावित अपहानि या क्षति से अधिक महत्वपूर्ण है तो प्रकटन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति पर किसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग के बारे में किसी सूचना की तामील की जाती है, वहां ऐसे पर व्यक्ति को, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर, प्रस्तावित प्रकटन के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा।

(3) धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात चालीस दिन के भीतर, यदि पर व्यक्ति को उपधारा (2) के अधीन अभ्यावेदन करने का अवसर दे दिया गया है, तो इस बारे में विनिश्चय करेगा कि उक्त सूचना या अभिलेख या उसके भाग का प्रकटन किया जाए या नहीं और अपने विनिश्चय की सूचना लिखित में पर व्यक्ति को देगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन दी गई सूचना में यह कथन भी सम्मिलित होगा कि वह पर व्यक्ति, जिसे सूचना दी गई है, धारा 19 के अधीन उक्त विनिश्चय के विरूद्ध अपील करने का हकदार है।

अध्याय **3**

केन्द्रीय सूचना आयोग

12. केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन-

(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं।

(2) केन्द्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा -

(क) मुख्य सूचना आयुक्त ; और

(ख) दस से अनधिक उतनी संख्या में केन्द्रीय सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएं।

(3) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी -

I. प्रधानमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा;

II. लोक सभा में विपक्ष का नेता ; और

III. प्रधानमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट संघ मंत्रिमण्डल का एक मंत्री।

स्पष्टीकरण - शंकाओं के निवारण के प्रयोजन के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां लोक सभा में विपक्ष के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहां लोक सभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्ष का नेता समझा जाएगा।

(4) केन्द्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन, मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी सहायता सूचना आयुक्तों द्वारा की जाएगी और वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्य और बातें कर सकेगा, जिनका केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निदेशों के अधीन रहे बिना प्रयोग किया जा सकता है या जो की जा सकती है।

(5) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे।

(6) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, यथास्थिति, संसद् का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारित नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से संबद्ध नहीं होगा अथवा कोई कारोबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा।

(7) केन्द्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय, दिल्ली में होगा और केन्द्रीय सूचना आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

13. पदावधि और सेवा शर्तें-

(1) मुख्य सूचना आयुक्त, [1]* {ऐसी अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार के द्वारा विहित की जाए} पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह कि कोई मुख्य सूचना आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस रूप मं पद धारण नहीं करेगा।

(2) प्रत्येक सूचना आयुक्त, [1]* {ऐसी अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए} या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और ऐसे सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु प्रत्येक सूचना आयुक्त, इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर धारा 12 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

परन्तु यह और कि जहां सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है वहां उसकी पदावधि सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्ररूप के अनुसार एक शपथ या प्रतिज्ञान लेगा, और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(4) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा:

परन्तु मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को धारा 14 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा।

(5) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएः

परन्तु मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में, उनकी नियुक्ति के पश्चात्, उनके लिए अलाभकर रूप से कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम,2019 के प्रारम्भ के पूर्व नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होना उसी प्रकार जारी रहेगा मानो सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 लागू ही नहीं हुआ था।}

---

[1] 2019 के अधिनियम सं० 24 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

14. सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना

(1) उपधारा (3) के उपबधों के अधीन रहते हुए, मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा, जब उच्चतम न्यायालय ने, राष्ट्रपति द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात यह रिपोर्ट दी हो कि, यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए।

(2) राष्ट्रपति, उस मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को, जिसके विरूद्ध उपधारा (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा आदेश पारित किए जाने तक पद से निलंबित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो, जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थिति होने से भी प्रतिषिद्ध कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति, मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा, यदि, यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त, -

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है; या

(ख) वह ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें राष्ट्रपति की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्वलित है; या

(ग) अपनी पदावधि के दौरान, अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है ; या

(घ) राष्ट्रपति की राय में, मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है ; या

(ङ) उसने ऐसे वित्तीय और अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(4) यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, किसी प्रकार भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबद्ध या उसमें हितबद्ध है या किसी निगमित कंपनी के किसी सदस्य के रूप में से अन्यथा और उसके अन्य सदस्यों के साथ सामान्यतः उसके लाभ में या उससे प्रोद्भूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है तो वह, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, कदाचार का दोषी समझा जाएगा।

अध्याय **4**

राज्य सूचना आयोग

15. राज्य सूचना आयोग का गठन-

(1) प्रत्येक राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा .....(राज्य का नाम) सूचना अयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं।

(2) राज्य सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा -

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ; और

(ख) दस से अनधिक उतनी संख्या में राज्य सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएं।

(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी, -

I. मुख्यमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा;

II. विधान सभा में विपक्ष का नेता ; और

III. मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला मंत्रिमंडल का सदस्य।

स्पष्टीकरण - शंकाओं को दूर करने के प्रयोजनों के लिए घोषित किया जाता है कि जहां विधान सभा में विपक्षी दल के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहां विधान सभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्षी दल का नेता समझा जाएगा।

(4) राज्य सूचना आयोग के कार्यो का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंध, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी सहायता राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा की जाएगी और वह सभी ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और सभी ऐसे कार्य और बातें कर सकेगा, जो राज्य सूचना आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निदेशों के अध्यधीन रहे बिना स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जा सकती है या की जा सकती हैं।

(5) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे।

(6) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, यथास्थिति, संसद् का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से संबद्ध नहीं होगा या कोई कारोबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा।

(7) राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय राज्य में ऐसे स्थान पर होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और राज्य सूचना आयोग, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राज्य में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

16. पदावधि और सेवा शर्ते-

(1) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, [1]{ऐसी अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार के द्वारा विहित की जाए} पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह कि कोई राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने का पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

(2) प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त [1]{ऐसी अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए} या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

---

[1] 2019 के अधिनियम सं० 24 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

परन्तु प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त, इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर धारा 12 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

परन्तु यह और कि जहां राज्य सूचना आयुक्त की राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति की जाती है वहां उसकी पदावधि राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या इस निमित्त उनके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्ररूप के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान लेगा, और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

(4) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा:

परन्तु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को धारा 17 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा।

[1]{(5) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, परन्तु मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में, उनकी नियुक्ति के पश्चात्, उनके लिए अलाभकर रूप से कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम,2019 के प्रारम्भ के पूर्व नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होना उसी प्रकार जारी रहेगा मानो सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 लागू ही नहीं हुआ था।}

17. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना

(1) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को राज्यपाल के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा, जब उच्चतम न्यायालय ने, राज्यपाल द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात यह रिपोर्ट दी हो कि, यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए।

(2) राज्यपाल, उस राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को, जिसके विरूद्ध उपधारा (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्यपाल द्वारा आदेश पारित किए जाने तक, पद से निलंबित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो, ऐसी जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थिति होने से भी प्रतिषिद्ध कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्यपाल, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा, यदि, यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त -

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है; या

---

[1] 2019 के अधिनियम सं० 24 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ख) वह ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है जिसमें राज्यपाल की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्वलित है; या

(ग) अपनी पदावधि के दौरान, अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है ; या

(घ) राज्यपाल की राय में, मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है ; या

(ङ) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(4) यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त, किसी प्रकार भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार से संबद्ध या उसमें हितबद्ध है या किसी निगमित कंपनी के किसी सदस्य के रूप में से अन्यथा और उसके अन्य सदस्यों के साथ सामान्यतः उसके लाभ में या उससे प्रोद्भूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है तो वह, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, कदाचार का दोषी समझा जाएगा।

अध्याय **5**

सूचना आयोगों की शक्तियों और कृत्य**,** अपील तथा शक्तियां

18. सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य

(1) इस अधिनियम के उपबंधो के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करे-

(क) जो, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को, इस कारण से अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है कि इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है या, यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन सूचना या अपील के लिए धारा 19 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अथवा ज्येष्ठ अधिकारी या यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयेाग या राज्य सूचना आयोग को उसके आवेदन को भेजने के लिए स्वीकार करने से इंकार कर दिया है ;

(ख) जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई कोई जानकारी तक पहुँच के लिए इंकार कर दिया गया है;

(ग) जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर सूचना के लिए या सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया है;

(घ) जिससे ऐसी फीस की रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई है, जो वह अनुचित समझता है;

(ङ) जो यह विश्वास करता है कि उसे इस अधिनियम के अधीन अपूर्ण, भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गई है; और

(च) इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने या उन तक पहुंच प्राप्त करने से संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में।

(2) जहां, यथास्थिति केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह समाधान हो जाता है कि उस विषय में जांच करने के लिए युक्तियुक्त आधार है वहां वह उसके संबंध में जांच आरंभ कर सकेगा।

(3) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य आयोग को इस बात के अधीन किसी मामले में जांच करते समय वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं अर्थात:-

(क) किन्ही व्यक्तियों को समन करना और उन्हें उपस्थित कराना तथा शपथ पत्र पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दास्तावेज या चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना य

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना य

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य को अभिग्रहण करना य

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मंगाना य

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना य और

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

(4) यथास्थिति, संसद् या राज्य विधान-मंडल के किसी अन्य अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग इस अधिनियम के अधीन 'किसी शिकायत की जांच करने के दौरान, ऐसे किसी अभिलेख की परीक्षा कर सकेगा, जिसे यह अधिनियम लागू होता है और जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है और उसके द्वारा ऐसे किसी अभिलेख को किन्हीं भी आधारों पर रोका नहीं जाएगा।

19. अपील

(1) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे धारा 7 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चय प्राप्त नहीं हुआ है या जो, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय से व्यथित है, उस अवधि की समाप्ति से या ऐसे किसी विनिश्चय की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा, जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति से ज्येष्ठ पंक्ति का है:

परन्तु ऐसा अधिकारी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।

(2) जहां अपील धारा 11 के अधीन, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति की सूचना प्रकट करने के लिए किए गए किसी आदेश के विरूद्ध की जाती है वहां संबंधित पर व्यक्ति द्वारा अपील, उस आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर की जाएगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन विनिश्चय के विरूद्ध दूसरी अपील उस तारीख से, जिसको विनिश्चय किया जाना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त किया गया था, नब्बे दिन के भीतर केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को होगी:

परन्तु, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका वह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।

(4) यदि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का विनिश्चय, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, पर व्यक्ति की सूचना से संबंधित है तो यथास्थिति केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग उस पर व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।

(5) अपील संबंधी किन्हीं कार्यवाहियों में यह साबित करने का भार कि अनुरोध को अस्वीकार करना न्यायोचित था, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर, जिसने अनुरोध से इंकार किया था, होगा।

(6) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी अपील का निपटारा, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अपील की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जो उसके फाइल किए जाने की तारीख से कुल पैंतालीस दिन से अधिक न हो, किया जाएगा।

(7) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय आबद्धकर होगा।

(8) अपने विनिश्चय में, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित की शक्ति है-

(क) लोक प्राधिकरण से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना, जो इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी है:-

i. सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना, यदि विशिष्ठ प्ररूप में ऐसा अनुरोध किया गया है ;

ii. यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करना;

iii. कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करना;

iv. अभिलेखों के अनुरक्षण, प्रबंध और विनाश से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना;

v. अपने अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ाना;

vi. धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराना;

(ख) लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को, उसके द्वारा सहन की गई किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरित करने की अपेक्षा करना;

(ग) इस अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करना;

(घ) आवेदन को नामंजूर करना।

(9) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग शिकायतकर्ता और लोक प्राधिकारी को, अपने विनिश्चय की, जिसके अंतर्गत अपील का कोई अधिकारी भी है, सूचना देगा।

(10) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, अपील का विनिश्चय ऐसी प्रक्रिया के अनुसार करेगा, जो विहित की जाए।

20. शास्ति-

(1) जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ने, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिए, कोई आवेदन प्राप्त करने से इंकार किया है या धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट कर दिया है, जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है, दो सौ पचास रूपए की शास्ति अधिरोपित करेगा, तथापि, ऐसी शास्ति की कुल रकम पच्चीस हजार रूपए से अधिक नहीं होगीः

परंतु, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को, उस पर कोई शास्ति अधिरोपित किए जाने के पूर्व, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा: परंतु यह और कि यह साबित करने का भार कि उसने युक्तियुक्त रूप से और तत्परतापूर्वक कार्य किया है, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर होगा।

(2) जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना और लगातार सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है या उसने धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या ऐसी सूचना को नष्ट कर दिया है, जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है वहां वह, यथास्थिति, ऐसे केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा।

अध्याय **6**
प्रकीर्ण

21. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण-

कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशयित है, किसी व्यक्ति के विरूद्ध न होगी।

22. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना-

इस अधिनियम के उपबंध, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19) और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में, उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

23. न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन-

कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के संबंध में केाई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा और ऐसे किसी आदेश को, इस अधिनियम के अधीन किसी अपील के रूप में के सिवाए किसी रूप में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

24. अधिनियम का कतिपय संगठनों को लागू न होना-

(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठनों को, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है या ऐसे संगठनों द्वारा उस सरकार को दी गई किसी सूचना को लागू नहीं होगी:

परन्तु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधारा के अधीन अपवर्जित नहीं की जाएगी:

परन्तु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानवाधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित है तो सूचना केन्द्रीय सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात् ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना अनुरोध की प्राप्ति के पैंतालीस दिन के भीतर दी जाएगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में किसी अधिसूचना द्वारा, अनुसूची का उस सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य आसूचना या सुरक्षा संगठन को उसमें सम्मिलित करके या उसमें पहले से विनिर्दिष्ट किसी संगठन का उससे लोप करके, संशोधन कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर ऐसे संगठन को अनुसूची में, यथास्थिति, सम्मिलित किया गया या उसका उससे लोप किया गया समझा जाएगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

(4) इस अधिनियम की कोई बात ऐसे आसूचना और सुरक्षा संगठनों को लागू नहीं होगी, जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित ऐसे संगठन हैं, जिन्हें वह सरकार समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे:

परन्तु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधारा के अधीन अपवर्जित नहीं की जाएगी:

परन्तु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानव अधिकारों के अतिक्रमण अभिकथनों से संबंधित है तो सूचना राज्य सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात् ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना अनुरोध की प्राप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर दी जाएगी।

(5) उपधारा (4) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखी जाएगी।

25. मानीटर करना और रिपोर्ट करना-

(1) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात्, यथासाध्यशीघ्रता से उसे वर्ष के दौरान इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति समुचित सरकार को भेजेगा।

(2) प्रत्येक मंत्रालय या विभाग, अपनी अधिकारिता के भीतर लोक प्राधिकारियों के संबंध में, ऐसी सूचना एकत्रित करेगा और उसे, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना

आयोग को उपलब्ध कराएगा, जो इस धारा के अधीन रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित है और इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उस सूचना को देने तथा अभिलेख रखने से संबंधित अपेक्षाओं का पालन करेगा।

(3) प्रत्येक रिपोर्ट में, उस वर्ष के संबंध में, जिससे रिपोर्ट संबंधित है, निम्नलिखित के बारे में कथन होगा, --

(क) प्रत्येक लोक प्राधिकारी से किए गए अनुरोधों की संख्या य

(ख) ऐसे विनिश्चयों की संख्या, जहां आवेदक अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों तक पहुँच के लिए हकदार नहीं थे, इस अधिनियम के वे उपबंध, जिनके अधीन ये विनिश्चय किए गए थे और ऐसे समयों की संख्या, जब ऐसे उपबंधों का अवलंब लिया गया था य

(ग) पुनर्विलोकन के लिए यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निर्दिष्ट की गई अपीलों की संख्या, अपीलों की प्रकृति और अपीलों के निष्कर्ष य

(घ) इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किसी अधिकारी के विरूद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई की विशिष्टियां य

(ङ) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा एकत्रित की गई प्रभारों की रकम य

(च) कोई ऐसे तथ्य, जो इस अधिनियम की भावना और आशय को प्रशासित और कार्यान्वित करने के लिए लोक प्राधिकारियों के किसी प्रयास को उपदर्शित करते हैं य

(छ) सुधार के लिए सिफारिशें, जिनके अंतर्गत इस अधिनयम या अन्य विधान या सामान्य विधि के विकास, समुन्नति, आधुनिकीकरण, सुधार या संशोधन के लिए विशिष्ट लोक प्राधिकारियों के संबंध में सिफारिशें या सूचना तक पहुंच के अधिकार को प्रवर्तनशील बनाने से सुसंगत कोई अन्य विषय भी है।

(4) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात्, यथासाध्यशीघ्रता से, उपधारा (1) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधान-मंडल का एक सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखवाएगी।

(5) यदि केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करने के संबंध में किसी लोक प्राधिकारी की पद्धति इस अधिनियम के उपबंधों या भावना के अनुरूप नहीं है तो वह प्राधिकारी को ऐसे उपाय विनिर्दिष्ट करते हुए, जो उसकी राय में ऐसी अनुरूपता को बढ़ाने के लिए किए जाने चाहिएं, सिफारिश कर सकेगा।

26. समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना-

(1) समुचित सरकार, वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता की सीमा तक-

(क) जनता की, विशेष रूप से, उपेक्षित समुदायों की इस बारे में समझ की वृद्धि करने के लिए कि इस अधिनियम के अधीन अनुध्यात अधिकारों का प्रयोग कैसे किया जाए शैक्षिक कार्यक्रम बना सकेगी और आयोजित कर सकेगी य

(ख) लोक प्राधिकारियों को, खंड (क) में निर्दिष्ट कार्यक्रमों को बनाने और उनके आयोजन में भाग लेने और ऐसे कार्यक्रमों का स्वयं जिम्मा लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकेगी य

(ग) लोक प्राधिकारियों द्वारा उनके क्रियाकलापों के बारे में सही जानकारी का समय से और प्रभावी रूप में प्रसारित किए जाने को बढ़ावा दे सकेगी य

(घ) लोक प्राधिकरणों के, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित कर सकेगी और लोक प्राधिकरणों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए सुसंगत प्रशिक्षण सामग्रियों का उत्पादन कर सकेगी।

(2) समुचित सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ से अठारह मास के भीतर, अपनी राजभाषा में, सहज व्यापक रूप और रीति से ऐसी सूचना वाली एवं मार्गदर्शिका संकलित करेगी, जिसकी ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा युक्तियुक्त रूप में अपेक्षा की जाए, जो अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी अधिकार का प्रयोग करना चाहता है।

(3) समुचित सरकार, यदि आवश्यक हो तो, उपधारा (2) में निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों को नियमित अंतरालों पर अद्यतन और प्रकाशित करेगी, जिनमें विशिष्टतया और उपधारा (2) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित सम्मिलित होगा-

(क) इस अधिनियम के उद्देश्य;

(ख) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक लोक प्राधिकरण के, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का डाक और गली का पता, फोन और फैक्स नंबर और यदि उपलब्ध हो तो उसका इलैक्ट्रानिक डाक पता;

(ग) वह रीति और प्ररूप, जिसमें, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से किसी सूचना तक पहुंच का अनुरोध किया जाएगा;

(घ) इस अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकरण के, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से उपलब्ध सहायता और उसके कर्त्तव्य;

(ङ) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग से उपलब्ध सहायता;

(च) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किसी अधिकार या कर्त्तव्य के संबंध में कोई कार्य करने या करने में असफल रहने के बारे में विधि में उपलब्ध सभी उपचार, जिनके अंतर्गत आयोग को अपील फाइल की रीति भी है

(छ) धारा 4 के अनुसार अभिलेखों के प्रवर्गों के स्वैच्छिक प्रकटन के लिए प्रावधान करने वाले उपबंध;

(ज) किसी सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोधों के संबंध में संदत्त की जाने वाली फीसों से संबंधित सूचनाएं; और

(झ) इस अधिनियम के अनुसार किसी सूचना तक पहुंच प्राप्त करने के संबंध में बनाए गए या जारी किए गए कोई अतिरिक्त विनियम या परिपत्र।

(4) समुचित सरकार को, यदि आवश्यक हो, नियमित अंतरालों पर मार्गदर्शी सिद्धांतों को अद्यतन और प्रकाशित करना चाहिए।

27. नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति-

(1) समुचित सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:-

(क) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिन्ट लागत मूल्य य

(ख) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन संदेय फीस य

(ग) धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन संदेय फीस य

'[(गक) धारा 13 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों तथा धारा 16 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की पदावधिः

(गख) धारा 13 की उपधारा (5) के अधीन मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों तथा धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;]

(घ) धारा 13 की उपधारा (6) और धारा 16 की उपधारा (6) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्ते य

(ङ) धारा 19 की उपधारा (10) के अधीन अपीलों का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया य

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए।

28. नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति-

(1) सक्षम प्राधिकारी, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचित द्वारा नियम बना सकेगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:-

(i) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिन्ट लागत मूल्य य

(ii) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन संदेय फीस य

(iii) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन संदेय फीस य और

(iv) कोई अन्य विषय, जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए।

29. नियमों का रखा जाना-

(1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद में सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत

[1] 2019 के अधिनियम सं० 24 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।

हो जाएं या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम तत्पश्चात्, यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तथापि, उस नियम के ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम अधिसूचित किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

30. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति-

(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध बना सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उसे कठिनाई को दूर करने लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत होते हों:

परन्तु कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

31. नियम-

सूचना स्वतन्त्र अधिनियम, 2002 (2003 का 5) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

पहली अनुसूची

{ धारा 13(3) और धारा 16(3) देखिए }

मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त द्वारा ली जानी वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररूप

'' मैं, ... जो मुख्य सूचना आयुक्त/ सूचना आयुक्त/ राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/ राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ

के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षूण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।''

दूसरी अनुसूची

(धारा **24** देखिए)

केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठन

1. आसूचना ब्यूरो।

[1][2. अनुसंधान और विश्लेषण खंड जिसके अंतर्गत उसका तकनीकी खंड अर्थात् मंत्रिमंडल सचिवालय का विमानन अनुसंधान केन्द्र भी है।]

3. राजस्व आसूचना निदेशालय ।

4. केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो।

5. प्रवर्तन निदेशालय ।

6. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो।

7.[2]***

8. विशेष सीमांत बल।

9. सीमा सुरक्षा बल ।

10. केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल ।

11. भारत-तिब्बत सीमा बल ।

12. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ।

13. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड।

14. असम राइफल्स ।

[3][15. सशस्त्र सीमा बल ।]

[4][16. आय-कर महानिदेशालय (अन्वेषण) ।]

[4][17. राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन ।]

[4][18. वित्तीय आसूचना यूनिट, भारत।]

[5][19. विशेष संरक्षा ग्रुप ।]

20. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ।

21. सीमा सड़क विकास बोर्ड।

[6][22. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय ।]

[7][23. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो।

24. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ।

25. राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड ।

[8][26. सामरिक सेना कमान ।]

1 अधिसूचना सं0 सा०का०नि० 319(अ) तारीख 4.5.2021 द्वारा प्रतिस्थापित।
2 अधिसूचना सं0 सा०का०नि० 319(अ) तारीख 4.5.2021 द्वारा लोप किया गया।
3 अधिसूचना सं0 सा०का०नि० 347 तारीख 28.9.2005 द्वारा प्रतिस्थापित।
4 अधिसूचना सं0 सा०का०नि० 235(अ) तारीख 27.3.2008 द्वारा प्रतिस्थापित।
5 अधिसूचना सं0 सा०का०नि० 347 तारीख 28.9.2005 अंतःस्थापित।
6 अधिसूचना सं0 सा०का०नि० 726 (अ) तारीख 8.10.2008 द्वारा जोड़ा गया।
7 अधिसूचना सं0 सा०का०नि० 442(अ) तारीख 9.6.2011 द्वारा जोड़ा गया।
8 अधिसूचना सं0 सा०का०नि० 673;(अ) तारीख 8.7.2016 द्वारा अंतःस्थापित।

THE RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Last Updated: 17-5-2021

CHAPTER I

PRELIMINARY

SECTIONS

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.

CHAPTER II

RIGHT TO INFORMATION AND OBLIGATIONS OF PUBLIC AUTHORITIES

3. Right to information.
4. Obligations of public authorities.
5. Designation of Public Information Officers.
6. Request for obtaining information.
7. Disposal of request.
8. Exemption from disclosure of information.
9. Grounds for rejection to access in certain cases.
10. Severability.
11. Third party information.

CHAPTER III

THE CENTRAL INFORMATION COMMISSION

12. Constitution of Central Information Commission.
13. Terms of office and conditions of service.
14. Removal of Chief Information Commissioner or Information Commissioner.

CHAPTER IV

THE STATE INFORMATION COMMISSION

15. Constitution of State Information Commission.
16. Term of office and conditions of service.
17. Removal of State Chief Information Commissioner or State lnformation Commissioner.

CHAPTER V

POWERS AND FUNCTIONS OF THE INFORMATION COMMISSIONS, APPEAL AND PENALTIES

18. Powers and functions of Information Commissions.

SECTIONS

19. Appeal.

20. Penalties.

CHAPTER VI

MISCELLANEOUS

21. Protection of action taken in good faith.

22. Act to have overriding effect.

23. Bar of jurisdiction of courts.

24. Act not to apply to certain organisations.

25. Monitoring and reporting.

26. Appropriate Government to prepare programmes.

27. Power to make rules by appropriate Government.

28. Power to make rules by competent authority.

29. Laying of rules.

30. Power to remove difficulties.

31. Repeal.

THE FIRST SCHEDULE.

THE SECOND SCHEDULE

THE RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

ACT No.22 OF 2005

[15th June, 2005.]

An Act to provide for setting out the practical regime of right to information for citizens to secure access to information under the control of public authorities, in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority, the constitution of a Central Information Commission and State Information Commissions and for matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS the Constitution of India has established democratic Republic;

AND WHEREAS democracy requires an informed citizenry and transparency of information which are vital to its functioning and also to contain corruption and to hold Governments are their instrumentalities accountable to the governed;

AND WHEREAS revelation of information in actual practice is likely to conflict with other public interests including efficient operations of the Governments, optimum use of limited fiscal resources and the preservation of confidentiality of sensitive information;

AND WHEREAS it is necessary to harmonise these conflicting interests while preserving the paramountcy of the democratic ideal;

Now, THEREFORE, it is expendient to provide for furnishing certain information to citizens who desire to have it.

BE it enacted by Parliament in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows :-

CHAPTER I
PREIMINAY

1. Short title, extent and commencement:- (1)This Act may be called the Right to Information Act, 2005.

(2) It extends to the whole of India[1]***.

(3) The provisions of sub-section *(1)* of section 4, sub-sections*(1)* and *(2)* of section 5, sections 12, 13,15,16,24, 27 and 28 shall come into force at once, and the remaining provisions of this Act shall come into force on the one hundred and twentieth day of its enactment.

2. Definitions:- Inthis Act, unless the context otherwise requires,-

(a) **"appropriate Government"** means in relation to a public authority which is established, constituted, owned, controlled or substantially financedby funds provided directly or indirectly-

(i) by the Central Government or the Union territory administration, the Central Government;

(ii) by the State Government, the State Government;

(b) **"Central Information Commission**" means the Central Information Commission constituted under sub-section (1) of section 12;

I. The words··except the State of Jammu and Kashmir" omitted by Act 34 of 2019, s. 95 and the Fifth Schedule (w.e.f. 31-10-2019).

(c)**"Central Public Information Officer"** means the Central Public Information Officer designated under sub-section (1) and includes a Central Assistant Public Information Officer designated as such under sub-section *(2)* of section 5;

(d) **"Chief Information Commissioner**" and **"Information Commissioner"** mean the Chief Information Commissioner and Information Commissioner appointed under sub-section *(3)* of section 12;

(e) **"competent authority**" means-

(i) the Speaker in the case of the House of the People or the Legislative Assembly of a State or a Union territory having such Assembly and the Chairman the case of the Council of States or Legislative Council of a State;

(ii) the Chief Justice of India in the case of the Supreme Court;

(iii) the Chief Justice of the High Court in the case of a High Court;

(iv) the President or the Governor, as the case may be, in the case of other authorities established or constituted by or under the Constitution;

(v) the administrator appointed under article 239 of the Constitution;

*(f)***"information"** means any material in any form, including records, documents, memos, e-mails, opinions, advices, press releases, circulars, orders, logbooks. contracts, reports, papers, samples, models, data material held in any electronic form and information relating toany private body which can be accessed by a public authority under any other law for the time being in force;

(g) **"prescribed"** means prescribed by rules made under this Act by the appropriate Government or the competent authority, as the case may be;

(h) "**public authority"** means any authority or body or institution of self-government established or constituted-

(a) by or under the Constitution;

(b) by any other law made by Parliament;

(c) by any other law made by State Legislature;

(d) by notification issued or order made by the appropriate Government,

and includes any-

(i) body owned, controlled or substantially financed;

(ii) non-Government organisation substantially financed,

directly or indirectly by funds provided by the appropriate Government;

(i) "**record"** includes-

(a) any document, manuscript and file;

(b) any microfilm, microfiche and facsimile copy of a document;

(c) any reproduction of image or images embodied in such microfilm (whether enlarged or not); and

(d) any other material produced by a computer or any other device;

(j) **"right to information**" means the right to information accessible under this Act which is held by or under the control of any public authority and includes the right to-

(i) inspection of work, documents, records;

(ii) taking notes, extracts or certified copies of documents or records;

(iii) taking certified samples of material;

(iv) obtaining information in the form of diskettes, floppies, tapes, video cassettes or in any other electronicmode or through printouts where such information is stored in a computer or in any other device;

(k) "**State Information Commission**" means the State Information Commission constituted under sub-section *(J)*of section 15;

(l) "**State Chief Information Commissioner**" and "State Information Commissioner" mean the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioner appointed under sub- section (*3)* of section 15;

(m) "**State Public Information Officer**" means the State Public Information Officer designated under sub-section *(1)* and includes a State Assistant Public Information Officer designated as such under sub-section *(2)* of section 5;

(n) "**third party**" means a person other than the citizen making a request for information and includes a public authority.

CHAPTER II

RIGHT TO INFORMATION AND OBLIGATIONS OF PUBLIC AUTHORITIES

3. Right to information:- Subjectto the provisions of this Act, all citizens shall have the right to information.

4. Obligations of public authorities.- (l)Every public authority shall-

(a) maintain all its records duly catalogued and indexed in a manner and the form which facilitates the right to information under this Act and ensure that all records that are appropriate to be computerised are, within a reasonable time and subject to availability of resources, computerised and connected through a network all over the country on different systems so that access to such records is facilitated;

(b) publish within one hundred and twenty days from the enactment of this Act,-

(i) the particulars of its organisation, functions and duties;

(ii) the powers and duties of its officers and employees;

(iii) the procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability;

(iv) the norms set by it for the discharge of its functions;

(v) the rules, regulations, instructions, manuals and records, held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions;

(vi) a statement of the categories of documents that are held by it or under its control;

(vii) the particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by, the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation thereof;

(viii) a statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public;

(ix) a directory of its officers and employees;

(x) the monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulations;

(xi) the budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made;

(xii) the manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes;

(xiii) particulars of recipients of concessions, permits or authorisations granted by it;

(xiv) details in respect of the information, available to or held by it, reduced in an electronic form;

(xv) the particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use;

(xvi) the names, designations and other particulars of the Public Information Officers

(xvii) such other information as may be prescribed; and thereafter update these publications every year;

(c) publish all relevant facts while formulating important policies or announcing the decisions which affect public;

(d) provide reasons for its administrative or quasi-judicial decisions to affected persons.

(2) It shall be a constant endeavour of every public authority to take steps in accordance with the requirements of clause *(b)* of sub-section (1) to provide as much information ***suomotu***to the public at regular intervals through various means of communications, including internet, so that the public have minimum resort to the use of this Act to obtain information.

(3) For the purposes of sub-section (1), every information shall be disseminated widely and in such form and manner which is easily accessible to the public.

(4) All materials shall be disseminated taking into consideration the cost effectiveness, local language and the most effective method of communication in that local area and the information should be easily accessible, to the extent possible in electronic format with the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, available free or at such cost of the medium or the print cost price as may be prescribed.

Explanation.- For the purposes of sub-sections *(3)* and *(4),* "disseminated" means making known or communicated the information to the public through notice boards, newspapers, public announcements, media broadcasts, the internet or any other means, including inspection of offices of any public authority.

5. Designation of Public Information Officers:- (1)Every public authority shall, within one hundred days of the enactment of this Act, designate as many officers as the Central Public Information Officers or State Public Information Officers, as the case may be, in all administrative units or offices under it as may be necessary to provide information to persons requesting for the information under this Act.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), every public authority shall designate an officer, within one hundred days of the enactment of this Act, at each sub-divisional level or other sub-

district level as a Central Assistant Public Information Officer or a State Assistant Public Information Officer, as the case may be, to receive the applications for information or appeals under this Act for forwarding the same forthwith to the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer or senior officer specified under sub-section *(1)* of section 19 or the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be:

Provided that where an application for information or appeal is given to a Central Assistant Public Information Officer or a State Assistant Public Information Officer, as the case may be, a period of five days shall be added in computing the period for response specified under sub-section (1) ofsection 7.

(3) Every Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall deal with requests from persons seeking information and render reasonable assistance to the persons seeking such information.

(4) The Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, may seek the assistance of any other officer as he or she considers it necessary for the proper discharge of his or her duties.

(5) Any officer, whose assistance has been sought under sub-section *(4),* shall render all assistance to the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case maybe, seeking his or her assistance and for the purposes of any contravention of the provisions of this Act, such other officer shall be treated asa Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the ca*se* may be.

6. Request for obtaining information:- (1)A person, who desires to obtain any information under this Act, shall make a request in writing or through electronic means in English or Hindi or in the official language of the area in which the application is being made, accompanying such fee as may be prescribed, to-

(a) the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, of the concerned public authority;

(b) the Central Assistant Public Information Officer or State Assistant Public Information Officer, as the case may be,

specifying the particulars of the informations sought by him or her:

Provided that where such request cannot be made in writing, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall render all reasonable assistance to the person making the request orally to reduce the same in writing.

(2) An applicant making request for information shall not be required to give any reason for requesting the information or any other personal details except those that may be necessary for contacting him.

(3) Where an application is made to a public authority requesting for an information,-

(i) which is held by another public authority; or

(ii) the subject matter of which is more closely connected with the functions of another public authority,

the public authority, to which such application is made, shall transfer the application or such part of it as may be appropriate to that other public authority and inform the applicant immediately about such transfer:

Provided that the transfer of an application pursuant to this sub-section shall be made as soon as practicable but in no case later than five days from the date of receipt of the application.

7. Disposal of request:- (1) Subject to the proviso to sub-section (2) of section 5 or the proviso to

sub-section *(3)* of section 6, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, on receipt of a request under section 6 shall, as expeditiously as possible, and in any case within thirty days of the receipt of the request, either provide the information on payment of such fee as may be prescribed or reject the request for any of the reasons specified in sections 8 and 9:

Provided that where the information sought for concerns the life or liberty of a person, the same shall be provided within forty-eight hours of the receipt of the request.

(2) If the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, fails to give decision on the request for information within the period specified under sub-section (I), the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall be deemed to have refused the request.

(3) Where a decision is taken to provide the information on payment of any further fee representing the cost of providing the information, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall send an intimation to the person making the request, giving-

(a) the details of further fees representing the cost of providing the information as determined by him, together with the calculations made to arrive at the amount in accordance with fee prescribed under sub-section (I), requesting himto deposit that fees, and the period intervening between the despatch of the said intimation and payment of fees shall be excluded for the purpose of calculating the period of thirty days referred to in that sub-section;

(b) information concerning his or her right with respect to review the decision as to the amount of fees charged or the form of access provided, including the particulars of the appellate authority, time limit, process and any other forms.

(4) Where access to the record or a part thereof is required to be provided under this Act and the person to whom access is to be provided is sensorily disabled, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall provide assistance to enable access to the information, including providing such assistance as may be appropriate for the inspection.

(5) Where access to information is to be provided in the printed or in any electronic format, the applicant shall, subject to the provisions of sub-section (*6),* pay such fee as may be prescribed:

Provided that the fee prescribed under sub-section (1) of section 6 and sub-sections (1) and (5) of section 7 shall be reasonable and no such fee shall be charged from the persons who are of below poverty line as may be determined by the appropriate Government.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (5), the person making request for the information shall be provided the information free of charge where a public authority fails to comply with the time limits specified in sub-section(1).

(7) Before taking any decision under sub-section (1), the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall take into consideration the representation made by a third party under section 11.

(8) Where a request has been rejected under sub-section(1), the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall communicate to the person making the request,-

(i) the reasons for such rejection;

(ii) the period within which an appeal against such rejection may be preferred; and

(iii) the particulars of the appellate authority.

(9) An information shall ordinarily be provided in the form in which it is sought unless it would

disproportionately divert the resources of the public authority or would be detrimental to the safety or preservation of the record in question.

8. Exemption from disclosure of information:- (1)Notwithstanding anything contained in this Act, there shall be no obligation to give any citizen,-

(a) information, disclosure of which would prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security, strategic, scientific or economic interests of the State, relation with foreign State or lead to incitement of an offence;

(b) information which has been expressly forbidden to be published by any court of law or tribunal or the disclosure of which may constitute contempt of court;

(c) information, the disclosure of which would cause a breach of privilege of Parliament or the State Legislature;

(d) information including commercial confidence, trade secrets or intellectual property, the disclosure of which would harm the competitive position of a third party, unless the competent authority is satisfied that larger public interest warrants the disclosure of such information;

(e) information available to a person in his fiduciary relationship, unless the competent authority is satisfied that the larger public interest warrants the disclosure of such information;

(f) information received in confidence from foreign Government;

(g) information, the disclosure of which would endanger the life or physical safety of any person or identify the source of information or assistance given inconfidence for law enforcement or security purposes;

(h) information which would impede the process of investigation or apprehension or prosecution of offenders;

(i) cabinet papers including records of deliberations of the Council of Ministers, Secretaries and other officers:

Provided that the decisions of Council of Ministers, the reasons thereof, and the material on the basis of which the decisions were taken shall be made public after the decision has been taken, and the matter is complete, or over:

Provided further that those matters which come under the exemptions specified in this section shall not be disclosed;

(j) information which relates to personal information the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual unless the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer or the appellate authority, as the case may be, is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information:

Provided that the information which cannot be denied to the Parliament or a State Legislature shall not be denied to any person.

(2) Notwithstanding anything in the Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923) nor any of the exemptions permissible in accordance with sub-section (1), a public authority may allow access to information, if public interest in disclosure outweighs the harm to the protected interests.

(3) Subject to the provisions of clauses *(a), (c)* and (i) of sub-section (1), any information relating to any occurrence, event or matter which has taken place, occurred or happened twenty years before the date on which any request is made under section 6 shall be provided to any person making a request under that section:

Provided that where any question arises as to the date from which the said period of twenty years has to be computed, the decision of the Central Government shall be final, subject to the usual appeals provided for in this Act.

9. Grounds for rejection to access in certain cases:- Without prejudice to the provisions of section 8, a Central Public Information Officer or a State Public Information Officer, as the case may be, may reject a request for information where such a request for providing access would involve an infringement of copyright subsisting in a person other than the State.

10. Severability:- (1) Where a request for access to information is rejected on the ground that it is in relation to information which is exempt from disclosure, then, notwithstanding anything contained in this Act, access may be provided to that part of the record which does not contain any information which is exempt from disclosure under this Act and which can reasonably be severed from any part that contains exempt information.

(2) Where access is granted to a part of the record under sub-section (1), the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall give a notice to the applicant, informing-

(a) that only part of the record requested, after severance of the record containing information which is exempt from disclosure, is being provided;

(b) the reasons for the decision, including any findings on any material question of fact, referring to the material on which those findings were based;

(c) the name and designation of the person giving the decision;

(d) the details of the fees calculated by him or her and the amount of fee which the applicant is required to deposit; and

(e) his or her rights with respect to review of the decision regarding non-disclosure of part of the information, the amount of fee charged or the form of access provided, including the particulars of the senior officer specified under sub-section (1) of section 19 or the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be, time limit, process and any other form of access.

11. Third party information:- (1)Where a Central Public Information Officer or a State Public Information Officer, as the case may be, intends to disclose any information or record, or part thereof on arequest made under this Act, which relates to or has been supplied by a third party and has been treated as confidential by that third party, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall, within five days from the receipt of the request, give a written notice to such third party of the request and of the fact that the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, intends to disclose the information or record, or part thereof, and invite the third party to make a submission in writing or orally, regarding whether the information should be disclosed, and such submission of the third party shall be kept in view while taking a decision about disclosure of information:

Provided that except in the case of trade or commercial secrets protected by law, disclosure may be allowed if the public interest in disclosure outweighs in importance any possible harm or injury to the interests of such third party.

(2) Where a notice is served by the Central Public Information Officer or State Public Infomrntion Officer, as the case may be, under sub-section (1) to a third party in respect of any information or record or part thereof, the third party shall, within ten days from the date of receipt of such notice, be given

the opportunity to make representation against the proposed disclosure.

(3) Notwithstanding anything contained in section 7, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall, within forty days after receipt of the request under section 6, if the third party has been given an opportunity to make representation under sub-section (2), make a decision as to whether or not to disclose the information or record or part thereof and give in writing the notice of his decision to the third party.

(4) A notice given under sub-section (3) shall include a statement that the third party to whom the notice is given is entitled to prefer an appeal under section 19 against the decision.

CHAPTER III

THE CENTRAL INFORMATION COMMISSION

12. Constitution of Central Information Commission:— (1) The Central Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute a body to be known as the Central Information Commission to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to, it under this Act.

(2) The Central Information Commission shall consist of-

(a) the Chief lnformation Commissioner; and

(b) such number of Central Information Commissioners, not exceeding ten, as may be deemed necessary.

(3) The Chief Infomrntion Commissioner and Information Commissioners shall be appointed by the President on the recommendation of a committee consisting of-

(i) the Prime Minister, who shall be the Chairperson of the committee;

(ii) the Leader of Opposition in the LokSabha; and

(iii) a Union Cabinet Minister to be nominated by the Prime Minister.

Explanation.- For the purposes of removal of doubts, it is hereby declared that where the Leader of Opposition in the House of the People has not been recognised as such, the Leader of the single largest group in opposition of the Government in the House of the People shall be deemed to be the Leader of Opposition.

(4) The general superintendence, direction and management of the affairs of the Central Information Commission shall vest in the Chief Information Commissioner who shall be assisted by the Information Commissioners and may exercise all such powers and do all such acts and things which may be exercised or done by the Central Information Commission autonomously without being subjected to directions by any other authority under this Act.

(5) The Chief Information Commissioner and Information Commissioners shall be persons of eminence in public life with wide knowledge and experience in law, science and technology, social service, management, journalism,mass media or administration and governance.

(6) The Chief Information Commissioner or an Information Commissioner shall not be a Member of Parliament or Member of the Legislature of any State or Union Territory, as the case may be, or hold any other office of profit or connected with any political party or carrying on any business or pursuing any profession.

(7) The headquarters of the Central Information Commission shall be at Delhi and the Central Information Commission may, with the previous approval of the Central Government, establish offices at other places in India.

13. Term of office and conditions of service:- (1)The Chief Information Commissioner shall hold office [1][for such term as may be prescribed by the Central Government] and shall not be eligible for reappointment:

Provided that no Chief Information Commissioner shall hold office as such after he has attained the age of sixty-five years.

(2) Every Information Commissioner shall hold office [1][for such term as may be prescribed by the Central Government] or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier, and shall not be eligible for reappointment as such Information Commissioner:

Provided that every Information Commissioner shall, on vacating his office under this sub-section be eligible for appointment as the Chief Information Commissioner in the manner specified in sub-section (3) of section 12:

Provided further that where the Information Commissioner is appointed as the Chief Information Commissioner, his term of office shall not be more than five years in aggregate as the Information Commissioner and the Chief Information Commissioner.

(3) The Chief Information Commissioner or an Information Commissioner shall before he enters upon his office make and subscribe before the President or some other person appointed by him in that behalf, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the First Schedule.

(4) The Chief Information Commissioner or an Information Commissioner may, at any time, by writing under his hand addressed to the President, resign from his office:

Provided that the Chief Information Commissioner or an Information Commissioner may be removed in the manner specified under section 14.

[2][(5) The salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of the Chief Information Commissioner and the Information Commissioners shall be such as may be prescribed by the Central Government:

Provided that the salaries, allowances and other conditions of service of the Chief Information Commissioner or the Information Commissioners shall not be varied to their disadvantage after their appointment:

Provided further that the Chief Information Commissioner and the Information Commissioners appointed before the commencement of the Right to Information (Amendment) Act, 2019 shall continue to be governed by the provisions of this Act and the rules made there under as if the Right to Information (Amendment) Act, 2019 had not come into force.]

(6) The Central Government shall provide the Chief Information Commissioner and the Information Commissioners with such officers and employees as may be necessary for the efficient performance of their functions under this Act, and the salaries and allowances payable to, and the terms and conditions of service of the officers and other employees appointed for the purpose of this Act shall be such as may be prescribed.

Provided also that the salaries, allowances and other conditions of service of the Chief Information Commissioner and the Information Commissioners shall not be varied to their disadvantage after their appointment.

I.Subs. by Act 24 of 2019, s. 2, for "for a term of five years from the date on which he enters upon his office" (w.e.f.24-10-2019).

2. Subs. by, s.2, *ibid.*, for sub-section *(5)* (w.e.f 24-10-2019).

14. Removal of Chief Information Commissioner or Information Commissioner:- (1)Subject to the provisions of sub-section (3), the Chief Information Commissioner or any Information Commissioner shall be removed from his office only by order of the President on the ground of proved misbehaviour or incapacity after the Supreme Court, on a reference made to it by the President, has, on inquiry, reported that the Chief lnformation Commissioner or any Information Commissioner, as the case may be, ought on such ground be removed.

(2) The President may suspend from office, and if deem necessary prohibit also from attending the office during inquiry, the Chief Information Commissioner or Information Commissioner in respect of whom a reference has been made to the Supreme Court under sub-section (1) until the President has passed orders on receipt of the report of the Supreme Court on such reference.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1). the President may by order remove from office the Chief Information Commissioner or any Information Commissioner if the Chief Information Commissioner or a Information Commissioner, as the case may be,-

(a) is adjudged an insolvent; or

(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the President, involves moral turpitude; or

(c) engages during his term of office in any paid employment outside the duties of his office; or

(d) is, in the opinion of the President, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body; or

(e) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as the Chief Information Commissioner or a Information Commissioner.

(4) If the Chief Information Commissioner or a Information Commissioner in any way, concerned or interested in any contract or agreement made by or on behalf of the Government of India or participates in any way in the profit thereof or in any benefit or emolument arising therefrom otherwise than as a member and in common with the other members of an incorporated company, he shall, for the purposes of sub-section (1), be deemed to be guilty of misbehaviour.

CHAPTER IV

THE STATE INFORMATION COMMISSION

15. Constitution of State Information Commission:- (1)Every State Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute a body to be known as the ..... (name of the State) Information Commission to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to, it under this Act.

(2) The State Information Commission shall consist of-

(a) the State Chief Information Commissioner, and

(b) such number of State Information Commissioners, not exceeding ten, as may be deemed necessary.

(3) The State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners shall be appointed by the Governor on the recommendation of a committee consisting of-

(i) the Chief Minister, who shall be the Chairperson of the committee;

(ii) the Leader of Opposition in the Legislative Assembly; and

(iii) a Cabinet Minister to be nominated by the Chief Minister.

Explanation.- For the purposes of removal of doubts, it is hereby declared that where the Leader of Opposition in the Legislative Assembly has not been recognised as such, the Leader of the single largest group in opposition of the Government in the Legislative Assembly shall be deemed to be the Leader of Opposition.

(4) The general superintendence, direction and management of the affairs of the State Information Commission shall vest in the State Chief Information Commissioner who shall be assisted by the State Information Commissioners and may exercise all such powers and do all such acts and things which may be exercised or done by the State Information Commission autonomously without being subjected to directions by any other authority under this Act.

(5) The State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners shall be persons of eminence in public life with wide knowledge and experience in law, science and technology, social service, management, journalism, mass media or administration and governance.

(6) The State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner shall not be a Member of Parliament or Member of the Legislature of any State or Union territory, as the case may be, or hold any other office of profit or connected with any political party or carrying on any business or pursuing any profession.

(7) The headquarters of the State Information Commission shall be at such place in the State as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify and the State Information Commission may, with the previous approval of the State Government, establish offices at other places in the State.

16. Term of office and conditions of service:- (1)The State Chief Information Commissioner shall hold office [1][for such term as may be prescribed by the Central Government] and shall not be eligible for reappointment:

Provided that no State Chief Information Commissioner shall hold office as such after he has attained the age of sixty-five years.

(2) Every State Information Commissioner shall hold office [1][for such term as may be prescribed by the Central Government] or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier, and shall not be eligible for reappointment as such State Information Commissioner:

Provided that every State Information Commissioner shall, on vacating his office under this sub-section, be eligible for appointment as the State Chief Information Commissioner in the manner specified in sub-section (*3)* of section 15:

Provided further that where the State Information Commissioner is appointed as the State Chief Information Commissioner, his term of office shall not be more than five years in aggregate as the State Information Commissioner and the State Chief Information Commissioner.

(3) The State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner, shall before he enters upon his office make and subscribe before the Governor or some other person appointed by him in that behalf, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the First Schedule.

(4) The State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner may, at any time, by writing under his hand addressed to the Governor, resign from his office:

Provided that the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner may be removed in the manner specified under section 17.

Subs. by Act 24 of2019.s.3.for. "for a term of five years from the date onwhichheenters uponhisoffice"(w.e.f.24-10- 2019).

[1][(5) The salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners shall be such as may be prescribed by the Central Government:

Provided that the salaries, allowances and other conditions of service of the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners shall not be varied to their disadvantage after their appointment:

Provided further that the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners appointed before the commencement of the Right to Information (Amendment) Act, 2019 shall continue to be governed by the provisions of this Act and the rules made there under as if the Right to Information (Amendment) Act, 2019 had not come into force.]

(5) The State Government shall provide the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners with such officers and employees as may be necessary for the efficient performance of their functions under this Act, and the salaries and allowances payable to and the terms and conditions of service of the officers and other employees appointed for the purpose of this Act shall be such as may be prescribed.

17. Removal of State Chief Information Commissioner or State Information Commissioner:-

(1) Subject to the provisions of sub-section (3), the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner shall be removed from his office only by order of the Governor on the ground of proved misbehaviour or incapacity after the Supreme Court, on a reference made to it by the Governor, has on inquiry, reported that the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner, as the case may be, ought on such ground be removed.

(2) The Governor may suspend from office, and if deem necessary prohibit also from attending the office during inquiry, the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner in respect of whom a reference has been made to the Supreme Court under sub-section *(1)* until the Governor has passed orders on receipt of the report of the Supreme Court on such reference.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Governor may by order remove from office the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner if a State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner, as the case may be,-

(a) is adjudged an insolvent; or

(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Governor, involves moral turpitude; or

(c) engages during his term of office in any paid employment outside the duties of his office; or

(d) is, in the opinion of the Governor, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body; or

(e) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner.

(4) If the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner in any way, concerned or interested in any contract or agreement made by or on behalf of the Government of the State or participates in any way in the profit thereof or in any benefit or emoluments arising therefrom otherwise than as a member and in common with the other members of an incorporated company, he shall, for the purposes of sub-section *(1)*, be deemed to be guilty of misbehaviour.

---

1. Subs. by Act 24 of 2019, s.3, for sub-section (5), (w.e.f. 24-10-2019).

CHAPTER V

POWERS AND FUNCTIONS OF THE INFORMATION COMMISSIONS, APPEAL AND PENALTIES

18. Powers and functions of Information Commissions:- (1) Subject to the provisions of this Act, it shall be the duty of the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, to receive and inquire into acomplaint from any person,-

(a) who has been unable to submit a request to a Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, either by reason that no such officer has been appointed under this Act, or because the Central Assistant Public Information Officer or State Assistant Public Information Officer, as the case may be, has refused to accept his or her application for information or appeal under this Act for forwarding the same to the Central Public Information Officer or State Public Information Officer or senior officer specified in sub-section *(1)* of section 19 or the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be;

(b) who has been refused access to any information requested under this Act;

(c) who has not been given a response to a request for information or access to information within the time limit specified under this Act;

(d) who has been required to pay an amount of fee which he or she considers unreasonable;

(e) who believes that he or she has been given incomplete, misleading or false information under this Act; and

(f) in respect of any other matter relating to requesting or obtaining access to records under this Act.

(2) Where the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, is satisfied that there are reasonable grounds to inquire into the matter, it may initiate an inquiry in respect thereof.

(3) The Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, shall, while inquiring into any matter under this section, have the same powers as are vested in a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), in respect of the following matters, namely:-

(a) summoning and enforcing the attendance of persons and compel them to give oral or written evidence on oath and to produce the documents or things;

(b) requiring the discovery and inspection of documents;

(c) receiving evidence on affidavit;

(d) requisitioning any public record or copies thereof from any court or office;

(e) issuing summons for examination of witnesses or documents; and

(f) any other matter which may be prescribed.

(4) Notwithstanding anything inconsistent contained in any other Act of Parliament or State Legislature, as the case may be, the Central Infonnation Commission or the State Information Commission, as the case may be, may, during the inquiry of any complaint under this Act, examine any record to which this Act applies which is under the control of the public authority, and no such record may be withheld from it on any grounds.

19. Appeal:- (1)Any person who, does not receive a decision within the time specified in sub-

section *(1)* or clause *(a)* of sub-section *(3)* of section 7, or is aggrieved by a decision of the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, may within thirty days from the expiry of such period or from the receipt of such a decision prefer an appeal to such officer who is senior in rank to the Central Public Information Officer or State Public Information Officer as the case may be, in each public authority:

Provided that such officer may admit the appeal after the expiry of the period of thirty days if he or she is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(2) Where an appeal is preferred against an order made by a Central Public Information Officer or a State Public Information Officer, as the case may be, under section 11 to disclose third party information, the appeal by the concerned third party shall be made within thirty days from the date of the order.

(3) A second appeal against the decision under sub-section (1) shall lie within ninety days from the date on which the decision should have been made or was actually received, with the Central Information Commission or the State Information Commission:

Provided that the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be, may admit the appeal after the expiry of the period of ninety days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(4) If the decision of the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, against which an appeal is preferred relates to information of a third party, the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, shall give a reasonable opportunity of being heard to that third party.

(5) In any appeal proceedings, the onus to prove that a denial of a request was justified shall be on the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, who denied the request.

(6) An appeal under sub-section (1) or sub-section (2) shall be disposed of within thirty days of the receipt of the appeal or within such extended period not exceeding a total of forty-five days from the date of filing thereof, as the case may be, for reasons to be recorded in writing.

(7) The decision of the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, shall be binding.

(8) In its decision, the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, has the power to-

(a) require the public authority to take any such steps as may be necessary to secure compliance with the provisions of this Act, including-

(i) by providing access to information, if so requested, in a particular form;

(ii) by appointing a Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be;

(iii) by publishing certain information or categories of information;

(iv) by making necessary changes to its practices in relation to the maintenance, management and destruction of records;

(v) by enhancing the provision of training on the right to information for its officials;

(vi) by providing it with an annual report in compliance with clause *(b)* of sub-section (I) of section 4;

(b) require the public authority to compensate the complainant for any loss or other detriment suffered;

(c) impose any of the penalties provided under this Act;

(d) reject the application.

(9) The Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, shall give notice of its decision, including any right of appeal, to the complainant and the public authority.

(1O) The Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, shall decide the appeal in accordance with such procedure as may be prescribed.

20. **Penalties:-** (1) Wherethe Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be, at the time of deciding any complaint or appeal is of the opinion that the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer, as the case may be, has, without any reasonable cause, refused to receive an application for information or has not furnished information within the time specified under sub-section (1) of section 7 or malafidely denied the request for information or knowingly given incorrect, incomplete or misleading information or destroyed information which was the subject of the request or obstructed in any manner in furnishing the information, it shallimpose a penalty of two hundred and fifty rupees each day till application is received or information is furnished, so however, the total amount of such penalty shall not exceed twenty-five thousand rupees:

Provided that the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer, as the case may be, shall be given a reasonable opportunity of being heard before any penalty is imposed on him:

Provided further that the burden of proving that he acted reasonably and diligently shall be on the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer, as the case may be.

(2) Where the Central Information Commissionor the State Information Commission, as the case may be, at the time of deciding any complaint or appeal is of the opinion that the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer, as the case may be, has, without any reasonable cause and persistently, failed to receive an application for information or has not furnished information within the time specified under sub-section *(I)* of section 7 or malafidely denied the request for information or knowingly given incorrect, incomplete or misleading information or destroyed information which was the subject of the request or obstructed in any manner in furnishing the information, it shall recommend for disciplinary action against the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer, as the case may be, under the service rules applicable to him.

CHAPTER VI

MISCELLANEOUS

21. Protection of action taken in good faith:- Nosuit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or any rule made thereunder.

22. Act to have overriding effect:- The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in the Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923), and any other law for the time being inforce or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act.

23. Bar of jurisdiction of courts:- Nocourt shall entertain any suit, application or other proceeding in respect of any order made under this Act and no such order shall be called in question otherwise than by way of an appeal under this Act.

24. Act not to apply in certain organisations:- (1)Nothing contained in this Act shall apply to the intelligence and security organisations specified in the Second Schedule, being organisations established by the Central Government or any information furnished by such organisations to that

Government:

Provided that the information pertaining to the allegations of corruption and human rights violations shall not be excluded under this sub-section:

Provided further that in the case of information sought for is in respect of allegations of violation of human rights, the information shall only be provided after the approval of the Central Information Commission, and notwithstanding anything contained in section 7, such information shall be provided within forty-five days from the date of the receipt of request.

(2) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, amend the Schedule by including therein any other intelligence or security organisation established by that Government or omitting there from any organisation already specified therein and on the publication of such notification, such organisation shall be deemed to be included in or, as the case may be, omitted from the Schedule.

(3) Every notification issued under sub-section (2) shall be laid before each House of Parliament.

(4) Nothing contained in this Act shall apply to such intelligence and security organisation being organisations established by the State Government, as that Government may, from time to time, by notification in the Official Gazette, specify:

Provided that the information pertaining to the allegations of corruption and human rights violations shall not be excluded under this sub-section:

Provided further that in the case of information sought for is in respect of allegations of violation of human rights, the information shall only be provided after the approval of the State Information Commission and, notwithstanding anything contained in section 7, such information shall be provided within forty-five days from the date of the receipt of request.

(5) Every notification issued under sub-section (*4)* shall be laid before the State Legislature.

25. Monitoring and reporting:- (1)The Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, shall, as soon as practicable after the end of each year, prepare a report on the implementation of the provisions of this Act during that year and forward a copy thereof to the appropriate Government.

(2) Each Ministry or Department shall, in relation to the public authorities within their jurisdiction, collect and provide such information to the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, as is required to prepare the report under this section and comply with the requirements concerning the furnishing of that information and keeping of records for the purposes of this section.

(3) Each report shall state in respect of the year to which the report relates,-

(a) the number of requests made to each public authority;

(b) the number of decisions where applicants were not entitled to access to the documents pursuant to the requests, the provisions of this Act under which these decisions were made and the number of times such provisions were invoked;

(c) the number of appeals referred to the Central Information Commission or State Infonnation Commission, as the case may be, for review, the nature of the appeals and the outcome of the appeals;

(d) particulars of any disciplinary action taken against any officer in respect of the administration of this Act;

(e) the amount of charges collected by each public authority under this Act;

(f) any facts which indicate an effort by the public authorities to administer and implement the spirit and intention of this Act;

(g) recommendations for reform, including recommendations in respect of the particular public authorities, for the development, improvement, modernisation, reform or amendment to this Act or other legislation or common law or any other matter relevant for operationalising the right to access information.

(4) The Central Government or the State Government, as the case may be, may, as soon as practicable after the end of each year, cause a copy of the report of the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case maybe, referred to in sub-section *(1)* to be laid before each House of Parliament or, as the case may be, before each House of the State Legislature, where there are two Houses, and where there is one House of the State Legislature before that House.

(5) If it appears to the Central Information Commission or State Information Commission, as the case maybe, that the practice of a public authority in relation to the exercise of its functions under this Act does not conform with the provisions or spirit of this Act, it may give to the authority a recommendation specifying the steps which ought in its opinion to be taken for promoting such conformity.

26. Appropriate Government to prepare programmes:- (1)The appropriate Government may, to the extent of availability of financial and other resources,-

a. develop and organise educational programmes to advance the understanding of the public, in particular of disadvantaged communities as to how to exercise the rights contemplated under this Act;

b. encourage public authorities to participate in the development and organisation of programmes referred to in clause (a) and to undertake such programmes themselves;

c. promote timely and effective dissemination of accurate information by public authorities about their activities; andtrain Central Public Information Officers or State Public Information Officers, as the case may be, of public authorities and produce relevant training materials for use by the public authorities themselves.

(2) The appropriate Government shall, within eighteen months from the commencement of this Act, compile in its official language a guide containing such information, in an easily comprehensible form and manner, as may reasonably be required by aperson who wishes toexercise any right specified inthis Act.

(3) The appropriate Government shall, if necessary, update and publish the guidelines referred to in sub-section(2) at regularintervalswhich shall, in particular and withoutprejudiceto the generalityof sub-section (2), include-

(a) theobjectsof thisAct;

(b) the postal and street address, the phone and fax number and, if available, electronic mail address oftheCentral Public Information OfficerorState Public Information Officer, asthecase may be, of every public authority appointed under sub-section (1)of section 5;

(c) the manner and the form in which request for access to an information shall be made to a Central Public Information Officer orState Public Information Officer, as the case may be;

(d) the assistance available from and the duties of the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as thecase may be, of a public authority under this Act;

(e) the assistance available from the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be;

(f) all remedies in law available regarding an act or failure to act in respect of a right or duty

conferred or imposed by this Act including the manner of filing an appeal to the Commission;

(g) the provisions providing for the voluntary disclosure of categories of records in accordance with section 4;

(h) thenoticesregardingfeestobepaidinrelationtorequestsforaccesstoaninformation;and

(i) any additional regulations or circulars made or issued in relation to obtaining access to an information in accordance with this Act.

(4) TheappropriateGovernmentmust,ifnecessary,updateandpublishtheguidelinesatregular intervals.

27. Power to make rulesby appropriateGovernment:- (1)The appropriateGovernmentmay,by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.

(2) Inparticular,andwithoutprejudicetothegeneralityoftheforegoingpower,suchrulesmay provide for all or any of the followingmatters,namely:-

(a) thecostofthemediumorprintcostpriceofthematerialstobedisseminatedundersub- section (*4)* of section 4;

(b) thefee payableundersub-section(1)ofsection6;

(c) thefeepayableundersub-sections *(1)*and (5)ofsection7;

[1][(ca) the term of office of the Chief Information Commissioner and Information Commissioners under sub-sections (1) and (2) of section 13and the State Chief Information Commissioner and State Information Commissionersunder sub-sections (1)and (2) of section 16;

(cb) the salaries, allowances and other terms and conditions of service of the Chief Information Commissioner and the Information Commissioners under sub-section (5) of section 13 and the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners under sub-section (5) of section 16;]

(d) the salaries and allowances payable to and the terms and conditions of service of the officers and other employees under sub-section (*6)* of section 13 and sub-section (*6)* of section 16;

(e) the procedure to be adopted by the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, in deciding the appeals under sub-section (*10)* of section 19; and

(f) any other matter which is required to be,or may be, prescribed.

28. Power to make rules by competent authority:- (1)The competent authority may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(i) the cost of the medium or print cost price of the materials to be disseminated under sub-section

(4) of section 4;

(ii) the fee payable under sub-section (1) of section 6;

(iii) the fee payable under sub-section*(1)* of section 7; and

(iv) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.

Ins.by Act 24 of 2019, s. 4, (w.e.t: 24-10-2019).

29. Laying of rules:- (1)Every rule made by the Central Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

(2) Every rule made under this Act by a State Government shall be laid, as soon as may be after it is notified, before the State Legislature.

30. Power to remove difficulties:- (1)If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions ofthis Act as appear to it to be necessary or expedient for removal of the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before each House of Parliament.

31. Repeal:- TheFreedom of Information Act, 2002. (5 of 2003) is hereby repealed.

THE FIRST SCHEDULE

[See sections 13*(3)* and 16(3)]

FORM OF OATH OR AFFIRMATION TO BE MADE BY THE CHIEF INFORMATION COMMISSIONER. THE INFORMATION COMMISSIONER/THE STATE CHIEF INFORMATION COMMISSIONER/THE STATE

INFORMATION COMMISSIONER

"I, ... having been appointed Chief Information Commissioner/Information Commissioner/State Chief Information Commissioner/State Information

solemnly affirm

Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perfonn the duties of my office without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws".

THE SECOND SCHEDULE

(*See* section 24)

INTELLIGENCE AND SECURITY ORGANISATION ESTABLISHED BY THE CENTRAL GOVERNMENT

1. Intelligence Bureau.

[8][2. Research and Analysis Wing including its technical wing namely, the Aviation Research Centre of the Cabinet Secretariat.]

3. Directorate of Revenue Intelligence.

4. Central Economic Intelligence Bureau.

5. Directorate of Enforcement.

6. Narcotics Control Bureau.

[9][7.* * * * *]

[8][8. Special Frontier Force.]

9. Border Security Force.

10. Central Reserve Police Force.

11. Indo-Tibetan Border Police.

12. Central Industrial Security Force.

13. National Security Guards.

14. Assam Rifles.

[1][15. Sashtra Seema Bal.]

[2][16. Directorate General of Income-tax (Investigation).]

[2][17. National Technical Research Organisation.]

[2][18. Financial Intelligence Unit, India.]

[3][19. Special Protection Group.

20. Defence Research and Development Organisation.

21. Border Road Development Board.

4* ** **]

[5][22. National Security Council Secretariat.]

[6][23. Central Bureau of Investigation.]

[6][24. National investigation Agency.]

[6][25. National Intelligence Grid.]

[7][26. Strategic Forces Command.]

---

1. Subs. by notification No. G.S.R. 347, dated 28-9-2005
2. Subs. by notification No. G.S.R. 235(E) dated 27-3-2008
3. Ins. by notification No. G.S.R. 347, dated 28-9-2005
4. Omitted by G.S.R. 235(E) dated 27-3-2008
5. Added by notification No. G.S.R. 726(E), dated 8-10-2008
6. Added by notification No. G.S.R. 442(E), dated 9-6-2011
7. Added by notification No. G.S.R. 673(E), dated 8-7-2016
8. Subs. by notification No. G.S.R. 253, dated 4-5-2021
9. Omitted by notification No. G.S.R. 253, dated 4-5-2021

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन अनुभाग
संख्याः **2132/XXXI(13)G-65(सू0अ0)/2012**
देहरादूनः दिनांक **28** जून**, 2013**

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 22 वर्ष 2005) की धारा 27 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः-

उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली**, 2013**

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भः

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 होगा।
(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएंः

2. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:-
   (क) 'अधिनियम' से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है,
   (ख) 'धारा' से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा अभिप्रेत है,
   (ग) 'आयोग' से उत्तराखण्ड राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है,
   (घ) 'राज्य सरकार' से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है,
   (ड़) 'बी0पी0एल0' से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसा व्यक्ति, जिसकी वार्षिक आय रू0 12,000/- (रू0 बारह हजार मात्र) से कम हो, अभिप्रेत है,
   (च) 'प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी' से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन योजित प्रथम अपील के निस्तारण हेतु धारा 19(1) के अधीन नामित अधिकारी अभिप्रेत है,
   (छ) 'सूचना' से किसी इलैक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागज-पत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़े संबंधी सामग्री और किसी निजी निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री, अभिप्रेत है।
   (ज) 'अभिलेख' में निम्नलिखित सम्मिलित है -
      (क) कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाइल,
      (ख) किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिको और प्रतिकृति प्रति,
      (ग) ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिरूप या प्रतिरूपों का पुनरूत्पादन (चाहे व्यक्ति के रूप में हो या न हो), और

(घ) किसी कम्प्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री।

(झ) 'सूचना का अधिकार' से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन पहंुच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है -

(एक) कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण,

(दो) दस्तावेजों या अभिलेखों की टिप्पणी, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना,

(तीन) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना,

(चार) डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक रीति में या प्रिंटआउट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है, अभिप्राप्त करन

(ञ) उन शब्दों और पदों के, जो इस नियमावली में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में दिए गए हैं।

राज्य सरकार द्वारा स्वतः प्रकटन के लिए सूचना विहित करना:

3. राज्य सरकार समय-समय पर किसी लोक प्राधिकारी अथवा लोक प्राधिकारियों से स्वतः प्रकटन की जाने वाली सूचना और उसका अद्यावधिकरण राज्य सरकार के गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके विहित कर सकती है। विहित की गयी सूचना का प्रकाशन लोक प्राधिकारी विहित किये जाने के 60 दिन के अन्दर इलैक्ट्रोनिक प्ररूप में करेगा। लोक प्राधिकारी, इलैक्ट्रोनिक प्ररूप पर स्वतः प्रकटन हेतु विहित सूचना को सम्पूर्ण देश में कम्प्यूटर नेटवर्क से अथवा इण्टरनेट के माध्यम से सम्बद्ध करेगा। लोक प्राधिकारी विहित सूचना को राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट रूप में अद्यावधिक करेगा।

आवेदन की भाषा:

4. सूचना की प्राप्ति हेतु आवेदन हिन्दी भाषा देवनागरी लिपि में अथवा अंग्रेजी में प्रस्तुत किया जायेगा।

सूचना प्राप्त करने की प्रक्रियाः

5. (क) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन 'सूचना' प्राप्त किये जाने हेतु लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी को निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ अनुरोध पत्र दिया जायेगा।

(ख) बी0पी0एल0 श्रेणी के नागरिकों के अतिरिक्त अन्य नागरिकों द्वारा 'सूचना' के लिए ऐसे अनुरोध पत्र पर जिसके साथ निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि प्रस्तुत नहीं की गयी है, को सूचना निर्धारित शुल्क जमा करने पर दी जाएगी। लोक सूचना अधिकारी आवेदनकर्ता को नोटिस भेजेगा कि सूचना के अधिकार सम्बन्धी आवेदन पर कार्यवाही केवल आवेदन शुल्क का भुगतान करने पर की जाएगी तथा 30 दिन की समय सीमा आवेदन शुल्क का भुगतान करने पर आरम्भ होगी।

(ग) अनुरोधकर्ता द्वारा अनुरोध पत्र में किसी अन्य लोक प्राधिकारियों की अभिरक्षा या नियंत्रण की सूचना की मांग किये जाने पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने से सम्बन्धित लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा या नियंत्रण की सूचना, यदि कोई होती है अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराई जायेगी

तथा अन्य लोक प्राधिकारी से सम्बन्धित सूचना के सम्बन्ध में अनुरोधपत्र ऐसे अन्य लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी को अन्तरित किया जायेगा,

परन्तु यह कि यदि अन्य लोक प्राधिकारियों की संख्या दो या दो से अधिक होती है तो अनुरोध पत्र अन्तरित नहीं किया जायेगा अपितु अपने से सम्बन्धित लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा या नियंत्रण की सूचना उपलब्ध कराने की कार्यवाही करते हुए अनुरोधकर्ता को शेष सूचना के लिए सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारियों से पृथक से आवेदन करने के लिये कहा जायेगा।

(घ) अनुरोधकर्ता द्वारा यदि अनुरोध पत्र में ऐसी सूचना की मांग की जाती है, जिसके सम्बन्ध में यह स्पष्ट नहीं हो पाता है की वह किस लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा या नियंत्रण में है जिस कारण उससे सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को अनुरोध पत्र अन्तरित किया जाना सम्भव नहीं है, तो लोक सूचना अधिकारी अपने से सम्बन्धित लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा या नियंत्रण की सूचना, यदि कोई हो, अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराते हुए शेष सूचना के सम्बन्ध में अनुरोधकर्ता को अनुरोध पत्र वापस करते हुए उसे उक्त स्थिति से अवगत करायेगा।

(ड़) 'सूचना' के लिए अनुरोध ऐसी सूचना के लिए किया जा सकेगा, जो अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (च) के अधीन 'सूचना' परिभाषित है और लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा अथवा नियंत्रण में है। सूचना के लिए अनुरोध पत्र द्वारा अधिनियम में परिभाषित 'सूचना' से इतर सूचना का अनुरोध किये जाने पर लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को 'सूचना धारित नहीं है' से अवगत करायेगा।

(च) अनुरोध पत्र में मांगी गयी 'सूचना' का चिन्हीकरण स्पष्ट रूप से न होने की दशा में अनुरोध पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को आवेदित सूचना का सुस्पष्ट चिन्हीकरण पत्र द्वारा अथवा लोक प्राधिकारी की प्रकटन योग्य 'सूचना' का निरीक्षण करके करने हेतु सूचित करेगा। अनुरोधकर्ता द्वारा लिखित रूप में अथवा निरीक्षणोपरान्त 'सूचना' का चिन्हीकरण करके लोक सूचना अधिकारी को अवगत कराने पर 'सूचना' यथा प्रक्रिया निर्धारित अवधि के भीतर दी जायेगी।

(छ) आवेदक द्वारा मांगी गयी 'सूचना' का अनुरोध अस्वीकार करने की दशा में लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को अनुरोध अस्वीकार के कारण अधिनियम व नियमावली के सुसंगत प्राविधानों का उल्लेख करते हुए लिखेगा और सूचित करेगा। लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को अनुरोध अस्वीकार करने के विरूद्ध अपील करने की समय अवधि तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम, पता आदि का विवरण सूचित करेगा।

(ज) आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना उसी ''प्ररूप'' में उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें उसे मांगा गया है जब तक कि उस सूचना को उपलब्ध कराने में लोक प्राधिकारी के संसाधनों को अनअनुपाती रूप में परिवर्तित न कर दिए गए हों अथवा अभिलेखों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए हानिकर न हो। लोक सूचना अधिकारी आवेदनकर्ता को सूचना का निरीक्षण कराकर सूचना आवेदनकर्ता को उस 'प्ररूप' में उपलब्ध करायी जायेगी जिस 'प्ररूप' में सूचना उपलब्ध कराना लोक प्राधिकारी के संसाधनों को अनअनुपाती रूप में विचलित न करता हो।

सूचना हेतु शुल्क:

6. (क) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना हेतु आवेदन पत्र के साथ लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी के नाम संदेय रू0 10.00 मात्र

का शुल्क उचित रसीद की प्रति, नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से संदाय किया जा सकेगा,

(ख) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन सूचना की लागत के रूप में अतिरिक्त शुल्क सूचना दिए जाने हेतु लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी के नाम संदेय निम्नलिखित दरों के अनुरूप शुल्क उचित रसीद के प्रति नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से संदाय किया जा सकेगा, अर्थात,

परन्तु यह कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को कोई शुल्क देय नहीं होगा।

(एक) ए-3 या ए-4 आकार के पृष्ठ (छायाप्रति या तैयार सूचना) हेतु रू0 2.00 (दो रूपये मात्र) प्रति पृष्ठ और इससे बड़े आकार के पृष्ठ हेतु वास्तविक लागत,

(दो) अभिलेखों के निरीक्षण हेतु प्रथम घंटा हेतु कोई शुल्क संदेय नहीं होगा, तदुपरान्त प्रत्येक एक घण्टे अथवा उसके भाग हेतु रू0 5.00 मात्र (पांच रूपये मात्र) का शुल्क संदाय किया जाना होगा,

(तीन) मॉडल एवं नमूनों की प्रतियों के लिए वास्तविक लागत का संदाय किया जाना होगा।

(ग) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन सूचना छपे या इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना दिए जाने हेतु लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी के नाम देय निम्नलिखित दरों के अनुरूप शुल्क, उचित रसीद के प्रति नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से संदाय किया जा सकेगा, अर्थात

(एक) सी0डी0/डी0वी0डी0 पर सूचना दिए जाने हेतु रू0 20.00 मात्र (बीस रूपये मात्र) प्रति सी0डी0/डी0वी0डी0, और

(दो) किसी मुद्रित प्रकाशन की दशा में, उसका निर्धारित मूल्य या ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की फोटो के प्रति पृष्ठ के लिए रू0 2.00 मात्र (दो रूपये मात्र)।

(घ) बी0पी0एल0 श्रेणी के व्यक्तियों के सूचना अनुरोध पर शुल्क हेतु निम्नलिखित व्यवस्था होगी:-

(एक) यदि आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना उसके (बी0पी0एल0 श्रेणी के) स्वयं से या उसके परिवार से सम्बन्धित हो, तो वह सूचना निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी।

(दो) यदि सूचना बी0पी0एल0 श्रेणी के अनुरोधकर्ता या उसके परिवार के सदस्य से भिन्न व्यक्ति से सम्बन्धित हो, और सूचना 50 छाया पृष्ठों (ए-4 साइज के) या तैयार करने में रूपये 100 के व्यय में दी जा सकती है तो वह सूचना निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी। यदि आवेदित सूचना इस सीमा से अधिक हो तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले श्रेणी के व्यक्ति को स्वयं के खर्चे पर अभिलेखों के निरीक्षण करने, टिप्पणीयां लेने या छायाप्रतियां प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकेगी।

परन्तु यह कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को आवेदनकर्ता द्वारा स्वयं सत्यापित बी0पी0एल0 कार्ड की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी

राज्य लोक सूचना अधिकारी के दायित्व:

7. (क) नियम 6 के खण्ड (ख) व (ग) में उल्लिखित अतिरिक्त शुल्क हेतु अनुरोधकर्ता को यथासंभव अनुरोध पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर सूचित किया जाएगा।

(ख) अनुरोधकर्ता को तीसरे पक्ष की सूचना अधिनियम की धारा 11 में निर्धारित प्रक्रिया अन्तर्गत उपलब्ध कराई जायेगी।

(ग) अधिनियम की धारा 8(1) में उल्लिखित सूचनाएं जिन्हें प्रकटन से छूट है, को लोक सूचना अधिकारी अनुरोध किये जाने पर अनुरोधकर्ता को उपलब्ध नहीं करायेगा।
परन्तु लोक प्राधिकारी वृहत्तर लोक हित में अधिनियम की धारा 8(2) के अन्तर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त सूचना तक पहुँच की अनुमति दे सकेगा।

(घ) अधिनियम की धारा 8(1)(ञ) निजी सूचनाएॅ, जिसका प्रकटन का लोक गतिविधि या लोक हित से सम्बन्ध नहीं है अथवा जिसका प्रकटन किसी व्यक्ति की निजता में अवांछित अतिक्रमण है, का प्रकटन नहीं किया जायेगा सिवाय तब जब लोक सूचना अधिकारी अथवा अपीलीय अधिकारी का समाधान हो जाता है कि वृहत्तर लोक हित में निजी सूचनाओं का प्रकटन न्यायपूर्ण है।

विभागीय अपील अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील:

8. (क) अधिनियम की धारा 19 के अधीन लोक सूचना अधिकारी के निस्तारण के विरूद्ध अपील किये जाने पर अपीलकर्ता को अपील के साथ अनुरोध पत्र, लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोध पत्र के निस्तारण के पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी। अपील पत्र में अपील के आधार स्पष्ट रूप से लिखे जायेंगे।

(ख) तीसरे पक्ष की सूचना प्रकटन के मामले में लोक सूचना अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील में अपील पत्र के साथ लोक सूचना अधिकारी का आदेश तीसरे पक्ष की मांगी गयी सूचना तीसरे पक्ष द्वारा दिया गया कथन संलग्न किया जायेगा। अपील पत्र में अपील का आधार स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

(ग) प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा अनुरोधकर्ता द्वारा दाखिल अपील पर आवश्यकतानुसार लोक सूचना अधिकारी से पक्ष प्राप्त किया जाएगा। अपील के सम्यक निस्तारण हेतु आवश्यक होने की दशा में अपीलकर्ता को उपस्थित होने के लिए निर्देश दिये जा सकेंगे।

(घ) प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा यथा सम्भव प्रथम अपील का निस्तारण अधिनियम में उल्लिखित अवधि में किया जायेगा। जहां अपील का निस्तारण 30 दिन की निर्धारित अवधि में न हो तब प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी प्रथम अपील का निस्तारण 45 दिन से अनधिक अवधि में कर सकेगा। अपील निस्तारण के लिए समय अवधि बढ़ाने के कारण अभिलिखित किए जायेंगे। अपील के निस्तारण आदेश की प्रति अपीलकर्ता तथा लोक सूचना अधिकारी को निःशुल्क प्रदान की जायेगी।

(ङ) प्रथम अपीलीय अधिकारी इसकी पड़ताल अपील सुनते हुए करेगा कि लोक सूचना अधिकारी ने व्यक्तिगत सूचना प्रकटन करने में अधिनियम की धारा 8(1)(ञ) के प्रावधानों के अनुरूप व्यक्तिगत 'सूचना' का प्रकटन करने से मना किया है। लोक सूचना अधिकारी ने ऐसी व्यक्तिगत सूचना जो लोक क्रिया कलाप व हित के सम्बन्ध रखती है या जिससे व्यक्ति की एकान्तता पर अनावश्यक अतिक्रमण नहीं है अथवा जिसका प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है उसे प्रकटन से रोका नहीं है।

(च) प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी अपील पर विचार करते समय यह समाधान करेंगे कि अनुरोधकर्ता द्वारा मांगी गयी 'सूचना' प्रकटन की जा सकती है अथवा नहीं। प्रकटन की जा

सकने वाली 'सूचना' अनुरोधकर्ता को निर्धारित समय के अन्दर निर्गत की गयी है अथवा नहीं। मांगी गयी वह 'सूचना' जिसका लोक सूचना अधिकारी ने प्रकटन करना अस्वीकार किया है, वह सूचना' अधिनियम की धारा 8 के प्राविधानों के अन्तर्गत छूट प्राप्त है अथवा नहीं। अधिनियम की धारा 8(2) के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा आवेदित सूचना का प्रकटन वृहत्तर जनहित में प्रकटन करना उपयुक्त पाया है या नहीं। वह 'सूचना' जिसका प्रकटन धारा 8 के अन्तर्गत छूट प्राप्त नहीं है और अधिनियम की धारा 8(1)(ञ), धारा 8(2) के प्राविधानों के अनुसार यह समाधान हो रहा है कि वृहत्तर लोक हित में आवेदित सूचना का प्रकटन किया जाना आवश्यक है तथा अपीलकर्ता तक सूचना निर्गत नहीं की गयी है, उस सूचना को लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी के निर्देश पर अनुरोधकर्ता को एक सप्ताह में निर्धारित शुल्क प्राप्त कर उपलब्ध कराएंगे।

(छ) आवेदक द्वारा मांगी गयी 'सूचना' आवेदक को 'सूचना' का चिन्हीकरण स्पष्ट न होने के कारण न दिये जाने की स्थिति प्रकट होने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी आवेदक को आवेदित सूचना का स्पष्ट चिन्हीकरण लिखित रूप में करने हेतु अथवा लोक प्राधिकारी के सम्बन्धित अभिलेखों का निर्धारित शुल्क भुगतान करके निरीक्षण करके करने हेतु निर्देशित करेगा। प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी आवेदक द्वारा चिन्हित 'सूचना' को निर्धारित शुल्क प्राप्त करके आवेदक को दिये जाने के आदेश देगा।

(ज) प्रथम अपीलीय अधिकारी अपील के निर्णय में उपरिलिखित उपनियमों में अंकित बिन्दुआंे की विवेचना अंकित करेगा तथा जो 'सूचना' प्रकटन से छूट प्राप्त नहीं है, उस सूचना का प्रकटन करने के लिए लोक सूचना अधिकारी को निर्देश निर्गत करेगा।

सूचना आयोग में द्वितीय अपील:

9. (क) अधिनियम की धारा 19 के अधीन द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग के समक्ष किये जाने पर अपीलकर्ता को द्वितीय अपील पत्र के साथ अनुरोधकर्ता का अनुरोध पत्र, लोक सूचना अधिकारी के अनुरोध पत्र के निस्तारण का पत्र, प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपील के निस्तारण आदेश की प्रति संलग्न की जायेगी। द्वितीय अपील का आधार स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना आवश्यक होगा।

(ख) अपील पर निर्णय लेते समय राज्य सूचना आयोग:-

(एक) सम्बन्धित अथवा हितबद्ध व्यक्ति से शपथ पर साक्ष्य अपना शपथ पत्र पर मौखिक अथवा लिखित साक्ष्य प्राप्त कर सकेगा;

(दो) दस्तावेजों, लोक अभिलेखों या उनकी प्रतियों को ध्यानपूर्वक पढ़ेगा या उनका निरीक्षण करेगा;

(तीन) अग्रिम विवरण अथवा तथ्यों की प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से जॉच करेगा; और

(चार) लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा अन्य किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके विरूद्ध अपील की गई है या तीसरे पक्ष से शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त कर सकेगा।

(पांच) द्वितीय अपील में अनुरोधकर्ता द्वारा मांगी गयी 'सूचना' के निर्धारित समय के अन्दर प्रकटन का मामला ही देखा जायेगा। द्वितीय अपील में राज्य सूचना आयोग उक्त उपबन्ध (तीन) के अनुसार द्वितीय अपील में प्रश्नगत विषय पर ही जांच करेगा और अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार आदेश पारित करेगा। किसी अन्य प्राधिकारी को

प्रश्नगत द्वितीय अपील के निस्तारण के दौरान किसी अन्य विषय पर जांच का निर्देश नहीं देगा।

(छः) द्वितीय अपील में लोक सूचना अधिकारी को द्वितीय अपील पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जायेगा। आयोग उक्त के बाद अन्तिरिम निर्देश द्वितीय अपील में अर्न्तग्रस्त विषय से इतर विषय पर कार्यवाही के लिए निर्गत नहीं करेगा। द्वितीय अपील का निस्तारण अन्तिम रूप से यथासम्भव 90 दिन में तथा विलम्बतम 120 दिन में करेगा।

(सात) द्वितीय अपील के आदेश में सूचना आयोग यथा आवश्यकता अधिनियम की धारा 19(8) के अनुरूप सूचना के प्रकटन और पहुँच बनाये जाने के लिए निर्देश दे सकेगा।

(आठ) द्वितीय अपील के निस्तारण में लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश निर्गत नहीं किया जायेगा। जिन मामलों में आयोग को आवश्यक प्रतीत होता है आयोग कारण अभिलिखित करते हुए लोक सूचना अधिकारी को द्वितीय अपील में उपस्थित होने के निर्देश निर्गत करेगा।

(नौ) आयोग द्वितीय अपील के जिन मामलों में वीडियों कान्फ्रेन्स से द्वितीय अपीलकर्ता, लोक सूचना अधिकारी या अन्य अधिकारी का पक्ष जानना उपयुक्त समझता है और उनकी उपस्थिति अपेक्षित है तो वह ऐसा कर सकेगा। राज्य सरकार की वीडियो कान्फ्रेन्स प्रणाली का आयोग को द्वितीय अपील अथवा शिकायत की सुनवाई के लिए उपयोग करने की सुविधा राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।

(दस) आयोग द्वारा द्वितीय अपील की सुनवायी के समय यह समाधान होने पर कि लोक सूचना अधिकारी पर अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की जानी आवश्यक है, लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस निर्गत कर कारण बताने का अवसर दिया जायेगा। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपना पक्ष रखने अथवा निर्धारित अवधि व्यतीत होने पर आयोग, लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध अधिनियम की धारा 20 के अनुसार शास्ति आरोपित करेगा। लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध शास्ति आरोपण की कार्यवाही द्वितीय अपील के निस्तारण के आदेश के साथ प्रारम्भ जायेगी। शास्ति आरोपण की कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए द्वितीय अपील का निस्तारण लम्बित नहीं रखा जायेगा।

(ग्यारह) अपील की जांच करते समय आयोग अधिनियम के प्रावधानों का निरन्तर उल्लंघन करने वाले लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने की संस्तुति कर सकेगा। ऐसी संस्तुति निर्गत करने से पहले आयोग लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओं नोटिस निर्गत करेगा। तत्पश्चात कारण बताओं नोटिस के विरूद्ध लोक सूचना अधिकारी के समुचित रूप से सुनने के बाद आयोग ऐसे लोक प्राधिकारी को समुचित संस्तुतियां निर्गत करेगा जिसने ऐसे लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त किया।

(ग) (एक) तीसरे पक्ष की सूचना प्रकटन के मामले में लोक सूचना अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आयोग में अपील में अपील पत्र के साथ लोक सूचना अधिाकारी का आदेश तीसरे पक्ष की मांगी गयी सूचना, तीसरे पक्ष द्वारा दिया गया कथन संलग्न किया जायेगा। अपील पत्र में अपील का आधार स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

(दो) उक्त उपखण्ड (एक) के अनुसार प्रस्तुत अपील में तीसरे पक्ष को आयोग अपना पक्ष रखने का अवसर देगा।

(तीन) अपील के निस्तारण के लिये लोक सूचना अधिकारी तथा तीसरे पक्ष को आयोग द्वारा अपील में अपना पक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा।

(घ) आयोग द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति को प्रथम नोटिस पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से भेजी जायेगी, उसके बाद की नोटिस सम्बन्धित व्यक्ति को निम्नांकित रूप से प्राप्त करायी जायेगीः -

(एक) स्वयं पक्षकार के माध्यम से ;

(दो) तामीलकर्ता के माध्यम से दस्ती ;

(तीन) साधारण डाक द्वारा ; या

(चार) कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष के माध्यम से।

(पांच) इण्टरनेट के माध्यम से ई मेल द्वारा अथवा
एस0एम0एस0 द्वारा

(छः) पावती के साथ पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से।
किन्तु अग्रतर प्रतिबंध यह है कि खण्ड (छः) के अनुसार नोटिस प्राप्ति प्रथम पांच तरीकों से नोटिस प्राप्ति न होने की दशा में ही किया जायेगा।

(ङ) अपीलार्थी या पक्षकारों को सुनवाई के लिए आयोग निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायेगा:-

(एक) अपीलार्थी या प्रतिपक्ष, जैसी स्थिति हो, आवेदन की प्रक्रिया में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु किसी भी व्यक्ति का सहयोग ले सकेगा।

(दो) आयोग के आदेश खुले में सुनाये जाऐंगे और आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी या सचिव द्वारा लिखित रूप में अभिप्रमाणित किए जाएंगे।

(तीन) आयोग का आदेश आदेश होने के बाद आयोग द्वारा अपने वेबसाइट पर यथाशीघ्र प्रकाशित किये जायेंगे।

धारा **18** के अन्तर्गत आयोग द्वारा कार्यवाही की प्रक्रिया:

10. (क) आयोग अधिनियम की धारा 18(1) के खण्ड (क) से (च) में उल्लिखित कारणों से की गयी शिकायत की जांच करेगा।

(ख) शिकायत में शिकायतकर्ता स्पष्ट अंकित करेगा कि धारा 18 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (च) में से किस आधार या आधारों पर शिकायत की गयी है।

(ग) शिकायत की प्रति लोक सूचना अधिकारी अथवा लोक प्राधिकारी के प्रमुख, जैसी स्थिति हो, को भेजी जायेगी और शिकायत पर लिखित रूप से पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा।

(घ) आयोग आवश्यकतानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों का साक्ष्य ले सकेगा, जो शिकायत की जांच के लिए आवश्यक हो। ऐसे अभिलेख मंगा सकता है और निरीक्षण कर सकता है, जो शिकायत की जांच के लिए आवश्यक हो।

(ङ) अधिनियम की धारा 20 के अनुसार आयोग शिकायत की जांच कर सकेगा और अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले लोक सूचना अधिकारी को दण्डित करने के लिए शास्ति आरोपित कर सकेगा। आयोग शास्ति आरोपित करने से पूर्व लोक सूचना अधिकारी को कारण

बताओ नोटिस के विरूद्ध लोक सूचना अधिकारी की समुचित रूप से सुनवाई कर समुचित आदेश पारित करेगा।

(च) अपील की जांच करते समय आयोग अधिनियम के प्रावधानों का निरन्तर उल्लंघन करने वाले लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने की संस्तुति कर सकेगा। ऐसी संस्तुति निर्गत करने से पहले आयोग लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस निर्गत करेगा। तत्पश्चात कारण बताओ नोटिस के विरूद्ध लोक सूचना अधिकारी के समुचित रूप से सुनने के बाद आयोग ऐसे लोक प्राधिकारी को समुचित संस्तुतियां निर्गत करेगा जिसने ऐसे लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त किया

आयोग द्वारा अधिरोपित शास्ति तथा क्षतिपूर्ति की वसूली:

11. (क) लोक सूचना अधिकारी पर अधिरोपित शास्ति अथवा लोक प्राधिकारी पर अधिरोपित क्षतिपूर्ति द्वितीय अपील अथवा शिकायत, यथास्थिति, में पारित आयोग के आदेश के तीन माह की अवधि समाप्त होने पर वसूल की जा सकेगी।

(ख) आयोग आरोपित शास्ति वसूलने के लिए उसे 3 से अनधिक किश्तों में वसूलने के लिए आदेश दे सकेगा। आयोग लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित करने पर शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश की एक प्रति शास्ति वसूलने के प्रयोजनार्थ लोक सूचना अधिकारी के लोक प्राधिकारी को उपलब्ध करायेगा, जो आदेश प्राप्त होने पर उसकी पावती आयोग को इस आशय से प्रेषित करेंगे कि वसूली के प्रयोजनार्थ शास्ति को नोट कर लिया गया है।

(ग) अपीलकर्ता अथवा शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति के अधिनिर्णय हेतु लोक प्राधिकारी के विरूद्ध आदेश पारित करने पर आयोग ऐसे आदेश की प्रति आयोग द्वारा स्वयं लोक प्राधिकारी को वसूली के लिए उपलब्ध कराएगा जो आदेश की पावती यह सूचित करते हुए कि अपीलकर्ता अथवा शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति की राशि के भुगतान तथा ऐसे सम्बन्धित अधिकारियों से, जिन्हें लोक प्राधिकारी उचित समझे, उक्त राशि वसूल करने लिए नोट कर ली गई है, आयोग की पावती भेजेगा।

(घ) खण्ड (ख) व (ग) के अन्तर्गत आयोग से आदेश प्राप्त होने व लोक प्राधिकारी द्वारा उसकी पावती आयोग को प्रेषित करने पर खण्ड (क) के अधीन शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति वसूलने का उत्तरदायित्व लोक प्राधिकारी का होगा।

(ङ) शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति वसूलने के प्रयोजनार्थ आयोग द्वारा शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के आदेश की प्रति सम्बन्धित लोक प्राधिकारी को उपलब्ध कराना ही पर्याप्त होगा। लोक प्राधिकारी प्रमुख शास्ति की राशि अथवा क्षतिपूर्ति शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति अभिरोपण के तीन माह बाद परन्तु छः माह से अनधिक अवधि में वसूलेगा। उक्त राशि वसूलने पर लोक प्राधिकारी प्रमुख आयोग को राशि वसूल होने का विवरण सूचित करेगा। आयोग द्वारा उक्त सूचना सम्बन्धित द्वितीय अपील पत्रावली में रखी जायेगी।

(च) लोक प्राधिकारी द्वारा शास्ति अथवा क्षतिपूर्ति को वसूल किये जाने, उसे राजकोष में जमा करने अथवा आवेदनकर्ता को भुगतान करने की कार्यवाही, यथास्थिति, ऐसी रीति, जिसे राज्य सरकार समय-समय पर आदेश जारी कर विहित करे, के अनुसार की जायेगी।

कठिनाईयों को दूर करने की षक्ति:

12. यदि इन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार आदेश जारी कर सकेगी, जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन हो।

निरसन और व्यावृतियां:-

13. (क) उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2012 को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(ख) खण्ड (क) के द्वारा उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2012 निरसित किये जाने पर भी उक्त नियमावली के अन्तर्गत की गयी कोई भी कार्यवाही, जारी किया गया कोई आलेख्य, जहां तक वह इस नियमावली के उपबन्धों से असंगत नहीं है, इस नियमावली के अधीन की गई, जारी की गई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
सचिव

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2132/XXXI (13)G-65 (सू०अ०) / 2012, dated June 28, 2013 for general information:

Government of Uttarakhand
General Administration Section
No. 2132/XXXI (13) G-65 (सू०अ०) / 2012
Dehradun, Dated June 28, 2013

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005 (Central Act no.22 of 2005), the Governor is pleased to make the following rules, namely:-

The Uttarakhand Right to Information Rules, 2013

Short title and Commencement

1. (i) These Rules may be called the Uttarakhand Right to Information Rules, 2013.
   (ii) These Rules shall come into force from the date of their publication in the official gazette.

Definitions:

2. In these Rules, unless there is anything contrary to the subject or context:-

   a) "Act" means the Right to Information Act, 2005,

   b) "Section" means the section of Right to Information Act, 2005,

   c) "Commission" means the Uttarakhand State Information Commission,

   d) "State Government" means the State Government of Uttarakhand,

   e) "B.PL." means the person living below poverty line having an annual income of less than Rs.12000/- (Rs. Twelve Thousand)

   f) "First Departmental Appeal Officer" means the officer designated under section 19(1) for disposal of first appeal filed under sub section (1) of section 19 of Right to Information Act,

   g) "Information" means the records held in electronic form, document, memorandum, e-mail, opinion, advice, press note, circular, order, log book, contract, papers, sample, model, material related to data, including any information in any form, any material related to any private body which can be reached by any Public Authority under any other law in force for the time being.

(h) A **'Record'** includes the following:-

(a) Any document, manuscript or file,
(b) Any microfilm, microfiche or facsimile copy of a document,
(c) Any reproduction of image or images embodied in such microfilm (Whether enlarged or not)
(d) Any other material produced with the help of a computer or through any other device.

i) **"Right to Information"** means the right to information accessible under the Right to Information act, 2005 which is held by or is under the control of any Public Authority and includes the right to-

(i) inspect any work, document, record;

(ii) take notes, extracts or certified copies of documents or records;

(iii) take certified samples of materials;

(iv) obtain information in the form of diskettes, floppies, tapes, video cassettes or in any other electronic mode or through printouts where such information is stored in a computer or in any other device.

j) Words and expressions used in these rules but not defined here shall have the same meaning as defined in the Right to Information Act, 2005.

Prescribing information for self disclosure by the State Government

3. The State Government may, from time to time, prescribe the information to be disclosed suo moto by any public authority or public authorities and its updation by publishing it in official gazette of the State Government. The prescribed information shall be published by the Public Authority in electronic form within 60 days from the date of prescribing the information. The Public Authority shall interlink the prescribed information for suo moto disclosure in electronic form throughout the country through computer network or internet. The Public Authority shall update the prescribed information in the form as specified by the State Government.

Language of Application

4. Application for obtaining information shall be made in Hindi Devanagari script or in English.

Procedure for obtaining information

5. (a) For obtaining 'information' under sub section (1) of section (6) of the Act, an application along with prescribed application fee shall be submitted to the Public Information Officer or Assistant Public Information Officer of the Public Authority.

(b) Application for 'information' from citizens other than B.P.L. category, not accompanying the amount of prescribed fee after depositing the prescribed fees the information shall be provided. The PIO shall send a notice to the applicant that the RTI application will be processed only on payment of application fee and that the 30-day time limit will commence upon payment of application fee.

(c) On applicant's request for information in the application which is under custody or control of other Public Authorities, the Public Information Officer shall provide information, if any, relating to his Public Authority or under the custody or control of his Public Authority to the applicant and for information concerning the other Public Authority the application shall be transferred to the Public Information Officer of such other Public Authority.

Provided that in case the number of other Public Authorities is two or more, the application shall not be transferred, instead, after providing the information under the custody or control of his Public Authority the applicant shall be asked to apply separately to the concerned Public Information officer for remaining information.

(d) In case the applicant seeks information for which it is not clear under which Public Authority's custody or control the information is available and as such it is not possible to transfer the application to the concerned Public Authority, the Public Information Officer, after providing the information, if any, which is under the custody or control of his Public Authority shall return the application to the applicant for remaining information and inform him of the situation.

(e) Request for 'information' may be made for such 'information' which is defined as 'information' under clause (f) of section (2) of the Act and is under the custody and control of the Public Authority. On requests for information other than defined in the Act, the Public Information Officer shall inform the applicant that the 'information is not held'.

(f) In case the 'information' requested in application not being clearly identified within a week after receiving the application, the Public Information officer shall inform the applicant for clearly identifying the required information by letter or by inspecting the disclosable 'information' of the Public Authority. After the applicant has inspected and identified the information and on informing the Public Information Officer, the 'information' shall be provided to the applicant as per procedure within the prescribed period.

(g) In case of non acceptance of request for providing information the Public Information Officer shall inform the applicant the reason for non acceptance of his request mentioning

the relevant provisions of the Act and the Rules. The Public Information Officer shall inform the applicant the time limit for filing appeal against non admittance of the request and also details of the designation and address of first appeal officer.

(h) The information required by the applicant shall be provided in the same form in which it has been asked unless the resources of Public Authority are disproportionately diverted in providing the information or is detrimental to the safety or preservation of records of the required information. After getting inspected the information by the applicant the information shall be provided to the applicant by the Public Information Officer in the form in which providing information the resources of the Public Authority are not disproportionately deviated.

Fees for information:

6. (a) For information under sub- section (1) of section 6 of the Act, payment of Rs.10.00 as application fee along with application may be made under receipt in cash or through demand draft, banker's cheque, Indian postal order, treasury challan, non judicial stamp paper in favour of Public Information Officer or Assistant Public Information Officer of Public Authority;

(b) For additional fee as cost of information under sub-section (3) of section 7 of the Act, the payment may be made under receipt in cash or through demand draft, banker's cheque, Indian Postal Order, Treasury challan, non judicial stamp paper in favour of Public Information officer of Public Authority at following rates; namely-

Provided that no fees shall be payable by the persons living below poverty line.

(i) Rs.2.00 (Rs. Two only) for A-3 or A-4 size page (Photo copy or ready information) and actual cost for a size bigger than this.

(ii) For first hour of inspection of records no charges shall be payable. Thereafter Rs. 5.00 (Rs. Five only) for an hour or part thereof shall be payable as fee.

(iii) Fees for copies of models and samples is to be paid as per actual cost.

(c) For providing information in printed or electronic form under sub- section (5) of section 7 of the Act, fees shall be payable under receipt in cash or through demand draft, banker's cheque, Indian Postal Order, Treasury challan or non judicial stamp paper in favour of Public Information Officer of the Public Authority at the following rates, namely:-

(i) Rs. 20.00 (Rs. Twenty only) per CD/DVD for information on CD/DVD, and

(ii) In case of a printed publication, its prescribed price or Rs. 2.00 (Rs. Two only) per page for photocopy of extracts of such publication.

(d) For request of information from persons belonging to B.P.L. category the provision of fees shall be as under:-

(i) In case the required information concerns persons of B.PL. category or his own family the information shall be provided free of cost.

(ii) In case the required information concerns a person other than B.P.L category person or member of his family and the information can be provided in 50 photocopy pages (A-4 size) or not costing more than Rs. 100/- (Rs. One hundred only), theinformation so required shall be provided free of cost. In case the requested information exceeds this limit, the BPL category person may be permitted to inspect the records and take notes or obtain photocopies at his own expense.

Provided that persons living below poverty line shall have to enclose, along with the application, a copy of B.P.L card attested by the applicant himself.

Obligations of State Public Information Officer:

7. (a) The applicant, as far as possible, shall be informed about the additional fees mentioned in clause (b) and (c) of rules (5) within a week from the date of receipt of application.

(b) Third party information shall be provided to the applicant as per the procedure prescribed in section 11 of the Act.

(c) The information mentioned under section 8(1) of the Act, which is exempted from disclosure, shall not be provided on request of the applicant by the Public Information Officer.

Provided that in in the larger public interest the Public Authority may allow access to the information exempted from disclosure under section 8(2) of the Act.

(d) Personal information under section 8(1) (j) of the Act not related to public activities or public interest or the disclosure of which amounts to undesirable invasion of privacy of any person, shall not be disclosed, except when the Public Information Officer or the Appeal Officer is satisfied that in the larger public interest the disclosure of such information is justified.

First appeal before the Departmental Appeal Officer

8. (a) While preferring an appeal against Public Information Officer's disposal order under section 19 of the Act, the applicant shall have to enclose a copy of request letter and the letter

of disposal of request letter by Public Information Officer. The grounds of appeal shall be clearly mentioned in the Appeal.

(b) In case of disclosure of third party information, order of Public Information Officer, information required from the third party and thestatement made by the third party shall be enclosed with the appeal preferred against the order of the Public Information Officer. The grounds of Appeal shall be clearly mentioned in the Appeal.

(c) The views of the Public Information Officer, if required, shall be taken by the First Appeal Officer on the Appeal filed by the applicant. The appellant may be directed to present himself, if so required, for the proper disposal of Appeal.

(d) The First Appeal Officer shall dispose off the first Appeal, as far as possible, within the period mentioned in the Act. Where the Appeal is not dispose off within the prescribed period of thirty days, the First Appeal Officer may dispose off the First Appeal within a period not more than 45 days. The reasons for extending the time limit shall be recorded. A copy of the order of disposal of Appeal shall be provided to the appellant and to the Public Information Officer free of charge.

(e) The First Appeal Officer, while hearing the Appeal, shall inquire whether the Public Information Officer has refused the disclosure of personal information as per provisions of section 8(1)(j) of the Act. The Public Information Officer has not refused disclosure such personal information which is related to public activities and interest or which does not unnecessarily violate the privacy of the person or the disclosure of which is justified in the larger public interest.

(f) While considering the appeal the First Appeal Officer shall satisfy himself whether 'information' sought by the applicant can be disclosed or not, the disclosable information has been provided to the applicant within prescribed time or not, the information, the disclosure of which has been refused by the Public Information Officer is exempted under section 8 of the Act or not, whether the disclosure of the information requested for is found proper in the larger public interest, by the Public Authority under Section 8(2) of the Act. The 'information' the disclosure of which is not exempted under Section 8 and satisfaction has been made that under the provisions of Section 8(1)(j) and Section 8(2) of the Act that in larger public interest the disclosure of requested information is necessary and the 'Information' has not been released to the appellant, the Public Information Officer on the direction of the Appeal Officer shall make available the said information to the applicant within a week after taking the prescribed fees.

(g) On disclosure of the fact that the information sought by the applicant was not provided to the applicant for not being clearly identified the first Appeal Officer shall direct the applicant to clearly identify the required information in writing or after inspecting the concerned records of the Public Authority after paying the prescribed fee. The First Public

Authority shall order to provide the information identified by the applicant after receiving the prescribed fees from the applicant.

(h) The first Appeal Officer shall record his comments on the points indicated in the above mentioned sub-rules in the decision on the Appeal and shall direct the Public Information Officer to disclose the information which is not exempted from the disclosure.

Second Appeal in Information Commission

9. (a) While preferring second appeal under section 19 of the Act before State Information Commission the appellant shall enclose copies of applicant's request letter, letter of disposal of request letter of Public Information Officer, order of disposal by First Appeal Officer along with applicant's second appeal. It is necessary to mention clearly the grounds of second appeal.

   (b) On filing second appeal by the appellant the Commission shall adopt the following procedure:

      (i) In the second appeal, the concerned Public Information Officer and Departmental Appeal Officer as, required, shall be made respondents. Any other officer/authority shall not be made respondent in the second appeal.

      (ii) On the grounds mentioned by the appellant in his second appeal the Public Information Officer and first Appeal Officer shall be given opportunity to submit their replies in writing.

      (iii) In Second Appeal the Commission shall inquire whether the 'information' requested by the applicant has been provided to him as per provisions of the Act or not. The Commission in the Second Appeal shall also inquire whether the First Appeal Officer, as per provisions of the Act, directed the Public Information Officer to release information to the applicant or not, the Public Information Officer released the 'information'within the prescribed time limit or not, whether any harm was caused to the applicant due to non disclosure of disclosable information, if so, what is the evaluation of the harm caused to the appellant. After making necessary inquiry on the above mentioned points, 'the Commission will pass orders on the Second Appeal.

      (iv) The State Information Commission, while deciding an appeal may: --

         (A) receive oral or written evidence on oath or on affidavit
         from concerned or interested persons; (B) peruse or inspect documents, public records or copies
         thereof;
         (C) inquire through authorized officer further details or facts; and

(D) receive evidence on affidavits from the Public Information Officer, Assistant Public Information Officer, First Appellate Authority and any such other person against whom the appeal lies or the third party..

(v) In the Second Appeal only the matter of disclosure of requested information within the prescribed time shall be considered. In the Second Appeal, as per clause (iii) above the State Information Commission shall inquire into the subject, in question, of the Second Appeal. No other Authority shall be directed to inquire into any other issue during the disposal of the Second Appeal, in question.

(vi) In the Second Appeal the Public Information Officer shall be given an opportunity to submit his case on the Second Appeal. No interim order shall be passed by the Commission thereafter for taking action on any subject other than included in the Second Appeal. The Second Appeal shall be disposed off, as far as possible, within 90 days and latest within 120 days.

(vii) In the order of Second Appeal the Information Commission may, if required, direct with regard to disclosure of information or access to information as provided in section 19 (8) of the Act.

(viii) While disposing off the Second Appeal the Public Information Officer and First Departmental Appeal Officer or any other Officer shall not be directed to be present during thehearing. In cases wherein the Commission feels necessary it shall direct the Public Information Officer to be present during the Second Appeal, the reasons of which shall be recorded in writing...

(ix) In the cases of Second Appeal in which the Commission considers it proper to know through video conference, the case of Public Information Officer or other Officer and their presence is required, it may do so. The facility of video conferencing of the State Government shall be provided to the Commission by the State Government for hearing Second Appeal or complaint.

(x) On being satisfied during Second Appeal that it is necessary to impose penalty upon Public Information Officer under section 20 of the Act, the Public Information Officer after serving a show cause notice to him shall be given an opportunity to explain the reasons. After the Public Information Officer has submitted his case or on the expiry of prescribed limit, the Commission shall impose penalty against the Public Information Officer as per section 20 of the Act. The action of imposing penalty against the Public Information Officer shall be initiated along with the disposal order of the Second Appeal. The disposal of Second Appeal shall not be kept pending for initiating the process of imposing penalty.

(xi) While inquiring into an appeal the Commission may recommend disciplinary action against a Public Information Officer who persistently violates the provisions of the Act. Prior to issuing such recommendation, the Commission shall issue show

cause notice to the Public Information Officer. Thereafter properly hearing the Public Information Officer against the show cause notice, the Commission shall issue appropriate recommendations to the public authority that appointed such Public Information Officer.

(c) (i) While preferring appeal in the Commission against the order of Public Information Officer in the matter of disclosure of information regarding third party, the order of Public Information Officer, information sought from the third party andstatement submitted by the third party shall be enclosed along with the appeal. The grounds of appeal shall clearly be stated in the appeal.

(ii) The Commission shall give opportunity to the third party to present its case in the appeal proffered as per above sub-clause (one)

(iii) For disposal of appeal the Public Information Officer and the third party shall be given opportunity to present their case in writing.

(d) The Commission shall send first notice to the concerned person by registered post/speed post thereafter subsequent notice to concerned person shall be served in the following way:-
''

(i) through the party itself;
(ii) through the server by hand;
(iii) by ordinary post, or
(iv) through Head of Office or Head of the Department.
(v) by E-mail through internet or by SMS.
(vi) by registered post with acknowledgement due or speed post.

Provided further that the delivery may be made by fifth mode only in case it is not possible by other five means as per clause (vi).

(e) Following procedure shall be adopted by the Commission for hearing the appellant or the parties:-

(i) The appellant or the respondent, as the case may be, may take assistance of any person for the purpose of presenting his case in the process of Appeal.

(ii) The orders of the Commission shall be delivered in open and shall be authenticated in writing by the officer or secretary authorized in this behalf.

(iii) After the order of the Commission is passed it will be uploaded by the Commission on its website as early as possible.

Procedure for action by the Commission under Section (18) of the Act

10. (a) The Commission shall enquire into the complaint filed for reasons mentioned in clause (a) to (f) of section 18 (1) of the Act.

(b) The complainant shall clearly indicate in his complaint the ground or grounds under which clause (a) to (f) of sub section (1) of section (18), the complaint has been lodged.

(c) The copy of complaint shall be sent to the Fublic Information Officer or Principal Public Authority, as the case may be, and they will be given an opportunity to present their case in writing, on the complaint.

(d) The Commission may, as may be required, take evidence of all such persons whom he considers necessary for the inquiry of the complaint and call and inspect such records which are necessary for enquiring into the complaint.

(e) The Commission may, inquire into the complaint and impose penalty to punish the Public Information Officer who contravenes the provisions of the Act, as per Section 20 of the Act. Prior to imposing penalty, the Commission shall issue show cause notice to the Public Information Officer. Thereafter after properly hearing the Public Information Officer against the show cause notice the Commission shall pass appropriate orders.

(f) While inquiring into a complaint the Commission may recommend disciplinary action against a Public Information Officer who persistently violates the provisions of the Act. Prior to issuing such recommendation, the Commission shall issue show cause notice to the Public Information Officer. Thereafter properly hearing the Public Information Officer against the show cause notice, the Commission shall issue appropriate recommendations to the public authority that appointed such Public Information Officer.

Recovery of Compensation and Penalty imposed by the Commission:

11. (a) The penalty imposed on Public Information Officer or compensation imposed on Public Authority may be recovered onexpiry of three months period from the date of order passed in second appeal or complaint, as the case may be.

(b) The Commission may pass orders to recover the imposed penalty in not more than three instalments on imposition of a penalty on Public Information Officer by the Commission, a copy of such order shall be provided to Public Authority of Public Information Officer for the purpose of recovery of the penalty who will on receipt of the order will send acknowledgement of the same to the Commission with the intention that the penalty has been noted for the purpose of recovery.

(c) Upon Passing an order against a Public Authority for award of compensation to an appellant or complainant by the Commission, a copy of such order shall be provided by the Commission itself to the Public Authority for the purpose of recovery who will send acknowledgement of the same to the Commission indicating that the compensation amount has been noted for payment to the appellant or complainant and for recovery of the same amount from such concerned officers as the Public Authority may deem fit.

(d) After receiving the order from the Commission under clause (b) and (c) and forwarding the acknowledgement of the same to the Commission by the Public Authority, the responsibility of recovering the penalty or compensation shall be of the Public Authority under clause (a).

(e) For the purpose of recovery of penalty or compensation it shall be sufficient to provide the concerned Public Authority a copy of penalty order or compensation order. The Head of Public Authority shall recover the amount of penalty or compensation after three months but within a period not more than six months. On recovery of the said amount the Head of Public Authority shall inform the Commission about the details of recovery of the amount. The said information shall be kept in the file concerning the Second Appeal by the Commission.

(f) Recovery of penalty or compensation by the Public Authority, depositing it with exchequer or payment to the applicant, as the case may be, shall be done in a manner as prescribed from time to time by the State Government

Power to remove difficulties:

12. If any difficulty arises in effective implementation of these rules the State Government may pass such orders as may be necessary and expedient to remove such difficulties.

Repeal and Savings

13. (a) The Uttarakhand Right to Information Rules, 2012 are hereby repealed.

(b) Notwithstanding the Uttarakhand Right to Information Rules, 2012 being repealed, any act done or document issued under the said rules, unless not inconsistent with these rules, shall be deemed to be done on issued under these rules.

By Order,
SURENDRA SINGH RAWAT,
Secretary.

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
की वेबसाइट पर उपलब्ध
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार,
उत्तराखण्ड शासन और
उत्तराखण्ड सूचना आयोग
के द्वारा जारी
महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों
की सूची

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के द्वारा जारी महत्वपूर्ण दिशा–निर्देशों की सूची

SR	Number	Date	Subject	View / Download
1	1/4/2022-IR II	31-10-2022	आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अनुरूप अभिलेखों का रखरखाव और सूचना का प्रकाशन - समेकित निर्देश।	View
2	1/34/2013-IR (Pt.)	20-09-2022	मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक प्राधिकरण के संबंध में किसी भी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत तीसरे पक्ष द्वारा ऑडिट केसंबंध में।	View
3	No. 1/6/2011-IR	14-09-2022	आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत स्वप्रेरणा (suo-motu) प्रकटीकरण के कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश - अनुपालन के संबंध में।	View
4	10/12021-IRII	07-09-2021	आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अंतर्गत स्वप्रेरणा प्रकटीकरणों का तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा- स्पष्टीकरण	View
5	1/6/2011-IR	07-11-2019	आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत स्वप्रेरणा प्रकटीकरण के संबंध में दिशानिर्देश	View
6	1/34/2013-IR(pt.)	15-10-2019	किसी भी राजकीय प्रशिक्षण संस्थान से तृतीय पक्ष ऑडिट कराये जाने के सम्बन्ध में।	View
7	1/1/2013-IR (pt.)	20-06-2017	आधार अधिनियम, 2016 तथा सूचना तकनीकी अधिनियम, 2000 के अनुपालन में सूचना का अधिकार आवेदनों/अपीलों में आधार संख्या सहित व्यक्तिगत सूचना को सुरक्षित करना	View
8	1/1/2013-IR	07-10-2016	मंत्रालयों/विभागो की संबन्धित वेबसाइटो पर आरटीआई के उत्तरो को अपलोड करने के संबंध मे	View
9	1/1/2013-IR	23-03-2016	विषय-मंत्रालयों/विभागो की संबन्धित वेबसाइटो पर आरटीआई के उत्तरो को अपलोड करने के संबंध मे	View
10	10/1/2013-IR	06-10-2015	आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत आवेदकों को सूचना देने का प्रारूप -संबंधी दिशा-निर्देश जारी करना।	View
11	NA	29-06-2015	आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अंतर्गत स्वप्रेरणा प्रकटीकरण का कार्यान्वयन।	View

12	10/1/2013-IR	17-03-2015	आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदकों को सूचना देने के लिए प्रारूप, जिसके संबंध में जनता से टिप्पणियां मांगी जाती हैं।	View
13	1/32/2013-IR	17-02-2015	सूचना की आपूर्ति और प्रथम अपील के निपटान के लिए क्रमशः पीआईओ/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के लिए दिशानिर्देश - नियमों की पुनरावृत्ति	View
14	1/3/2014-IR	14-01-2015	आरटीआई शुल्क/लागत के रूप में डाक टिकटों की शुरूआत - इस संबंध में जनता से टिप्पणियां मांगी गईं	View
15	1/1/2013-IR	21-10-2014	मंत्रालय/विभाग की संबंधित वेबसाइट पर आरटीआई उत्तरों को अपलोड करना।	View
16	O 1/6/2011-IR	22-09-2014	आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत स्वप्रेरणा (suo-motu) प्रकटीकरण के कार्यान्वयन पर दिशा निर्देश-अनुपालन।	View
17	No. 1/12/2010-IR	07-07-2014	लोक प्राधिकरण में सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ के गठन हेतु वित्तीय सहयोग	View
18	No. 1/31/2013-IR	08-01-2014	आरटीआई आवेदनों के व्यक्तिगत विवरण के संबंध में श्री अविषेक गोयल का बनाम भारत संघ के मामले में रिट याचिका संख्या 33290/2013 में कोलकाता उच्च न्यायालय का 20.11.2013 का आदेश।	View
19	No. 1/6/2011-IR	10-12-2013	आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत स्वप्रेरणा (suo-motu) प्रकटीकरण के कार्यान्वयन पर दिशा निर्देश-अनुपालन।	View
20	No. 1/32/2013-IR	28-11-2013	मार्ग निर्देशिका, सुचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार अद्यतन विवरण	View
21	No. 1/6/2011-IR	21-11-2013	Guidelines for suo motu disclosure by state govt.	View
22	No. 11/2/2013-IR (Pt.)	14-08-2013	आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत व्यक्तिगत जानकारी का प्रकटीकरण।	View
23	No.G-14019/2/Cash/11	22-03-2013	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर अधिकारियों के आधिकारिक दौरों का स्वप्रेरित प्रकटीकरण।	View
24	No. 12/31/2013-IR	11-02-2013	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन अतिरिक्त शुल्क अदायगी के विषय में समय पर सूचित करना	View

25	No. 1/8/2012-IR	11-09-2012	मंत्रियों एवं अन्य अधिकारियों के सरकारी दौरों के बारे में स्वप्रेरणा से खुलासा।	View
26	No.1/18/2011-IR	16-09-2011	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य बनाम आदित्य बन्धोपाध्याय और अन्य के मामले में एस. एल. पी. (सी) संख्या 7526/2009 से उद्भूत ,सिविल अपील संख्या 6454/2011 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पर माननीय उच्चतम न्ययालय का अनुपालन	View
27	No. 1/7/2009-IR	20-05-2011	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना के संबंध में डॉ.सेल्सा पिंटो बनाम गोवा राज्य सूचना आयोग के मामले में रिट याचिका संख्या 419/2007 में बॉम्बे गोवा उच्च न्यायालय का दिनांक 03.04.2008 का निर्णय।	View
28	No. F. 10/2/2008-IR	24-09-2010	अन्य लोक प्राधिकारियों से संबंधित सूचना के संबंध में किसी लोक प्राधिकारी को प्राप्त होने वाला सूचना का आवेदन	View
29	No. 12/9/2009-IR	24-05-2010	सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अंतर्गत शुल्क का भुगतान-अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (3) का कार्यक्षेत्र	View
30	No. 8/2/2010-IR	27-04-2010	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत तीसरे पक्ष की सूचना का प्रकटन	View
31	No. 1/4/2009-IR	05-10-2009	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पर मार्गदर्शिका।	View
32	No.1/20/2009-IR	23-06-2009	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तंगर्त फाइल नोटिंग के प्रकटन संबंधी स्परष्टीकरण	View
33	No. 1/7/2009-IR	01-06-2009	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना के संबंध में डॉसेलसा पिंटो बनाम गोवा राज्यो आयोग के मामले में 2007 वर्ष की रिट याचिका संख्या 419 में गोवा स्थित बॉम्बे उच्च न्यायलय का दिनांक 3.4.2008 का निर्णय	View
34	No. 10/2/2008-IR	01-06-2009	लोक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सूचना का अधिकार आवेदन, जिनमें किसी अन्य लोक प्राधिकरण/ऐसे प्राधिकरणों से सम्बंधित सूचना है	View
35	No. 1/1/2009-IR	22-05-2009	राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) द्वारा बेंच के गठन पर स्पष्टीकरण।	View

36	No. 1/14/2008-IR	28-07-2008	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 की उप-धारा (4) और (5) के स्पष्टीकरण के संबंध में	View
37	No.11/2/2008-IR	10-07-2008	सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अंतगर्त सूचना के स्वरुप के संबंध में स्पष्टीकरण जिसमें सूचना प्रदान की जानी है	View
38	No. 4/9/2008-IR	24-06-2008	सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अंतर्गत सूचना मांगने वाले व्यक्तिओ के साथ भद्रता का व्यवहार	View
39	1/12/2008-IR	23-06-2008	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभाबी कार्यान्वयन के लिए पहल किये जाने के संबंध	View
40	No. 10/2/2008-IR	12-06-2008	सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकरण द्वारा प्राप्तऐसे आवेदन जिनमे किसी अन्य लोक प्राधिकरण/प्राधिकरणों से संबद्व सूचना मांगी गयी हो	View
41	No. 13/10/2007-IR	29-04-2008	2007 की विशेष सिविल आवेदन संख्या 23305 - अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य	View
42	No. 1/4/2008-IR	25-04-2008	सूचना का अधिकार अधिनियम ,2005 के अंतर्गत लोक प्राधिकरणों के लिए दिशा-निर्देश	View
43	No. 11/12/2008-IR	22-04-2008	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन पत्रों का स्थानांतरण	View
44	No. 1/18/2007-IR	27-03-2008	सुचना का अधिकार अधिनियम, २००५ के अंतर्गत रिकॉर्ड का रख - रखाव और सुचना का प्रकाशन	View
45	No. 1/69/2007-IR	27-02-2008	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश	View
46	No. 1/32/2007-IR	14-11-2007	आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन प्राप्त करने के बिंदु और अपीलीय प्राधिकारियों की नियुक्ति	View
47	No. 1/24/2007-IR	14-11-2007	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट संगठनों में सीपीआईओ का पदनाम।	View
48	1/8/2007_IR	08-11-2007	सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अंतर्गत सूचना मांगने वालो के लिए दिशा निर्देश	View
49	No. 1/14/2007-IR	31-10-2007	20 वर्ष पूर्व घटित घटना/घटना/मामले से संबंधित सूचना का प्रकटीकरण	View

50	1/18/2007-आई.आर.	21-09-2007	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत रिकॉर्ड का रख-रखाव और सूचना का प्रकाशन।	View
51	10/20/2006 आई.आर.	21-09-2007	सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों केसंबंध में	View
52	17014/1/2007-Trg(RTI)	13-07-2007	सूचना के अधिकार पर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रथम रिपोर्ट की अनुशंसा - की गई कार्रवाई रिपोर्ट	View

सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा जारी महत्वपूर्ण दिशा–निर्देशों की सूची

SR	Number	Date	Subject	View / Download
1	345/XXXI(15)G/2025, 49(सा0)/2020	25-02-2025	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(ख) के तहत प्रदर्शित की गयी सूचनाओं और उनके मैनुअल का तृतीय पक्ष ऑडिट कराये जाने के संबंध में	View
2	1662/XXXI(15)G/23-49(सा0)/2020	03-11-2023	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारियों के द्वारा अभिलेखों के स्वःप्रकटीकरण एवं विभागीय वेबसाइट पर मैनुअल को अद्यावधिक किये जाने के संबंध में	View
3	704/XXXI(15)G2023/06(सा)/2022	04-05-2023	जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित प्रथम अपील का निस्तरण यथाशीघ्र किये जाने के सम्बन्ध में।	View
4	1239/XXXI(15)G/22-06(सा)/2016	25-10-2022	सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किये जाने वाले पत्राचार में ई-मेल और मो0न0 का उल्लेख किये जाने विषयक	View
5	582/xxxi(15)G/22-49(सा0)/2020	17-05-2022	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत विभागीय मैनुअलों को प्रति वर्ष 30 जून तक प्रत्येक दशा में अद्यतन किये जाने हेतु।	View
6	566/XXXI(15)G/22-85(सू0आ0)/2021	12-05-2022	लोक सूचना अधिकारी नामित किए जाने के संबंध में	View
7	73/XXXI(15)G/17-51(सा0)/2018	29-01-2018	सूचना के अधिकार के अंतर्गत पत्रावलियों के विनिर्दान के संबंध में	View
8	103/XXXI(15)G/18-85(सू0आ0)/2012	23-01-2018	नए सिरे से लोक सूचना अधिकारी नामित किए जाने के संबंध में	View
9	828/XXXI(15)G/17-85(सू0आ0)/2012	14-09-2017	नए सिरे से लोक सूचना अधिकारी नामित किए जाने के संबंध में	View
10	352/XXXI(15)G/17-85(रा0सू0आ0)/2012	10-03-2016	धारा 4(1)(ख) के तहत मैनुअल के प्रकाशन के संबंध में	View
11	232/XXXI(15)2016G-07(रा0सू0आ0)/2012	17-02-2016	विभागों में सूचना के स्वःप्रकटन के संबंध में	View
12	1204/03(04)/2013	14-07-2014	सूचना कार्यकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान किए जाने के संबंध में	View
13	2895/XXXI(13) G-69(सू0अधि0)/2013	26-09-2013	विभागों में महत्वपूर्ण सूचना के स्वःप्रकटन के संबंध में	View
14	351/XXXI(13)G/2012-108(सा0)/2012	31-12-2012	आवेदित सूचना स्पष्ट रूप से चिह्नित न होने के संबंध में	View

15	352/XXXI(13)G/2012-108(सा0)/2012	31-12-2012	अन्य कार्यालयों की सूचना मंगा कर देने के संबंध में	View
16	2925/XXXI(13) G-57(सू0आ0)/2012	28-08-2012	लोक सेवकों की संपत्ति विवरण मांगे जाने के संबंध में	View
17	2870/XXXI(13)G-2012-61(सू0आ0)/2012	24-08-2012	सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन के संबंध में	View
18	2501/XXXI(13) G-37(सू0आ0)/2012	23-07-2012	सहायक लोक सूचना अधिकारियों के दायित्वों के संबंध में	View
19	1427/XXXI(13)G-2012-37(सू0आ0)/2012	13-06-2012	प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा प्रथम अपील के निस्तारण के संबंध	View
20	1895/XXXI(13)G-2012-61(सू0आ0)/2012	08-06-2012	मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा "सूचना" को स्पष्ट किए जाने के संबंधमें	View
21	1802/XXXI(13)G-2012-61(सू0आ0)/2012	08-06-2012	आरटीआई के अंतर्गत वार्षिक चरित्र प्रविष्टियों को प्रदान किए जाने संबंध	View
22	335/XXXI(13)G/2011	13-05-2011	सूचना मांगने वाले व्यक्तियों के साथ भद्रता का व्यवहार	View
23	256/XXXI(13)G/2009-18(1)2010	05-05-2010	सूचना के अधिकार के तहत अपील के निस्तारण के संबधं में	View
24	300/XXXI(13)G/2010	14-04-2010	"ऐसी संस्थाएं जो लोक प्राधिकारी नहीं है" से सूचना मांगने के संबंध में	View
25	188/XXXI(13)G/2010	03-03-2010	विभागीय अपीलीय अधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार के अंतर्गत निर्धारित पंजिकाओं के रख-रखाव से संबंधित	View
26	544/XXXI(13)G/09	30-07-2009	आरटीआई के संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय से प्राप्त दिशा-निर्देशों के परिचालन के संबंध में	View
27	251/XXXI(13)G/09	20-04-2009	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन के संदर्भ में दिशा-निर्देश	View
28	890/04/सू0अ0प्र0/XXXI(13)G/2007	29-01-2008	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट को प्रकटन करने के संबंध में	View
29	171/सू0अ0/XXXI(13)G/2007	28-09-2007	सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना के अनुरोधों के प्रबंधन के लिए विकसित कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली के संबंध में	View
30	469/XXXI(13)G/07-54(9)/2006	25-07-2007	प्रदेश के कार्यरत कर्मचारी के मेज पर उसके नाम व पद की पट्टिका के संबंध में	View
31	30/XXXV(13)G/07-सू0/06/52(49)/06	15-02-2007	वित्त पोषित गैर सरकारी संगठनों के विवरण के संबंध में	View
32	2463/56-वा.प्र./उ0सू0आ0/ 2006	14-09-2006	उत्तराखण्ड सूचना आयोग का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन	View

33	D.O. 3412/4/(s)/2005-Estt (B)	01-04-2006	The Right to Information Bill realted D.O. 3412/4/(s)/2005-Estt (B)	View
34	161/सू0/xxxi(13)G/2006	31-03-2006	सूचना के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण व वार्षिक रिपोर्ट के सम्बन्ध में।	View
35	146/सु0/XXXI(3)G-/2006	22-03-2006	सूचना के अनुरोधों पर समुचित कार्यवाही हेतु प्रक्रिया सम्बन्धी दिशा निर्देश।	View
36	994/XXXI(13)G/2005	04-01-2006	सरकारी कार्यालयों का मध्याह्न भोजन समय	View
37	76/XXVII(7)/2005	26-12-2005	प्रदेश के सभी लोक सूचना अधिकारियों को संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारियों के शुल्क प्राप्त कर रसीद हेतु दिशा निर्देश।	View
38	305/XXII/2005 - 9(33)2005	13-12-2005	राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम, 2005	View
39	1987/xxii/सूचना का अधिकार/2005	26-10-2005	विभागों में नामित लोक सूचना अधिकारियों की सूची के संबंध में	View
40	1958/स.वि.शि. एवं सूचना /2005	24-10-2005	धारा4 (1)(ख) के तहत तैयार मैनुअल को भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के संबंध में	View
41	237/मुख्य सचिव/2005	15-09-2005	सूचना विभाग द्वारा विकसित Practical Guide Manual के संबंध में	View
42	236/स0वि0शि0 एवं सूचना/2005	10-09-2005	सूचना के अधिकर अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन की प्रगति समीक्षा के संबंध में	View
43	757/मु.स/सूचना/2005	08-09-2005	सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने के संबंध में	View
44	191/XXII/2005	08-09-2005	सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत एक दिवसीय कार्यशाला के संबंध में	View
45	221/स0वि0शि0 एवं सू0/2005	29-08-2005	सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत तैयारी की प्रगति	View
46	संख्या 187/XXII/2005	06-08-2005	सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जनसामान्य तक पहुँच के संबंध में	View
47	187/XXII/2005	06-08-2005	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन हेतु उत्तरांचल प्रशासन अकादमी, नैनीताल द्वारा 100 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिये जाने का कार्यक्रम	View
48	177/XXII/2005	29-07-2005	सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन हेतु तैयारी के संबंध में निर्देश।	View
49	Annexure 4	01-07-2005	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की प्रगति के संबंध में बैठक	View

50	129/मुख्य सचिव/2005	27-06-2005	सूचना के अधिकार विधेयक 2005 के संबंध में	View
51	Annexure 2	06-06-2005	सूचना के अधिकार विधेयक 2005 के संबंध में आयोजित बैठक	View
52	152/XXII/2005	14-05-2005	16 मैनुअल को तैयार करने हेतु TATA CONSULTANCY SERVICE से सहयोग लिये जाने विषयक	View
53	2102/तीन-90-55जी/1958-सा0 प्र0 अनु0	25-07-1990	सरकारी कार्यालयों का मध्याह्न भोजन समय	View

उत्तराखण्ड सूचना आयोग के द्वारा जारी महत्वपूर्ण दिशा–निर्देशों की सूची

SR	Number	Date	Subject	View / Download
1	10256/उ0सू0आ0/2025-26	27-08-2025	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(1) के अधीन राजपत्रित अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी नामित किये जाने विषयक	View
2	10253/उ0सू0आ0/2025-26	27-08-2025	लोक प्राधिकरण के अधीनस्थ कार्यालयों में सी0सी0टी0वी0 फुटेज के संरक्षण के सम्बन्ध में	View
3	738/स्था0/उ0सू0आ0/2025-26	06-06-2025	लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों के द्वारा सूचना अनुरोध पत्रों एवं प्रथम अपीलों के निस्तारण पत्रों में अपने नाम, पदनाम आदि का विवरण दिये जाने विषयक।	View
4	574/उ0सू0आ0/203/2025-26	21-05-2025	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किये जाने वाले पत्राचारों में ई-मेल आई0डी0 और मो0न0 का उल्लेख किये जाने के संबंध में	View
5	7174/उ0सू0आ0/2024-25	25-11-2024	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निजी शैक्षिक संस्थाओं की सूचना मांगे जाने के संबंध में जारी कार्यालय ज्ञाप के सम्बन्ध में।	View
6	6887/स्था0/उ0सू0आ0/2024-25	13-11-2024	सूचना के अधिकार की धारा 4(1)(ख) के तहत विभागीय मैनुअलों को प्रतिवर्ष अयतन किए जाने से संबंधित	View
7	9862/स्था0/उ0सू0आ0/2023-24	22-12-2023	मा. उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 17.08.2023 के संबंध में	View
8	6765/स्था0/उ0सू0आ0/2023-24	20-09-2023	सूचना का अनुरोध पत्र और प्रथम अपील के निस्तारण के संबंध में	View
9	4388/स्था0/उ0सू0आ0/2023-24	26-07-2023	प्रथम अपील की सुनवाई दूरभाष पर किये जाने के सम्बन्ध में।	View
10	1110/स्था0/उ0सू0आ0/2023-24	04-05-2023	सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किये जाने वाले समस्त पत्राचार मेंलोक सूचना अधिकारी और विभागीय अपीलीय अधिकारी अपने मो0न0 और ई-मेल का अवश्य उल्लेख करें।	View
11	11137/उ0सू0आ0/2022-23	15-02-2023	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) के तहत जीवन और स्वतन्त्रता से संबंधित प्रथम अपील का निस्तारण के संबंध में।	View
12	1547/स्था0/उ0सू0आ0/2022-23	27-05-2022	प्रथम अपील के निस्तारण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश	View

13	8388/उ0सू0आ0/2021-22	11-03-2022	जिन कार्यालयों में राजपत्रित अधिकारी कार्यरत हैं वहॉ राजपत्रित अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित किये जाने के सम्बन्ध में।	View
14	1632/स्था0/उ0सू0आ0/2015-16	23-10-2016	अधिनियम के तहत सूचना दिए जाने/प्रथम अपील के निस्तारण से संबंधित पत्र आयोग को संदर्भित न किये जाने के संदर्भ में	View
15	231/xxxi(15)2016G-07(रा0सू0आ0)/2015	17-02-2016	प्रथम अपीलों के निस्तारण के संबंध में	View
16	152/उ0सू0आ0/2014-15	06-01-2015	अतिरिक्त शुल्क के मांग के विरूद्ध प्रथम अपील की सुनवाई के संबंध	View
17	/स्था0/उ0सू0आ0/2014-15	27-12-2014	अपीलों के निस्तारण पत्रों में लोक सूचना अधिकारियों व प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा विवरण दिए जाने विषयक	View
18	/स्था0/उ0सू0आ0/2014-15	01-07-2014	अतिरिक्त शुल्क के मांग पत्र के संबंध में	View
19	/उ0सू0आ0/2012	01-04-2014	आरटीआई कार्यकर्ताओं की जान-माल की सुरक्षा के संबंध में	View
20	9671/उ0सू0आ0/2013-14	20-08-2013	जून 2013 की दैवीय आपदा के राहत बचाव कार्य से संबंधित सूचना केसंबंध में	View
21	9060/उ0सू0आ0/2013-14	06-08-2013	सूचना का अधिकार नियमावली 2013 के संबंध में पत्राचार	View
22	7009/उ0सू0आ0/2013-14	13-06-2013	सूचना का अधिकार के अंतर्गत प्रारूप के संबंध में	View
23	9725/उ0सू0आ0/2012	11-07-2012	सहायक लोक सूचना अधिकारियों के दायित्वों के संबंध में	View
24	9386/उ0सू0आ0/2012	04-07-2012	सूचना प्रकटन न करने के आधार स्वरूप केन्द्रीय सूचना आयोग के आदेशके संबंध में	View
25	8771/उ0सू0आ0/2012	15-06-2012	सचिवालय में लोक सूचना अधिकारियों के नामित किए जाने विषयक	View
26	8183/उ0सू0आ0/2012	05-06-2012	निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री के प्रमाणित नमूने प्राप्तकरने से संबंधित	View
27	8184/उ0सू0आ0/2012	05-06-2012	सूचना के अधिकार अधिनियम के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रसार के संबंध में	View
28	8414/उ0सू0आ0/2012	05-06-2012	सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के तहत मैनुअल के संबंध में	View
29	8183/उ0सू0आ0/2012	05-06-2012	निर्माण सामग्री से संबंधित	View
30	5600/उ0सू0आ0/2012	12-04-2012	प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा प्रथम अपील के निस्तारण के संबंध में	View

31	5152/उ0सू0आ0/2012	02-04-2012	सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के तहत मैनुअल के संबंध में	View
32	4574/उ0सू0आ0/2013	23-03-2012	मासिक प्रगति विवरण हेतु नवीन प्रारूप	View
33	/उ0सू0आ0/2012	20-03-2012	आयोग के आदेशों/निर्देशों की अनुपालन आख्या के प्रारूप का निर्धारण	View
34	13159/उ0सू0आ0/2011	20-03-2012	लोक सूचना अधिकारियों द्वारा अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन	View
35	4573/उ0सू0आ0/2012	20-03-2012	लोक प्राधिकारियों को प्राप्त आवेदन पत्रों एवं प्रथम अपीलों की सूचना विषयक	View
36	/उ0सू0आ0/2011	28-11-2011	लोक सूचना अधिकारियों द्वारा अधिनियम के प्राविधानों के अनुपालन के संबंध में	View
37	4343/उ0सू0आ0/2011	24-11-2011	लोक प्राधिकारियों के स्तर से आयोग के पृष्ठांकित अनावश्यक संदर्भ विषयक	View
38	9874/उ0सू0आ0/2011	28-09-2011	लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के स्तर पर धारा 7(3) के अनुपालन के संबंध में	View
39	8185/उ0सू0आ0/2011	25-08-2011	नामित लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों की आधिकारिक सूची के संबंध में	View
40	4708/उ0सू0आ0/2011	31-05-2011	सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन से संबंधित	View
41	4343/उ0सू0आ0/2011	24-05-2011	लोक प्राधिकारियों के स्तर से आयोग को पृष्ठांकित अनावश्यक संदर्भ	View
42	4874/उ0सू0आ0/2011	01-04-2011	ग्राम स्तर पर नामित लोक सूचना अधिकारी व सहायक लोक सूचना अधिकारी के संदर्भ में	View
43	1956/उ0सू0आ0/2011	08-03-2011	लोक प्राधिकारियों को प्राप्त शक्तियों के दुरूपयोग से संबंधित	View
44	9299/उ0सू0आ0/2010	30-10-2010	राजकीय विद्यालयों में सूचना के अधिकार को पाठ्यक्रम में शामिल करने से संबंधित	View
45	4714/उ0सू0आ0/मु0सू0आ0/2007	20-09-2007	वित्त पोषित स्वैच्छिक संगठनों को सूचना के अधिकार 2005 के अंतर्गत चिह्नीकरण किए जाने के संबंध में	View
46	3762/114/उ0सू0आ0/मु0सू0आ0/2007	09-08-2007	द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के निर्देशों के अंतर्गत कार्मिकों के प्रशिक्षण के संबंध में	View
47	/उ.सू.आ./73बी/2007	01-07-2007	धारा 4(1)(ख) के तहत मैनुअल का प्रकाशन व प्रख्यापन के संबंध में	View
48	2691/73बी /उ0सू0आ0/2007	05-06-2007	धारा 4(1)(ख) का अनुपालन न करने के संबंध में	View

49	2389/116बी /उ0सू0आ0/2007	15-05-2007	अभिलेखों प्रबंधन एवं उनके विनिष्टीकरण के संबंध में नियमों का प्रख्यापन	View
50	2272/उ0सू0आ0/2007	10-05-2007	1689 /उ0सू0आ0/2007 के संबंध में	View
51	1885(i)1/56/उ0सू0आ0/मु0सू0आ0/2007	20-04-2007	धारा 4(1)(झ) के अंतर्गत कार्यवाही करने के संबंध में	View
52	1881/76/उ0सू0आ0/2007	19-04-2007	सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 25(5) के अंतर्गत उपाय	View
53	1738/उ0सू0आ0/मु0सू0आ0/2007	13-04-2007	सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में अधिनियम के अंतर्गत मैनुअल तैयार व लोक प्राधिकारी नामित किए जाने विषयक	View
54	1018/56/उ0सू0आ0/2007	05-03-2007	द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखे जाने संबंध	View
55	998/56/उ0सू0आ0/2007	01-03-2007	राज्य सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट भेजने के संबंध में	View
56	999/56/उ0सू0आ0/2007	01-03-2007	सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 26 के संदर्भ में	View
57	555/56/उ0सू0आ0/2005	01-02-2007	सूचना का अधिकार (फीस एवं लागत का विनियमन) नियम, 2005 में संशोधन हेतु	View
58	4287/73B/उ0सू0आ0/मु0सू0आ0/ 2006	15-12-2006	निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री के प्रमाणित नमूने प्राप्त करने से संबंधित	View
59	/उ0सू0आ0/56/ 2006	19-08-2006	उत्तराखण्ड सूचना आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने व आयोग में शोध मूल्यांकन तथा प्रशिक्षण प्रभाग खोले जाने के संबंध में	View
60	Annexure - XLI	01-08-2006	सूचना का अधिकार की धारा 25 के संबंध में	View
61	1689 /उ0सू0आ0/2007	22-07-2006	चयनित लोक प्राधिकारियों द्वारा राज्य में अपने अधीनस्थ लोक प्राधिकारियों के स्तर पर सूचना देने तथा अभिलेखों के रख-रखाव के पर्यवेक्षण	View
62	1416/उ0सू0आ0/56/2006	29-06-2006	शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों की प्रतियां मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय में उपलब्ध कराने के विषयक	View
63	1046/उ0सू0आ0 /56/2006	25-05-2006	673/उ0सू0आ0/ मु0सू0आ0/2006 के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग उत्तराखण्ड शासन को भेजे गए पत्र	View
64	1097/उ0सू0आ0/56/2006	24-05-2006	उत्तराखण्ड सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में	View
65	673/उ0सू0आ0/मु0सू0आ0/2006	18-04-2006	लोक सेवकों की चल अचल संपत्ति के विवरण प्राप्त करने से संबंधित अपीलों के संदर्भ में	View

66	670/उ0सू0आ0/ मु0सू0आ0/2006	18-04-2006	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में	View
67	2056/कैम्प-3/सू0अधि0-05/ नि0को0वि0सें0/2005	04-01-2006	लोक सूचना अधिकारियों को संबंधित आहरण व वितरण अधिकारियों को शुल्क प्राप्त कर रसीद प्राप्त करने हेतु दिशा निर्देश	View
68	147/सू0आ0/ मु0सू0आ0/2005	31-12-2005	धारा 4(1)(ख) के तहत तैयार मैनुअलों का प्रेषण तथा स्वतः प्रकटीकरण की प्रगति (अनुस्मारक)	View
69	146/सू0आ0/ मु0सू0आ0/2005	31-12-2005	उत्तराखण्ड सूचना आयोग की मासिक प्रगति प्रतिवेदन का प्रेषण के संबंध में	View
70	131/सू0आ0/ मु0सू0आ0/2005	28-12-2005	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन के लिए सुझाव	View
71	107/सू0आ0/ मु0सू0आ0/2005	27-12-2005	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन के लिए सुझाव के संबंध में	View
72	119/सू0आ0/ मु0सू0आ0/2005	27-12-2005	शुल्क (पोस्टल ऑर्डर/बैंक ड्राफ्ट) के संबंध में	View
73	85/सू0आ0/ मु0सू0आ0/2005	23-12-2005	धारा 4(1)(ख) के तहत मैनुअल का स्वयं परीक्षण एवं अद्यावधिक करने के संबंध में	View
74	82/सू0आ0/ मु0सू0आ0/2005	22-12-2005	कोषागार प्रपत्र 385 की बहियां पर्याप्त संख्या में लोक सूचना अधिकारी के पास उपलब्ध होने के संबंध में	View
75	81/सू0आ0/ मु0सू0आ0/2005	22-12-2005	निर्धारित शुल्क प्राप्त कर रसीद प्राप्त करने के संबंध में	View
76	74/उ.सू.आ./मु.सू.आ./2005	20-12-2005	सूचना का अधिकार के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन प्राप्ति में व्यावहारिक कठिनाइयों के संबंध में	View
77	75/उ.सू.आ./मु.सू.आ./2005	20-12-2005	तत्कालीन मा. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा आयोग से संबंधित शासन को अनुरोध	View
78	65/सू0आ0/ मु0सू0आ0/2005	06-12-2005	उत्तराखण्ड सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के संबंध में	View
79	21/ मु0सू0आ0/2005	17-11-2005	मा. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा उत्तराखण्ड सूचना आयोग को प्राप्त अपीलों के निस्तारण के संबंध में	View
80	2102/तीन-90-55जी/1958-सा0 प्र0 अनु0	25-07-1990	सरकारी कार्यालयों का मध्याह्न भोजन समय	View

Landmark Cases of Supreme Court of India

S. No.	Case Title	Case No.
1	Union of India & Anr. vs Major Bahadur Singh	Civil Appeal No. 4482 of 2003
2	Dev Dutt vs Union of India & Ors	Civil Appeal No. 7631 of 2002
3	Khanapuram Gandaiah vs Administrative Officers & Ors	SLP (C) No. 34868 of 2009
4	Directorate of Enforcement vs Arun Kumar Agrawal & Ors.	SLP(C) No. 19649 of 2009
5	Union Public Service Commission vs Shiv Shambu & Ors	SLP(C) No. 23250 of 2008
6	P.C Wadhwa vs Central Information Commission & Ors.	SLP(C) No. 9592 of 2010
7	Central Board of Secondary Education & Anr. vs Aditya Bandopadhyay & Ors.	Civil Appeal Nos. 6454 of 2011
8	The Institute of Chartered Accountants of India vs Shaunak H Satya & Ors.	Civil Appeal No. 7571 of 2011
9	Chief Information Commissioner & Another. vs State of Manipur And Another.	Civil Appeal No. 10787-10788 of 2011
10	Namit Sharma vs Union of India	Writ Petition (Civil) No. 210 of 2012
11	Girish Ramchandra Deshpande vs Central Information Commission & Ors.	Special Leave Petition (Civil) No. 27734 of 2012
12	Manohar S/o Manikrao Anchule vs State of Maharashtra & Anr.	Civil Appeal No. 9095 of 2012
13	Bihar Public Service Commission vs Saived Hussain Abbas Rizwi & Anr.	Civil Appeal No. 9052 of 2012
14	Karnataka Information Commission vs State Public Information Officer & Anr.	SLP(C) No. 4876 of 2013
15	R.K Jain vs Union of India & Anm.	Civil Appeal No. 3878 of 2013
16	India & Others. Sukhdev Singh vs Union of	Civil Appeal No. 5892 of 2006
17	Union Public Service Commission vs Gourhari Kamila	Civil Appeal No. 6362 of 2013
18	Thalappalam Ser. Coop Bank Ltd and Others. Vs State of Kerala & Others,	Civil Appeal No. 9017 of 2013
19	Bilaspur Raipur Kshetriya Gramin Bank and Anothers vs Madanlal Tandon	Civil Appeal No. 4467 of 2015

20	Reserve Bank of India vs Jayantilal N. Mistry.	Transferred Case (Civil) No. 91-101 of 2015
21	Kerala Public Service Commission & Ors, vs The State Information Commission & Anr	Civil Appeal No. 823-854 of 2016
22	Nisha Priya Bhatia vs Ajit Seth & Ors.	Civil Appeal No. 4913 of 2016
23	Canara Bank Rep. by its Deputy Gen. Manager vs C.S Shyam & Anr.	Civil Appeal No. 22 of 2009
24	Union Public Service Commission ETC vs. Angesh Kumar & Ors. ETC	Civil Appeal No. 6159-6162 of 2013
25	Common Cause vs High Court of Allahabad	Writ Petition (Civil) No. 194 of 2012
26	Central Public Information Officer Vs. Subhash Chandra Agarwal	Civil Appeal No. 10044 of 2010
27	D.A.V College Trust and Management Society & Ors. Vs. Directorate of Public Instructions & Ors.	Civil Appeal No. 9828 of 2013
28	Yashwant Sinha & Ors. Vs. Central Bureau of Investigation Through Its Director & Anr.	2019 in Writ Petition (Crl.) No. 298 of 2018 Review Petition (Crl.) No. 46 of
29	Aseer Jamal Vs. Union of India & Ors.	Writ Petition (Civil) No. 137 of 2018
30	Ferani Hotels Pvt. Ltd. Vs. The State Information Commissioner, Greater Mumbai & Ors.	Civil Appeal No. 9064-9065 of 2018
31	Institute of Companies Secretaries of India Vs. Paras Jain	Civil Appeal No. 5665 of 2014
32	Chief Information Commissioner Vs. High Court of Gujrat & Anr.	Civil Appeal No. 1966-1967 of 2020
33	Saurav Das Vs. Union of India & Ors.	Writ Petition (Civil) No. 1126 of 2022
34	Advocate Union & Democracy and Social Justice Vs. High Court of Madhya Pradesh	Special Leave Petition (Civil) No. 1034 of 2023
35	Anjali Bhardwaj Vs. CPIO, Supreme Court of India, (RTI Cell)	Special Leave Petition (Civil) No. 21019 of 2022
36	HDFC Bank Pvt. Lts. & Ors. Vs. Union of India & Ors.	Writ Petition (Civil) No. 1159 of 2019
37	T. Takano Vs. Securities and Exchange Board of India	Civil Appeal No. 487-488 of 2022
38	Kishan Chand Jain Vs. Union of India & Ors.	Writ Petition (Civil) No. 990 of 2021
39	Kishan Chand Jain Vs. Union of India & Ors.	Writ Petition (Civil) No. 360 of 2021

उत्तराखण्ड सूचना आयोग का पता व सम्पर्क हेतु दूरभाष, ई-मेल, फोन नम्बर

उत्तराखंड सूचना आयोग, आरटीआई भवन, मसूरी बाईपास रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून **248008,**	**Uttarakhand Information Commission,** **RTI Bhawan, Mussoorie Bypass Ring Road,** **Ladpur, Dehradun 248008,**
Phone 1:	**+91 135 2662021**
Phone 2:	**+91 135 2662180**
Phone 3:	**+91 9410700312**
Email:	**secy-uic@gov.in**
उत्तराखंड सूचना आयोग की **website**	**https//uic.uk.gov.in**
आर0टी0आई0 आॅनलाइन पोर्टल	https//ukonlinerti.gov.in

Court 1- CIC Bench

(मुख्य सूचना आयुक्त)

सुनवायी में भाग लेने के लिए यहां क्लिक करें। / Click here to join the hearing

कोर्ट के स्टाफ का मो**0**न**0** 9410700474

Court - 2

सुनवायी में भाग लेने के लिए यहां क्लिक करें। / Click here to join the hearing

कोर्ट के स्टाफ का मो**0**न**0** 9410700471

Court - 3

सुनवायी में भाग लेने के लिए यहां क्लिक करें। / Click here to join the hearing

कोर्ट के स्टाफ का मो**0**न**0** 9410700343

Court - 4

सुनवायी में भाग लेने के लिए यहां क्लिक करें। / Click here to join the hearing

कोर्ट के स्टाफ का मो**0**न**0** 9410700544

Court - 5

सुनवायी में भाग लेने के लिए यहां क्लिक करें। / Click here to join the hearing

कोर्ट के स्टाफ का मो**0**न**0** 9410700352

सूचना का
अधिकार

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून
दूरभाष : 0135 – 2662021, 2662180,
ईमेल : secy-uic@gov.in वेबसाईट : https://uic.uk.gov.in

SCAN FOR DIGITAL COPY